खण्ड-168, अंक-6
शनिवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(17 मार्च, 1956 ई0)

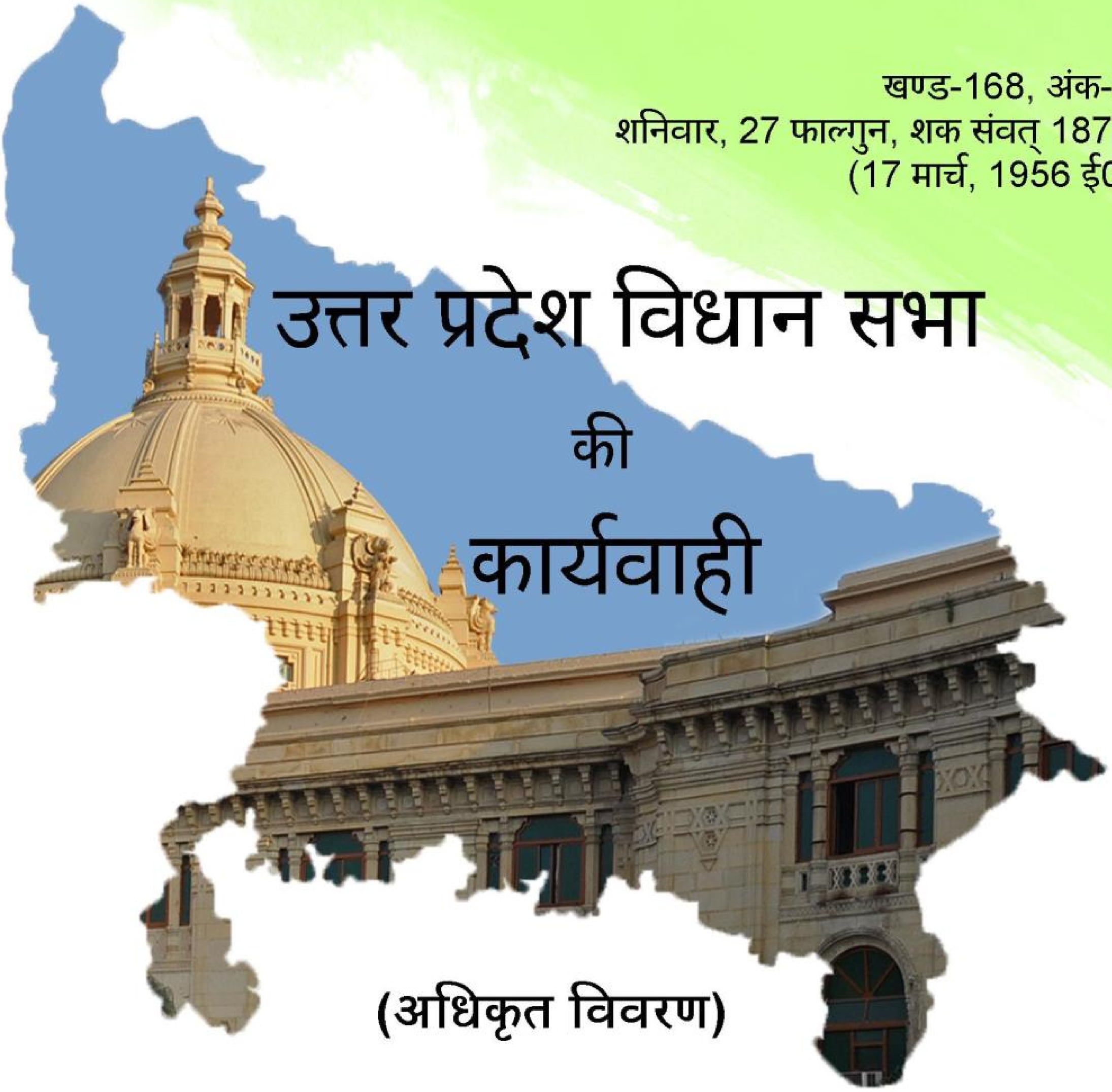

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 168 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
25 JUL 19
UTTAR PR

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १७ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२५३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री

जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भुवर जी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलप्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री

मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारेमिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र विक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजा हारी मिश्र, श्री
व्रजा हारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनारस के विश्वनाथ मन्दिर में हरिजन प्रवेश-कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने फिर भेजा है। वह यह है कि "केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित 'द अनटचबिलिटी आफेंसेज एक्ट' की धारा १३ व १६ के विरुद्ध प्रान्तीय सरकार की जानकारी में बनारस जिले के सरकारी कर्मचारी हरिजनों को विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश कार्य में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। इससे प्रदेश के प्रगतिशील विचार वालों तथा हरिजन वर्ग में बड़ी बेचैनी तथा असंतोष का वातावरण पैदा हो गया है।

अतः इस विषय तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय में मेरे पास श्री राजनारायण जी ने यह दफा १३ और मुझे याद नहीं १६ का भी उसमें जिक्र था या नहीं, उसके सम्बन्ध में जो दफाएं कानून में हैं उन्हें मेरे सामने उपस्थित किया था। तो मैंने उनसे यह कहा था कि मुझे आप लिखित अपना कथन दे दें कि आप को क्या शिकायत है और कानूनी पहलू को निश्चित कर के मुझको बतला दें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज कर उनसे भी जानकारी प्राप्त कर लूं। क्योंकि यह नीति का सवाल है और सरकारी नीति का भंग सरकार द्वारा होता हो तो प्रश्न इस सदन में उपस्थित हो सकता है। माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में तो कोई निश्चित बात नहीं दी है लेकिन एक अलग से उस कानून के सम्बन्ध में मुझे आज ही सबेरे लिख कर राय दी है, इसलिये मैं इसका फैसला आज नहीं देता हूं क्योंकि मैंने जैसा उनसे कहा था इस विषय में क्योंकि कानूनी प्रश्न उठता है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इस विषय में जो कुछ कहना है उसको सुन कर ही मैं इस क़िस्म के किसी काम रोको प्रस्ताव पर निर्णय दे सकता हूं। इसलिये अब सोमवार को मैं इस पर निर्णय दूंगा।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक पर वादविवाद की मांग

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मुझे एक जानकारी प्राप्त करनी है, आप की आज्ञा से, आज यह समाचार मालूम हुआ है कि स्टेट रिआर्गेनाइजेशन बिल सरकार ने अन्तिम रूप से प्रस्तावित कर दिया है और वह जनता के सामने आ गया है। तो हमें उस में देखने से विदित होता है कि जो उत्तर प्रदेश ने प्रस्ताव विधान सभा में पारित किया था उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। बाउंडरी कमीशन का जिक्र है। तो मैं जानना चाहता था कि वह बिल हमारे सामने डिसकशन के लिये आयेगा या नहीं और जो सरकार ने पहले वादा किया था कि आप को कोई सूचना मिलेगी। यदि सदन को बतलायी जायगी तो वे दोनों सूचनायें मैं जानना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---सरकार ने तो इसकी बाबत चूंकि विन्ध्य प्रदेश वाले यह चाहते हैं कि उनको हमारे राज्य में मिलाया जाय वहां पर खतोखिताबत का और उससे पहले इस सूबे का तरफ से एक रेजोल्यूशन भी पास करके भेजा गया था। अब आज सुबह हो जब बिल का मसविदा खुलासा सामने आया है उससे मुझको मालूम हुआ है कि उसमें कोई बात ऐसा नहीं है जिससे इसका इंडीकेशन मिले कि उसके बाबत क्या होने वाला है। तो मैं यह समझता हूं कि बातचीत तो हम उनसे अपनी जारी रखेंगे और यह देखेंगे कि वह बिल यहां भी आता है या नहीं जब कि उसमें खास यू० पी० के मुताल्लिक बात नहीं है। यह मुस्तकिल तौर से नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं आयेगा। लेकिन मुझे शुबहा जरूर है कि शायद वह न आये। तो गुफ्तगू के बाद मालूम होगा कि क्या होगा। अभी तो सिर्फ अखबारों से ही इतना मालूम हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस सम्बन्ध में मेरा भी यह सुझाव है कि चूंकि यू० पी० का जिक्र इस मामले में है कि यू० पी० और मध्य प्रदेश को मिला कर एक जोनल काउंसिल बना दी जाय। तो जोनल काउंसिल में कौन से रीजन आने चाहिये या नहीं आने चाहियें। मैं समझता हूं कि कम से कम इतना उस बिल की परिधि में अवश्य आता है। इसलिये श्रीमन्, आप भी इस सुझाव पर विचार करें और सरकार भी करे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप की बात जो है उसे माननीय उपनेता सदन ने सुन लिया है और जो विधेयक होगा उस पर आप ने जो कारण बताया उस कारण से भी विचार करने की आवश्यकता है, इस बात को वह ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार से बातचीत इस विषय में कर लेंगे। और फिर किसी रोज सदन को इस सम्बन्ध में सूचना देंगे, जब उनको मालूमात हासिल हो जायंगी।

श्री राजनारायण द्वारा बनारस के विश्वनाथ मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन में भाग लेने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, आप से मैं निवेदन यह करना चाहता था कि हमने जो पत्र आप को भेजा था, उसके सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री को भी बता दिया था।

श्री अध्यक्ष---आप ने मुझसे यह कहा था कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करूं। मैं अब तक उनसे मिल ही नहीं सका। ऐसी अवस्था में मैं इस प्रश्न को परसों तय करूंगा।

श्री राजनारायण---चूंकि आप ने कह दिया कि परसों इस पर सरकार का दृष्टकोण आयेगा वरना मैं तो आज ही जाने वाला था और सत्याग्रह में भाग लेता। तो परसों तक तो मैं इंतजार करता हूं। लेकिन परसों के रोज अगर सरकार की ओर से सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है तो मैं मंगल से जा कर उनके साथ सत्याग्रह में भाग लूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं तो यह कहूंगा कि आप अपनी सेवा से इस सदन को वंचित न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

१९५६--५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५६--५७ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला दवरिया)---श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि वन में तीन घंटा रख दिया जाय और अनुदान संख्या ८, ३६ और ४९ एक साथ ले लिये जायं और उनके लिये दो घंटे रख लिये जायं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---वन के लिये समय बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष--तो तीन घंटे अनुदान संख्या ५ के लिये और २ घंटे में अनुदान संख्या ३६ और ४९ हो जायं। बाकी अनुदान दूसरे रोज के लिये होंगे। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि अनुदान संख्या ८, ३६ और ४९, ५१ फाइनेंस से सम्बन्धित हैं। तो मैं चाहता हूं कि फाइनेंस और पावर जिसमें अनुदान संख्या २४, २५, ४७ है, और ८, ३६, ४९, ५१ फाइनेंस से सम्बन्धित हैं। तो अगर फाइनेंस और पावर एक साथ ले लिये जांय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---वह एक साथ नहीं लेना चाहते। वह चाहते हैं कि फाइनेंस अलग और पावर अलग कर दें।

८, ३६ और ४९ यह एक साथ ले लिये जायंगे और अनुदान संख्या ५ अकेला लिया जायगा तो अनुदान संख्या ५ पहले प्रारम्भ होगा।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---वन (लेखा शीर्षक १०---वन) के अन्तर्गत १,८८,१२,५०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस सदन के इतिहास में इस मांग को सर्व प्रथम ३ घंटे का अवसर प्रदान किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी महत्ता को माननीय सदन भली प्रकार समझने लग गया है। एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पहले और मुल्कों में भी वनों को इतना महत्व नहीं दिया गया। परन्तु अमेरिका में जब इतनी धूल उड़ने लगी कि वहां के दफ्तर और असेम्बली सदन वगैरह धूल से भरने लग गये तब वहां के विधायकों को चिन्ता हुयी कि इससे तो स्वास्थ्य खराब होने के अतिरिक्त खर्चे की एक बड़ी भारी मद बढ़ गयी क्योंकि हर १५ मिनट के बाद मेज और कुर्सी पर डस्टर करना पड़ता था नहीं तो तमाम धूल से आच्छादित हो जाते थे। तब वहां की कांग्रेस ने बहुत काफी धनराशि जंगल लगाने के लिये पास की, यह विचार कर कि यदि जंगल न लगाये गये तो खेती भी इसी प्रकार ढक कर नष्ट हो जाया करेगी इसी प्रकार अन्य देशों में भी इसके महत्व को वहां के सदस्यों ने बहुत समझा। यहां तक कि हमारे ही देश में पूर्वी बंगाल में तो वहां की विधान सभा ने अब यह नियम बना दिया कि जितनी आमदनी जंगल से होती है वह सारी की सारी उसके उत्थान और नये प्लान्टेशन में खर्च हो। हमारे यहां भी लगभग ४ करोड़ से ऊपर आमदनी होती है उसमें से केवल खर्चा पौने दो करोड़ के करीब हम लोग करते हैं बाकी जनरल रेवेन्यूज में हमारी नेट सेविंग जाती है जो दो करोड़ से ऊपर के करीब होती है। मैं प्रारम्भ में ही इस बात को कह देना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की बहुत ज्यादा है कि हम लोग भी काफी मात्रा में धन

अपने जंगलों को बढ़ाने में लगाये। और मैं इस दृष्टिकोण से इस बात को कह रहा हूं कि जहां तक कृषि का प्रश्न था वहां तक तो हमारे देश ने आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है और अब अपने देशवासियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने देश में उद्योगों को फैलायें, और मेरा ही नहीं बल्कि मुझे तो विश्वास है कि सभी समझदार आदमी इसमें वही मत रखते होंगे कि उद्योगों को पनपाने के लिये परम आवश्यक है कि पहले हम अपने यहां कच्चे माल को काफी मात्रा में पैदा करें। अगर कच्चा माल नहीं है और उद्योग फैलाने की हम बात करते हैं तो एक असम्भव बात तो वह है ही साथ ही साथ इसके अगर कोई रुपया उद्योगों पर खर्च किया जाता है चाहे वह बड़ी फैक्ट्रीज हों या छोटे घरेलू उद्योग धंधे हों अगर उनको समय पर या कुछ काल बाद पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता तो उनके खत्म हो जाने का डर है और अगर वह खत्म होते हैं तो इसके माने यह हैं कि उद्योग भी नहीं बढ़ा और जो कुछ पैसा हमने उद्योगों पर खर्च भी किया तो वह बेकार गया। तो मेरा अपना विचार है और मैं नहीं समझता कि प्लानिंग कमीशन ने क्यों नहीं इस बात पर दृष्टि डाली क्योंकि सबसे पहले उद्योगों को बढ़ाने से पहले यातायात और कच्चे माल की सुविधा प्राप्त हो जानी चाहिये थी, मगर मुझे जहां तक इनको देखने से मालूम होता है, या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को देखने से जहां तक मेरा अनुमान है, उन्होंने यह किया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया और उसको पनपाने के लिये नहरों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की, वह बिलकुल उपयुक्त बात थी। इस वक्त उद्योगों पर कुछ पैसा रखा गया और उसके लिये काफी खर्च किया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि फारेस्ट, पी० डब्ल्० डी०, यातायात इनको शायद वह महत्व देना चाहते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि फारेस्ट में ही मैं आपको बतला दूं कि २ करोड़ २९ लाख रुपया कुल पांच वर्ष के खर्च के लिये रखा गया है। पांच वर्ष में २ करोड़ २९ लाख रुपये से कितना हम इसका उत्थान कर पायेंगे और कितना रां मैटीरियल पैदा कर पायेंगे, इसमें मुझे संदेह होता है क्योंकि हमारे यहां का क्षेत्रफल १३ हजार वर्गमील के करीब हमारे फारेस्ट का है। उसमें ६ हजार वर्गमील तो ऐसा समझिये कि जिसमें कोई वन है ही नहीं जो जमींदारों से हमें प्राप्त हुये हैं। उसमें जब हम ५० हजार एकड़ प्रति वर्ष प्लान्टेशन करें तब हम आशा कर सकते हैं कि एक उचित समय के अन्दर हम उनको हरा-भरा करने में सफल और समर्थ हो सकते हैं। मगर इस वक्त हद से हद हम २५ हजार एकड़ के अन्दर ही जा सकते हैं इस रुपये से जो कुछ हमें मिला है। और २५ हजार एकड़ प्रतिवर्ष प्लान्टेशन करने के माने यह हुये कि हमारी गति बड़ी मन्द होगी और मैं एक बात आपको बता दूं कि खेती आदि से जो और चीजें साल भर में पैदा होती हैं, तथा जितनी और पैदावार हैं उनके लिये इतना समय नहीं लगता क्योंकि साल में कई फसलें हो जाती हैं, मगर प्रकृति से अर्थात् वनों से जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, अर्थात् इमारती लकड़ी वगैरह हैं, उसमें कुछ तो डेढ़ सौ वर्ष, सवा सौ वर्ष के बाद प्राप्त होता है। तो जो काम हम आज करते हैं उसका फल हमारी सन्तान डेढ़ सौ वर्षों के बाद पायेगी और आज अगर हम उसमें एक साल का विलम्ब करते हैं तो उसमें उतना ही विलम्ब करते जाते हैं। अगर हमें कागज की फैक्ट्री अपने देश में खड़ी करनी है और उसके लिये हमें फर की लकड़ी की जरूरत हो या चीड़ की जरूरत हो तो कम से कम ८० और १०० वर्ष उसमें लगते हैं उस हालत में आने के लिये कि जबकि वह कच्चे माल का काम दे सकें तो मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं यद्यपि हमारी प्रगति कई वर्षों से बहुत ही मन्द थी और जबकि सन् ५०–५१ में या यों कहिये कि अंग्रेजों के जाने के समय पर जहां पर हमारे यहां प्लान्टेशन नाम मात्र को था, पांच सात सौ एकड़ पर प्लान्टेशन साल भर में वे करते थे, हमने शुरू साल सन् ५०–५१ में ५ हजार सालाना से शुरू करके इस वक्त १९ हजार एकड़ प्रति वर्ष तक इसको पहुंचा दिया है तो जो हमारे सीमित साधन हैं, उनको देखते हुये इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रगति काफी की है, मगर जिन उद्देश्यों को लेकर हम लोग अपने देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं उसके लिये नितांत आवश्यक है कि हमारी यह प्रगति धीमी नहीं होनी चाहिये और यदि धीमी होगी तो जो कोई कारखाने हम खोलेंगे उसमें हानि के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं हो सकती है।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

दूसरी बात मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमारे पास १३ हजार वर्गमील जंगल है, उसमें जितने डैम्स बनते चले जा रहे हैं वह हजारों एकड़ जंगल को सब मर्ज करते चले जा रहे हैं और सुन्दर-सुन्दर आपका कच्चा माल खत्म हो रहा है। मैं जानता हूं कि कृषि को फायदा पहुंचाने के लिये जितने डैम्स बन सकें, बड़ी सुन्दर बात है, मगर यह बड़े दुःख और खेद की बात है कि हमारे विशेषज्ञ चाहे जंगल डिपार्टमेंट के, चाहे इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के और चाहे दूसरे किसी डिपार्टमेंट के हों, वह एक विस्तृत दृष्टिकोण अपना नहीं रखते, बाज बाज मर्तबा। मैं तो कह सकता हूं कि अगर कोई डैम बने और उसके चारों तरफ जंगलों की सुरक्षा न हो तो उसमें इरोजन होने से सिल्ट ज्यादा आयेगा और वह पट भी जल्दी जायगा। जो डैम २५ वर्ष चलता है वह १० ही वर्ष चलेगा। इसी तरह से अगर काफी जंगल नहीं है, रेनफाल कम हो गयी तो उन डैम्स का पानी भी वर्षा कम होने की वजह से घट भी सकता है। तो यथार्थ में एक विस्तृत दृष्टिकोण लेकर जब हमारी योजनायें चलेंगी तो तभी वह सर्वांगीण रूप में हमारे देश के लिये हितकारी हो सकती हैं। तो इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि जोकि हमारे डैम्स के अन्दर इतने जंगल कम होते चले जा रहे हैं और स्कूलों में कृषि कार्य के लिये जो शिक्षा दी जा रही है उसके लिये भूमि जंगल से ही देने की आवश्यकता है और नये कोलोनाइजेशन में भी जंगल की जमीन जा रही है, तो आज जब वनों वाली जमीन जा रही है तो उसकी पूर्ति के लिये नितांत आवश्यक है कि हमारी प्लान्टेशन की प्रगति और अधिक होनी चाहिये। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो जंगल हैं उनके चारों तरफ खेती इस तरह से आ गयी है कि उनके अन्दर जो माइस्चर है वह निकलता चला जा रहा है और पानी का भी निकास होता चला जा रहा है और पानी की कमी से और वर्षा की कमी से जंगल भी और खेती भी सूखते चले जा रहे हैं। क्योंकि जंगल के किनारे हरी-भरी जमीन और चरागाह होते थे, खेती नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त चाहे भूमिहीन हों या काश्तकार हों, जब भूमि की जरूरत पड़ती है तो उसकी दृष्टि जंगल पर पड़ती है। हालत यह है कि हमारे जंगल, कृषि में जितनी जमीन है उसके ११ परसेंट भी नहीं हैं, जबकि यह वैज्ञानिकों का मत है कि सही संतुलन और अच्छी कृषि तभी हो सकती जबकि ३३ परसेंट पर जंगल हों। तो जंगलों की कमी से हमारी कृषि पर भी बुरा असर पड़ता है, हमारी इर्रीगेशन पर भी बुरा असर पड़ता है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े महत्व की चीज है, और मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो मुझे भय होता है कि अगर समय पर हमारे विधायकों ने इसके महत्व को नहीं समझा तो जब अकस्मात् विपत्ति हमारे ऊपर आ जायगी तब हम सम्भलने की चेष्टा करेंगे तो उस वक्त सम्भालना बड़ा दुष्कर कार्य हो जायगा। मथुरा और आगरा में रेगिस्तान कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर कृपा करके विधान सभा के सदस्य वहां जाकर देखें तो मैनपुरी और आगरे के पास के किसी भी जिले के अन्दर रेत अंधेरी रात में भी चान्दनी की तरह चमकती मालूम होती है। ऊसर खेतों पर जो ऐल्कलाइन होता है वह बालू के समुद्र के समान दिखायी देते हैं। तो हमारी ऐग्रीकल्चर पर भी बड़ा कुप्रभाव इसका पड़ने वाला है। एक यह भी बड़ी विचारणीय बात है कि अगर आज हम ऐनीमल हस्बेंडरी में तरक्की करने के लिये बढ़ना चाहते हैं तो चाहे बढ़िया से बढ़िया ब्रीड भी हमें दुनियां के किसी मुल्क से मिल जाय, अगर चरागाह हमारे पास अच्छे नहीं होंगे तो उनका भी पतन हो जायगा। तो मैं अभी तक इसको योजना में एक डिफेक्ट समझता हूं और हम इन चीजों का प्रबंध किये बिना चाहे मैरिनो रैम मंगावें, चाहे साहीवाल बुल्स मंगावें और चाहे आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन से बच्चे पैदा करने की चेष्टा करें सबसे पहले फाडर की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। फाडर के बिना सब बेकार है और हमें सफलता नहीं मिल सकती है। फाडर के साथ फियुअल भी आता है। कृषि में उसका बड़ा महत्व है। आज हम देखते हैं कि गोबर जला दिया जाता है जो कृषि के लिये आवश्यक है। तो मैंने तो आपको बताया कि जंगल एक ऐसी चीज है जिस पर कृषि का उत्थान निर्भर करता है और साथ ही इर्रिगेशन का उत्थान, ऐनीमल हस्बेंडरी का उत्थान और तमाम उद्योगों का उत्थान।

मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने यह पाठ अभी तक नहीं पढ़ा कि, "जो तू सींचे मूल को, फूलहिं फलहिं अगाह।" लेकिन हम जड़ के बजाय पत्तों को सींच रहे हैं और विधायकों की दृष्टि क्या है कि जंगल बजट पर बहस के लिये १५ मिनट रख दो यह महत्व दिया जाता है। पर मैं तो समझता हूं कि सारी प्रोग्रेस जंगल पर डिपेंड करती है, अगर जंगल नहीं हैं तो कोई प्रगति किसी दिशा में हमारी हो नहीं सकती है। तो मैं आपके सम्मुख कह रहा था कि जहां तक इन्तजामी मामलों की बात है, इन्तजामी मामलों में हम तो यह समझते हैं कि वन वह चीज है जहां से हमारी सारी संस्कृति और सभ्यता का उद्गम हुआ है। अगर उसमें भ्रष्टाचार किसी भी रूप में कहीं पर रहता है तो मेरे लिये शर्म की बात नहीं है, बल्कि जो हम सबके लिये है क्योंकि सभी वनों से संबंध रखते हैं, अर्थात् इस देश के निवासी ऋषियों की संतान हैं उन पर भी इसकी जिम्मेदारी है। हमारा तो यह अथक परिश्रम है और जीवन का मिशन है कि जंगल विभाग में करप्शन कहीं पर किसी भी रूप में न रहे और अगर आपका सहयोग प्राप्त होता रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले नये चुनावों से पूर्व करप्शन को मिटा दिया जायगा। यह तो मैं नहीं कहता कि करप्शन बिलकुल नहीं है लेकिन अपेक्षाकृत हमारे यहां इस दिशा में बहुत कमी है। पहले तो दुनिया भर से हमारे देश में कम करप्शन है और देश में भी हमारे प्रान्त में सभी विभागों में यह चीज कम है, और कम से कम फारेस्ट डिपार्टमेंट में यह चीज सब की अपेक्षा कम है। फिर भी भ्रष्टाचार का तो अंश मात्र भी नहीं होना चाहिये। आग की एक छोटी चिन्गारी भी बुरी होती है। हमारे राष्ट्रीय चरित्र और नैतिकता को नीचा कराने में एक छोटी सी-छोटी भ्रष्टाचार की चीज बड़ी हो सकती है। मैं समझता हूं कि इसके लिये हमारे सब के सब कर्मचारी प्रयत्नशील हैं और उनकी जो कोशिशें हैं वह फलीभूत होंगी।

नयी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ हमें थोड़ा-बहुत पैसा, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, मिला है, उसमें हम क्या-क्या करने जा रहे हैं उसकी ओर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करा देना मुनासिब समझता हूं, और वह यह है कि सब से पहले हमने प्लान्टेशन और फ्रूट-ट्रीज की ओर ध्यान दिया है। फलदार वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी जलाने, और इमारत के भी काम आये और फर्नीचर के भी काम आये और फल भी खाने को मिलें। मेरा अपना खयाल है कि कभी यदि दुर्भिक्ष पड़ा तो जैसे लोग प्राचीन काल में कन्द-मूल-फल खाकर निर्वाह कर लेते थे वैसे ही हम लोग भी कर सकते हैं। पहाड़ में और देश में भी कटहल लगा रहा हूं। आजकल हम धार्मिक भावना से बंदरों को नहीं मारते। बन्दर काफी तादाद में बढ़ रहे हैं और खेती का बहुत ज्यादा हिस्सा ये बन्दर खत्म कर देते हैं। कम से कम बन्दर ही अगर उन फलों को खायेंगे तो उतनी क्राप तो बची रहेगी जो वे खा जाते हैं अर्थात तब भी यह अच्छा ही है। तो हम फलदार आम के वृक्ष नहरों, सड़कों और रेलवे ट्रैक के किनारे-किनारे लगा रहे हैं। जंगलों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था वन कर्मचारी तथा सार्वजनिक हित में हम कर सकते हैं, वह करते हैं। पूर्वी जिलों में जो जंगल के कर्मचारी रहते हैं उनके मकान बाढ़ के समय टूट गये हैं सड़कें खराब हो गयी हैं। उनमें हम १५ लाख रुपये के करीब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च करने जा रहे हैं। लीसा और रोजिन का जहां तक सम्बन्ध है पहले यह एक लाख मन से भी कम होता था और आज तीन लाख मन सालाना हम निकालते हैं और एक ही साल में लगभग २४ लाख रुपये के करीब एक जिले में हम मजदूरों को मजदूरी के रूप में भी देते हैं लीसा निकालने के लिये और जिससे रोजिन ऐंड टरपेंटाइन फैक्टरी भी चलती है जिससे हमें भी काफी मुनाफा होता है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी उससे काफी ड्यूटी के रूप में रुपया मिलता है। तो यह चीज हमारे प्रदेश के लिये गौरव की चीज है और इस टरपेंटाइन की वर्ल्ड मार्केट में काफी वैल्यू है। इसी तरह से हम लाख का कल्टीवेशन शुरू कर रहे हैं। मिर्जापुर के जिले में और बुन्देलखंड में जहां पर ढाक, कुसुम आदि के पेड़ मिलेंगे वहां पर भी हम लाख का काम शुरू करेंगे और लाख का ऐसा काम है जिसमें मजदूर दिन में काम करके अथवा लाख इकट्ठा करके शाम को उसका पैसा बना लें। तो उसमें करीब दो लाख रुपये के हम खर्च करेंगे।

इसके अतिरिक्त हमारे देश की शोभा वन्य-पशुओं से सदा ही रही है। प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों के आश्रमों में गायों को और शेरों को एक साथ बांधकर रखते थे और वे प्रेमपूर्वक

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

विचरण किया करते थे। वह भी हमारा एक युग था। आज हमको और आपको यह बात मजाक की मालूम होती है मगर एक बात तो आपने देखी कि गांधी जी ने भी जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया उसके अन्दर वह शक्ति है जो हिंसक से हिंसक जन्तुओं को भी बड़ा प्रेममय बना सकती है। और लोग विश्वास न करें तो न करें लेकिन आप के अन्दर तो विश्वास रहना ही चाहिये। तो मैं समझता हूं कि वाइल्ड लाइफ्ज से हमारे देश की कितनी शोभा है। मार्शल बुल्गानिन हमारे तोते रशिया में ले गये। शेर हमारे वनों की विशेष शोभा की चीज है। हमारे यहां मोर हैं, हरिन हैं, हजारों प्रकार के पशु हम हिन्दुस्तान में पाते हैं। उनका बड़ा ह्रास हुआ है और हालत तो इतनी पहुंच गयी थी कि दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में उन मृगों का मांस बूचरों के यहां बिकने लगा था। क्रुएल्टी टु एनीमल्स बोर्ड के सदस्य जो आज लखनऊ तशरीफ लाये हैं वह भी चाहते हैं, पशुओं के साथ सद्व्यवहार होना चाहिये। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड चाहता है कि मथुरा और वृन्दावन के जंगलों में जो बालों वाला केहरि गर्जता था वह फिर हमारे प्रदेश में आ जाय। लेकिन अब मथुरा और वृन्दावन में शेर तो क्या जंगल भी कहां हैं? लेकिन हम गिरि से उनको लाकर मिर्जापुर और बनारस के जंगलों में रखने जा रहे हैं। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि और भी नये-नये किस्म के जानवर लाये जायं। हमारे भाई शाहिद फाखरी तो जू के पास ही रहते हैं और जानवरों से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। खैर, तो उन पर इस बार भी हम लगभग १४ लाख रुपये के खर्च कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा यह मत है कि जंगलों की शोभा इसी में है कि वे हरे-भरे हों, जीव जन्तुओं से परिपूर्ण हों और वहां अच्छे-अच्छे फलदार वृक्ष हों। मगर इसके माने यह नहीं कि वे जीव जन्तु हमारी खेती को नुकसान पहुंचायें और हमारे घरेलू जानवरों को नुकसान पहुंचायें। इसका भी हम प्रबंध करना चाहते हैं कि किस प्रकार बाड़ा बना कर उनको सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे वे कोई नुकसान न पहुंचा सकें। वनस्पति तथा वनपशुओं के विषय पर सही जानकारी तथा उनके हाव भावों को ठीक तरह समझने के लिये प्राकृतिक वन ही उपयुक्त हो सकते हैं। यह बात बोटैनिकल गार्डेन्स या जू में नहीं हो सकती है क्योंकि वहां वह प्राकृतिक वातावरण नहीं होता है जिसके कारण यह भी मुमकिन है वे गलत बिहेव करने लगें और फलस्वरूप गलत ज्ञान उनके विषय में मिले। हमारे यहां पुराने ऋषि-मुनि जो जंगलों में आश्रम बनाते थे उसका यही कारण था कि वहां बोटैनी और जूलोजी का सही ज्ञान प्राप्त करने का पूरा-पूरा अवसर मिलता था। और आजकल तो मिलिटरी वारफेयर के लिये भी जंगल वारफेयर निकला है और उसकी शिक्षा जंगलों में ही हो सकती है। हमारा खयाल है कि कोशिश की जाय तो जिराफ हमारे देश में भी हो सकता है। गेंडा (रिहनो) भारतवर्ष से करीब-करीब खत्म हो रहा है। कोशिश यह की जायगी कि जहां पर स्वाम्प्स हैं वहां वे नैपाल से आ जायं या हम खुद उन्हें लाकर वहां रखें।

सबसे बड़ी दिक्कत प्राइवेट फारेस्ट्स की है। बहुत काफी क्रिटिसिज्म हुआ इस बारे में। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बाज दफा जो छोटे सरकारी कर्मचारी हैं उनके गवर्नमेंट की नीति को सही तरीके पर न समझ सकने के कारण कुछ दिक्कत हो जाती है हमारी मंशा यह नहीं है कि जंगलों से किसी को खेती के तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिये लकड़ी न मिले, न किसी को जलाने के लिये लकड़ी मिले और न जानवरों को चराने के लिये किसी को चरागाह मिले। हमारा मतलब तो यह है कि हर एक को एकोमोडेट करते हुये उन जंगलों की रक्षा की जाय ताकि हमारी आने वाली सन्तान भी उनसे बराबर लाभ उठाती रहे।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके सुझाव सुनना मेरे लिये ज्यादा लाभदायक हैं। लेकिन यह मैं इसीलिये कह रहा हूं ताकि जो और क्रिटिसिज्म आप करना चाहें उसके लिये आपको काफी मसाला मिल सके। और मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर आपके कोई सुझाव आते हैं। गोमती-राप्ती का जो कटाव हो रहा है उसमें शुरुआत हमने एक हजार एकड़ से की है और अगले साल ४, ६ हजार एकड़ के करीब करना चाहते हैं।

गंगा खादर एफारेस्टेशन स्कीम भी हमारे सामने है। राजस्थान बार्डर का भी मैंने थोड़ा-बहुत जिक्र आपके सम्मुख कर दिया है कि वह भी हम करने जा रहे हैं।

और एक चीज अंत में मैं थोड़ी सी कह दूं वह ऐलीफेंट कैंचिंग की है। जहां हम पशु-पक्षियों के संरक्षण के लिये परिश्रम कर रहे हैं वहां यह भी कह देना चाहते हैं कि जब वह हानिप्रद हो जाते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम यह कोशिश करते हैं कि वह किसी तरह से कम हो जायं। इसलिये हम हाथियों का खेदा माह नवम्बर में कराने जा रहे हैं उसमें हाथी पकड़े जायेंगे और हाथियों के पकड़ने के बाद जैसा कि मैंने आप से पहले कहा था कि वह हल में जोत दिये जायेंगे।

एक बात और है कि जितने भी हमारे प्राचीन स्थान हैं और जितने सांस्कृतिक महत्व के स्थान हैं उनको हमने सुरम्य बनाने की चेष्टा की है। मैं आप से एक बात कह देना चाहता हूं कि एक दफा किसी सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था और उसका उत्तर हुकुम सिंह जी ने दिया था। यह प्रश्न उनका था इसलिये मुझे बीच में बोलने का अधिकार नहीं था लेकिन उनके उत्तर से वह भ्रम हुआ कि जितने पेड़ लगाये जाते हैं वह सब मर जाते हैं। मैं आप से बतला दूं कि जिन भाइयों ने यह कहा है वह शायद वहां गये नहीं हैं। मैं अपने भाइयों से यानी सदन के सदस्यों से तथा अखबार वालों से जो ऐसा समझते हों उनसे कहता हूं कि वह गिरि गोवर्द्धन में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक वहां बुलाई थी और सबने वहां देखा कि जो पेड़ों की मृत्यु होती है उसका प्रतिशत क्या है और जितने लगाये गये हैं उनमें से कितने सफल हुये हैं। मेरे एक मित्र श्री ब्रजविहारी मिश्र जंगलों को देखने के बड़े इच्छुक हैं, मैं उनको यह सलाह दे सकता हूं कि वह जंगल की स्टैंडिंग कमेटी में अपना नाम दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बतला दूं कि गिरि गोवर्द्धन और मथुरा में जिसके आंखें हैं वह देख सकते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान के जमाने में रास लीला के समय का जो करील और कदम की सुन्दरता थी और जो साहित्यक रूप में वर्णन की गयी है वही आज वहां विद्यमान होती चली जा रही है या नहीं। नैमीषारण्य में भी हमने प्लान्टेशन किया। आगामी बुद्ध जयन्ती के अवसर पर सारनाथ और कुशीनगर में जो इस समय किया है, और वह इस बरसात में प्रारम्भ किया था, और इतने अल्पकाल में जो ऊंचाई उन पेड़ों ने प्राप्त कर ली है उसको मैं ऐबनोर्मल हाइट कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने पेड़ लगाये गये हैं वह खूब लहरा रहे हैं। वह वृक्ष अशोक के और आरनामेंटल किस्म के पेड़ भी, कचनार वगैरह के हम लगाने जा रहे हैं और वहां ३०-३२ मृग भी छोड़ दिये गये हैं भगवान बुद्ध के जमाने में जिसे मृग विहार कहते थे आज वह वही बन गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि संसार भर के बौद्ध लोग जो वहां पधारेंगे वह आपकी और हमारी और इस देश की ऊंची सभ्यता की, जो कुछ आपने बुद्ध मजहब के पवित्र स्थान को सुरम्य बनाने के लिये किया है, उसका उनके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात आप स्वयं विचार सकते हैं। मैं आपको यह भी बतला दूं कि वहां एक नहर भी बनायी जाने वाली है जिसमें मृग पानी पी सकें और ठंडी छाया में रह सकें और उनके लिए सुन्दर सुन्दर दूब हो। कुशीनगर में कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने शाल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और निर्वाण प्राप्त किया था। वहां पर हमने जंगल विभाग की तरफ से शाल वृक्ष के लगाने की चेष्टा की है और वह भी बड़ा अच्छा सुरम्य स्थान बन रहा है।

पहाड़ों पर विशेष रूप से ऐसे फलदार पेड़ लगा रहे हैं जिनकी लकड़ी भी उत्तम प्रकार की होती है जैसे अखरोट आदि और बुन्देलखंड के इलाके में चन्दन के पेड़ भी उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहाड़ों पर कुछ क्लास फर्स्ट जंगलों को भी वन विभाग की व्यवस्था के अन्दर लाने का कार्य होगा। और मैं समझता हूं कि अगर धनाभाव न हुआ होता तो संभव था कि हम और अधिक प्रगति किये होते। मैंने बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम २४·५ लाख रुपया इस वर्ष खर्च कर रहे हैं। अभी तक जो प्रगति हुई वह रेगुलर रूटीन के अन्तर्गत हुयी है मुझे आशा और विश्वास है कि जो कुछ कार्य ऐसी सीमित परिस्थितियों

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]
में किया जा रहा है उसके लिये कुछ न कुछ भले शब्द आपके हृदय में अवश्य होंगे और इस काम में जो भी कमी है उसकी पूर्ति करने में आप के सुझाव सहायक होंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---मेरा एक छोटा-सा प्रस्ताव है। माननीय मंत्री जी ने काफी समय ले लिया है और दूसरा जो अनुदान हम लेने वाले हैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जल्दी ही खत्म हो जायगा। तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि बजाय तीन घंटे के समय के इसमें ४ घंटे का समय कर दिया जाय। यह चार बजे तक हो जाय और मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतराज न होगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, इसी प्रकार हो जायगा। चार बजे तक आप इसे चलाइये।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५ के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मुझे इस बात का खेद है कि वन विभाग की मौलिक आवश्यकताओं को देख कर जितना भावना पूर्ण भाषण माननीय उप मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, उसको देखते हुये यह वन विभाग का बजट निराशास्पद कहा जा सकता है और वनों की रक्षा करने के लिये और वनों के वास्तविक विकास के लिये जितना धन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है वह आवश्यकताओं को देखते हुये अत्यन्त ही कम है। हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय जो वनों के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त हैं उनके अनुसार साढ़े ५८ लाख एकड़ भूमि जंगल एरिया में मानी जाती है, साढ़े ७६ लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि न तो जंगल में आती है और न जोती जा सकने वाली भूमि में आती है। तो यह साढ़े ७६ लाख एकड़ भूमि जो है उस में से अधिकांश में हम जंगल लगा सकते हैं। इसमें जंगल की वृद्धि की ओर अत्यन्त ही कम ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री जी के उद्गार जो हैं, जो सरकार की भावना है, जो फारेस्ट पालिसी है वह फारेस्ट पालिसी अभी तक एकांगी पालिसी रही है, एकतरफा जंगलों की वृद्धि करने की रही है। आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखें, जंगलों का विकास किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? जंगलों का विकास उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पर पहले से बहुत ज्यादा जंगल हैं, जैसे कुमायूं, तराई या मिर्जापुर का एरिया। जहां पर जंगलों का विकास करना ठीक है, वहां खर्च होना चाहिये, लेकिन प्रदेश के उन भागों में जहां पर जंगलों का प्रतिशत सौ में एक भी नहीं है वहां के लिये क्या योजना बन रही है? जहां ६६ प्रतिशत जंगल है वहां आप एफारेस्टेशन भी कर रहे हैं, और दूसरे काम भी कर रहे हैं ठीक है, करना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र में आपने क्या ध्यान दिया है जहां कि जंगल नहीं है। आप देखें कि एफारेस्टेशन की योजना ३ जगह बनी है लैन्ड मैनेजमेंट सर्किल के अलावा एक गंगा राप्ती एफारेस्टेशन स्कीम है, राजस्थान एफारेस्टेशन स्कीम है और तीसरी कोलोनाइजेशन एफारेस्टेशन स्कीम है। तीन योजनायें इसमें चल रही हैं। तो गंगा राप्ती में, घाघरा राप्ती में जिस प्रकार आपकी यह स्कीम बनी है उसी प्रकार पूर्वी जिलों में तमाम नदियां ऐसी और हैं जिनमें हर साल बाढ़ आती है। उनके सब एरियाज में वहां पर भी आपको एफारेस्टेशनकी स्कीम बनानी चाहिये थी, ताकि बाढ़ की भी रुकावट हो और एफारेस्टेशन भी हो और उन पूर्वी जिलों में या और जिलों में जहां जंगलों की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। इस दृष्टिकोण से जब आज हम वन विभाग की नीति को देखते हैं तो उसको अत्यन्त ही असंतोषजनक पाते हैं। यह बात सही है कि वन विभाग में खर्च का अनुपात आमदनी के अनुपात के मुकाबिले में, तुलना में अधिक बढ़ा है। जब कि आमदनी ४६-४७ के मुकाबले में केवल दुगुनी हो गयी है तो खर्चा लगभग तिगुने के हो गया है। पिछले ५ सालों की जब हम तुलना करते हैं तो वन विभाग से होने वाले सरप्लस में ३७ लाख की कमी हो गयी इन पांच साल के अन्दर। तो इससे दो बातें साफ जाहिर होती हैं। एक तो यह बात कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वन विभाग से रेवेन्यू की प्राप्ति में कमी हो चली है और दूसरे यह कि खर्चा बढ़ता जाता है लेकिन वन विभाग के कार्य में वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। यह बात सही है कि कुछ एरिया में एफारेस्टेशन ज्यादा हुआ है और २० हजार एकड़ में एफोरेस्टेशन किया गया, लेकिन खर्चे को देखते हुये मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि फी एकड़ एफारेस्टेशन करने में कितना खर्च पड़ता है? क्या वह उतना ही खर्चा आता है जितना कि पहले आता था क्या उसमें कुछ भी कमी नहीं की जा सकती है? तो इस आधार पर जब हम एफारेस्टेशन योजना का अन्वेषण करते हैं तो हमको पूरा सन्तोष नहीं हो पाता। इसके साथ-साथ एक बात और है आपने तराई स्टेट फार्म में एफारेस्टेशन किया। तराई स्टेट फार्म खेती के लिये बनाया गया। वह हमारा एशिया का सब से बड़ा १३०२ एकड़ का फार्म है जिसके अन्दर एफोरेस्टेशन किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे बड़े एग्रीकल्चर फार्म के अन्दर इस प्रकार से एफारेस्टेशन करना यह कहां का नीति है। यह हो सकता है कि वहां पर कुछ जगह हो जहां जंगल लगाने की आवश्यकता हो लेकिन डेढ़ हजार एकड़ जमीन के फार्म में प्लान्टेशन करके और यह भी एक स्टेट फार्म के अन्दर करना मुझे उचित नहीं प्रतीत हुआ। माननीय मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग ४७ से नहीं हुई। इतने महत्वपूर्ण बोर्ड का कार्य जो एफारेस्टेशन के विषय में राय देना है उसकी मीटिंग सन् १९४७ से नहीं हुई और न इतने दिनों तक उससे राय ली गयी। लैन्ड मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग होती रही है लेकिन इस बोर्ड की राय नहीं ली गयी। शायद हो सकता है कि चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट से यह प्रेरणा मिली हो और तब यह कार्य शुरू हुआ हो, लेकिन इन पिछले ९,१० वर्षों में इस बोर्ड ने कोई कार्य नहीं किया और न उससे सलाह लेने की चेष्टा की गयी। यह विभाग के ऊपर बड़ा आक्षेप है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण कर दें।

एक और संस्था बहुत वर्षों से कार्य कर रही है जिसका नाम कुमायूं फारेस्ट कमेटी है। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि यह कुमायूं फारेस्ट कमेटी कितनी महत्वपूर्ण कमेटी है, लेकिन पिछले वर्ष से कुमायूं फारेस्ट कमेटी की कार्यवाही के संबंध में एक शब्द भी इस विभाग की रिपोर्ट में नहीं छपता रहा है। इसमें फोरेस्ट एडवाइजरी कमेटी में क्या हुआ है लिखा हुआ है, एफारेस्टेशन कमेटी में क्या हुआ है यह भी इसमें लिखा हुआ है लेकिन कुमायूं फारेस्ट कमेटी में क्या हुआ है इसके फारेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में जो यह छपी है उसमें कहीं पर पता नहीं है कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी की सिफारिशों से क्या कार्यवाही हुई? हम यह जानते हैं कि यह हम सब लोगों के लिये महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी की कार्यवाहियों पर यह डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट में क्यों ध्यान नहीं देता है?

इसके साथ-साथ पिछले वर्ष जो रिपोर्ट बटी थी उसमें रेजिन इंडस्ट्री के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज का भी जिक्र किया गया था। पल्प की इंडस्ट्री, कत्थे की इंडस्ट्री, पेपर की इंडस्ट्री, तेंदू की इंडस्ट्री जिसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, माचिस की इंडस्ट्री इन सब का जिक्र पिछले वर्ष की रिपोर्ट में था, लेकिन इस वर्ष की रिपोर्ट में इनका जिक्र नहीं है कि इन उद्योगों के विषय में जो जंगल विभाग से संबंधित हैं सरकार ने क्या किया? जैसे तेंदू की इंडस्ट्री जो मिर्जापुर वगैरह में और जिससे बीड़ी बनायी जाती है उसका रेवेन्यू ५।। लाख से घटकर २।। लाख हो गया यह बजाय बढ़ने के घटी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वन विभाग की ओर से इस इंडस्ट्री के विकास के लिये इस वर्ष कम ध्यान दिया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। कत्थे के उद्योग से हजारों आदमियों को रोजगार मिलता है लेकिन कुछ फैक्ट्रीज को जरूरत से ज्यादा पेड़ दिये जा रहे हैं और काटेज इंडस्ट्री के रूप में कत्था बनाने की ओर ध्यान कम दिया जा रहा है। अगर इसी प्रकार पेड़ देने की नीति चलती रही तो हजारों मनुष्य बेकार हो जायेंगे। इसका जिक्र होना

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चाहिये था कि सरकार ने इस वर्ष और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या पालिसी रखी है। कम्युनिकेशन्स यानी सड़कों के लिये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत कम रुपया रखा गया है। विभाग उम्मीद करता है कि २४८ मील लम्बी सड़कें वह केवल ३० लाख रुपये में बना लेगा। कैसे बना लेगा? पी० डब्लू० डी० से माननीय मंत्री जी पूछें कि क्या वह २४८ मील लम्बी सड़कें सिर्फ ३० लाख रुपये में बना सकता है? आखिर फारेस्ट की प्रोड्यूस के लिये सड़कें बन रही हैं जिनको लेकर उन सड़कों पर भारी भारी ट्रक्स भी चलेंगी, सड़कों पर पुल भी बनेंगे। इस कार्य के लिये अधिक रुपया रखना चाहिये था।

मेरे विचार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम ७५ लाख रुपया रखना चाहिये था इस कार्य के हेतु। अच्छी सड़कें होंगी तो आसानी से और सस्ते में लकड़ी शहरवालों को भी मिल सकेगी। आप देखते हैं कि प्रदेश में शहरों में मिलने वाली लकड़ी कितनी कम हो गई है। सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट की ओर से फुएलवुड स्कीम चालू है जिसके मातहत कंट्रोल से लकड़ी शहर वालों को मिलती है। इस लकड़ी का उत्पादन सन् ४९–५० में ४ लाख ४० हजार टन था और सन् ५४–५५ में घटकर २ लाख टन हो गया है। यानी ईंधन का उत्पादन २ लाख ४० हजार टन कम हो गया है। अगर यातायात के साधन अच्छे हों और वैगनों का प्रबन्ध भी हो तो ऐसी कमी नहीं हो सकती। अगर शहरों में लकड़ी और कोयला नहीं मिला तो शहर के लोगों को तकलीफ होगी। जो काश्तकार जंगलात के नजदीक रहते हैं उनके दृष्टिकोण से भी सर्वांगीण फारेस्ट पालिसी होनी चाहिये और उसी के अनुसार क्लास वन फारेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिये। तो सड़क भला होगा। हमें जंगलात का विकास करना आवश्यक है। साथ ही साथ ही गांव वालों के अधिकार भी सुरक्षित करने हैं। फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी बनी और आन्दोलन भी हुआ जिसका नेतृत्व माननीय पंत जी ने किया था सन् ३१ में। जिन काश्तकारों के हक-हकूक के लिये हम लोग इतने लड़े, अब उनकी सुरक्षा आवश्यक है। इसकी ओर डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिये। गांवों की बाउन्ड्री के आसपास में तार लगा दें, ताकि उनके जानवर भी न जा सकें। हमें ऐसी अपनी फारेस्ट पालिसी बनानी चाहिये कि जंगलात के पास वालों के हकहकूक की हम पूरी तरह से सुरक्षा कर सकें। हाल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम लोगों ने इस बात की मांग की थी कि जंगल विभाग हमको लकड़ी के परमिट न दे। हमको हल बने बनाये दे और घास दे। जंगल विभाग अपने पास स्थान रखे, चाहे कोटद्वार, हल्द्वानी या मिर्जापुर कहीं भी हो। इससे दुरुपयोग होना बच जायगा। जो लागत की कीमत है उस पर ये चीजें किसानों को दे दें। लेकिन इस ओर शायद विभाग का ध्यान नहीं गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर उन्हें जंगलात की व्यवस्था करनी है और दूसरी तरफ लोगों को हक-हकूक भी देने हैं तो उन्हें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे सरकारी लागत पर किसानों को चीज दी जा सके।

फारेस्ट सैटिलमेंट का भी इसमें जिक्र है। बहुत से स्थानों में फारेस्ट सैटिलमेंट करने में देर हो रही है और जहां कहीं है भी, जैसे कुमायूं में सर्वे चल रहा है, लेकिन वहां भी फारेस्ट सैटिलमेंट नहीं चल रहा है। तो आज जहां लैन्ड रैकर्ड सर्वे चल रहा है उसके साथ-साथ फारेस्ट सैटिलमेंट होना भी अत्यन्त आवश्यक है। मैं कुछ फारेस्ट कर्मचारियों के संबंध में भी कहना चाहता हूं निम्नश्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न है और उनका वेतन कम होने से उन्हें भ्रष्टाचार की ओर ध्यान देने के लिये मजबूर होना पड़ता है। फारेस्ट गार्ड्स खूंट मोहर्रिर इत्यादि के लिये कुछ भी नहीं किया गया है जबकि पिछले साल २ रुपये निम्नश्रेणी के कर्मचारियों के लिये बढ़ाये गये थे। इन लोगों के लिये कुछ भी नहीं किया गया। इनका वेतन भी बढ़ाना चाहिये था। माननीय वित्त मंत्री जी फारेस्ट विभाग के भी मंत्री हैं। उन्हें अपने बजट भाषण की ओर ध्यान देना चाहिये। इसी प्रकार पे कमेटी की रिपोर्ट है। सारे विभागों के लिये पे स्केल लागू हो गये लेकिन इस विभाग के लिये नहीं किये गये, रैवेन्यू अर्निंग विभाग है

इससे हृदय जलते हैं। बड़े-बड़े आफिसर्स के लिये आप स्पेशल पे रख देते हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वालों के लिये आप स्पेशल पे काट देते हैं, यह कहां तक उचित है फारेस्ट गार्ड्स जंगलों में काम करते हैं जहां उनकी जान का खतरा होता है, तो उनके लिये सुरक्षा का साधन होना चाहिये। जब माननीय मुख्य मंत्री जी दौरे में गये थे तो उन्होंने देखा था कि किस प्रकार फारेस्ट गार्ड को अपना कर्तव्यपालन करने में कठिनाई होती है और उसकी जान को खतरा रहता है। शिक्षा के लिये आप देखें कि वे लोग जंगलों में रहते हैं तो उनके बच्चे कहां शिक्षा पावें? अगर कोई अपने बच्चे को हाई स्कूल पास कराना चाहता है तो वह उसे कहां शिक्षा के लिये भेजे? इन सब बातों की ओर आवश्यकीय तौर से ध्यान देना चाहिये।

हाथियों से खेत जुतवाने की बात है। माननीय उपमंत्री जी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन अभी यह रिसर्च का विषय है। इसे आप कार्य में यानी प्रयोग में लाना चाहेंगे तो सफल नहीं होंगे। ५–१० वर्ष तक इस पर अन्वेषण होना होना चाहिये। एक नई बात इस रिपोर्ट में रूपकुण्ड के बारे में है। पिछले वर्ष भी इसकी चर्चा हुई थी लेकिन मालूम होता है कि सरकार इसके बारे में कुछ सो सी रही है। माननीय उपमंत्री जी को शायद दुख भी होता हो लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार शीघ्र इस ओर ध्यान दे। कुमायूं डेवेलपमेंट बोर्ड के निर्माण के संबंध में इसमें लिखा है कि इस बारे में सिफारिश की गई है। उसमें केवल विभागीय अधिकारी ही रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कुमायूं डेवेलपमेंट बोर्ड ही नहीं बल्कि मिर्जापुर आदि स्थानों में जहां जंगल है वहां भी ऐसे बोर्ड बनाये जायं और उसमें गैरसरकारी लोग भी हों। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में माननीय वित्त मंत्री जी अपनी फारेस्ट पालिसी को सर्वांगीण बनाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को चन्द सुझाव देना चाहता हूं। यों तो अपने भाषण में उन्होंने वनों के महत्व पर काफी प्रकाश डाला है इसलिये उसमें मैं अपना अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा।

जहां तक मैंने माननीय नारायणदत्त तिवारी के भाषण को सुना। उन्होंने एफोरेस्टेशन स्कीम के बारे में कहा कि वह पर्वतीय जिलों के लिये अधिक है और मैदानी इलाकों के लिये कम है। यह ठीक है कि जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हमारे सारे प्रदेश में जो आदर्श अनुपात जंगलों का होना चाहिये वह न मैदानों में है और न हिल्स में है हमारे यहां केवल ११ प्रतिशत भाग में जंगल हैं जिनमें से २ प्रतिशत प्लेंस में और ९ प्रतिशत हिल्स में हैं। अगर इन जंगलों को हमें आदर्श अनुपात में लाना है तो हमें एफोरेस्टेशन की आवश्यकता दोनों ही जगहों पर होगी। इसके साथ ही साथ एक बात और है। माननीय मंत्री जी आक्शन द्वारा लाखों और करोड़ों पेड़ पर्वतीय जंगलों से कटवा रहे हैं। अगर जितने पेड़ कटते हैं उसके एक-तिहाई या एक-चौथाई भी प्रतिवर्ष नहीं लगाते तो समस्या विकट हो जायगी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि एफोरेस्टेशन का काम अधिक प्रगति से किये जाने की आवश्यकता है और इसमें आप बिजनेस प्वाइंट आफ व्यू से काम करें। हम यह चाहते हैं कि आपका जो बजट है वह बैलेंस करना चाहिये। आज जो रेवेन्यू में अर्न करते हैं उसको आप एफोरेस्टेशन के द्वारा जंगलों की तरक्की में खर्च करें, तथा सड़कें और कम्युनिकेशन बढ़ाने में खर्च करें इससे हमारे प्रदेश को लांग रन में फायदा होगा।

बहुत सी स्कीम आपकी व्यापारिक दृष्टि से होती हैं। इससे गांव वालों में आपके विभाग के प्रति कुछ कम श्रद्धा है। आपने इसके लिये लीजियन आफिसर्स कायम किये हैं, मैं समझता हूं कि आपके ये कर्मचारी सहयोग ले सकें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको उनकी सुविधा का ध्यान अवश्य रखना होगा। आपकी एफोरेस्टेशन की स्कीम्स वहां होनी चाहिए जहां गांव वाले आपके जंगलों का नुकसान करते हैं। इसलिये बजाय व्यापारिक दृष्टिकोण के

[श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट]

आपकी बाउन्ड्री के आसपास पशुओं के काम की फैक्ट्रीज लगायेंगे तो आपके जंगलों का ज्यादा नुकसान न होगा।

इसके अतिरिक्त आपके सामने गोचर का प्रश्न भी है। इसमें भी मैं समझता हूं गद्दी व गूजरों से कि आपके जंगलों को बहुत नुकसान होता है। वे लोग पशु चराने को पहाड़ों में जाते आते हैं तो उनका समय वही होता है जो पहाड़ी इलाके में खेती का समय होता है। इसलिये वे पर्वतीय इलाके की खेती का भी बहुत नुकसान करते हैं। इसलिये यदि आप उनको रिहैबिलिटेट कर दें तो अच्छा है। अगर उनको चारागाह मिल जायगा तो कल्टीवेटर्स की खेती का जो नुकसान होता है वह भी नहीं होगा, और आपके जंगलों का नुकसान भी नहीं होगा।

दूसरे जंगलों के जानवरों की सुरक्षा की स्कीम भी है। वह बहुत अच्छी है होनी भी चाहिये और मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाय और जंगलों में जो बहुमूल्य या रेयर किस्म के जानवर या पक्षी हैं जैसे कस्तूरी मृग या मुनाल पक्षी आदि हैं और जो मेडिकल प्वाइन्ट आफ व्यू से दवा आदि के काम में भी आते हैं उनके ब्रीडिंग की स्कीम हो तो बहुत लाभ हो सकता है। एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा कि सूखे पेड़ जो जंगल में गिर जाते हैं और पड़े रहते हैं लेकिन उनके लिये भी सरकार की "डाग इन दि मेंजर" पालिसी चलती है, न तो विभाग स्वयं ही उन का उपयोग करता है और न गांव वालों को ही उन को ले जाने देता है और नतीजा यह होता है कि वह वहीं पड़े-पड़े सड़ जाते हैं, अगर वह गांव वालों को ही फ्री दे दिये जायं तो उन को लाभ होगा और विभाग का भी कोई नुकसान न होगा। इस प्रकार की अगर यहां से हिदायत कर दी जाय तो गांव वालों को इससे काफी राहत मिल जायगी।

एक बार आप के यहां से एक जी० ओ० जारी हुआ था और वह खास तौर से जो मर्ज्ड स्टेट टेहरी-गढ़वाल की है उसके बारे में वहां के लिये था और वह इस विषय में था कि आन्दोलन के समय में जिन्होंने जंगलात की जमीन पर नाजायज कब्जा किया था उनको लीज पर जमीन दी जाय और मुआवजा माफ कर दिया जाय लेकिन आप के जी० ओ० के मुताबिक लोगों को जमीन मिली लेकिन कुछ केस अब भी ऐसे हैं कि जिन के साथ अन्याय हुआ है, एक गांव की मिसाल है उनको लीज मंजूर हो चुकी थी कनजरवेटर ने मंजूर कर दिया था और एग्रीमेंट के लेने के संबंध में जो कार्यवाही आगे होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है लेकिन अब वह फाइल ही दफ्तर से गायब हो गई और वह मामले ऐसे ही पड़े हैं। तो ऐसे भी दो-चार केसेज हैं कि जिन में जस्टिस नहीं हुआ है, एक ही जगह एक आदमी की मंजूर हो गई है और एक आदमी की विडो को दी गई है दूसरी को नहीं दी गई। इसलिये कृपा कर के आप इन्क्वायरी करा लें और आप देख लें कि आपके जी० ओ० के अनुसार जो राहत लोगों को मिलना चाहिये वह मिल जाय।

एक बात मैं रेजिन इंडस्ट्री के बारे में और कहूंगा। अभी रेजिन का जहां तक संबंध है उसमें इतना स्कोप है कि आप एक सेपरेट फैक्टरी इसके लिये और स्थापित कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि उसको स्थापित कर के आप गांव वालों को उसके मुताल्लिक और अधिक काम दें। इससे आप हमारे जिलों के ५० प्रतिशत लोगों को कार्य में लगाकर रोजगार दे सकते हैं। कुमायूं विकास बोर्ड के सिलसिले में माननीय नारायणदत्त जी ने भी कहा कि यह बोर्ड बिलकुल आफिशियल है उसके केवल दो ही काम रह गये हैं एक तो विभागीय अधिकारियों द्वारा दो प्रकार की स्कीमें तैयार करवाना, एक साधारण और दूसरी फाइव ईयर प्लान के हिसाब से देखना, ऐसा तो सरकार पहले से ही करती रही है, जब तक वहां के स्थानिक हालात का सही ज्ञान न होगा तो विभाग का कार्य वैसे ही चलेगा जैसे आजकल चल रहा है, इसलिये नान अफिशियल्स को इस बोर्ड में आप लायें और जो स्कीम हो वह ऐसी हो जो वास्तविकता को देखते हुये कार्यान्वित की जा सके और तभी कुछ सफलता हो सकती है, वरना बोर्ड तो सन् ४७ से चल रहा है। यदि जो पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं उनका सहयोग

लिया जाय और उनकी सलाह का सदुपयोग किया जाय तो कुमायूं फारेस्ट कमेटी में उनको लेना चाहिये दूसरे ग्रेजिंग ड्यूज के बारे में कहना चाहता हूं।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत, मंत्री जी की ओर उप मंत्री जी को जो इस विभाग के इन्चार्ज हैं बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्होंने इस फारेस्ट डिपार्टमेंट को तरक्की दी है और बराबर इस बात की कोशिश करते रहे हैं और हम लोग चूंकि जंगलों में नहीं रहते, शहरों में रहते हैं लेकिन वहां भी हम देख सकते हैं कि जो सड़कों के किनारे फारेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, दरख्त खड़े हैं उनमें किस तरह से काम हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जंगलात में बड़े ट्रिमेंडस रिसोर्सेज हैं और बहुत कुछ हमारी तरक्की के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। हमारे प्राविन्स में मिनरल रिसोर्सेज नहीं हैं। हमारे प्राविन्स में और रिसोर्सेज चाहे न हों लेकिन यह जंगलात का ऐसा रिसोर्स है कि अगर इसको अच्छी तरह से टेकिल किया जाय तो इसमें से बहुत कुछ हमको मिल सकता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज रा मेटीरियल पर ज्यादातर मुनहस्सिर हैं। हम इनमें से कौन सा रा मेटीरियल प्राप्त कर सकते हैं यह हमको देखना है। इनमें खास तौर से जैसा आपने बताया बड़े-बड़े पेड़ हैं, लकड़ी की बात है यह तो लांग टर्म पालिसी है और इस लांग टर्म पलिसी में बड़ा वक्त लगेगा। लिहाजा शार्ट टर्म की चीजें भी हैं जिनके ऊपर खास तौर से मेरा ख़याल है, क्योंकि मैंने उसका जिक्र कहीं नहीं देखा, न रिपोर्ट में मिला और न बजट में मिला इसलिये मुझे खास तौर से जिक्र करने की जरूरत है और वह जिक्र ड्रग्स के सिलसिले में है। मेरा खयाल है कि हमारे जंगलात में जो दवाइयां पैदा होती हैं वे बड़ी आवश्यक हैं और उनमें बहुत तरक्की की जा सकती है। हमारे स्वास्थ्य का सारा दारोमदार औषधियों पर है जो कि यहां पैदा होती हैं। अभी तक आप का कोई ऐसा सर्वे डिपार्टमेंट नहीं है जो यह कार्य कर सके कि कौन-कौन दवाइयां कहां-कहां पैदा होती हैं? कौन सी इस्तेमाल होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। इसके लिये आप का कोई रिसर्च डिपार्टमेंट हो जो यह देखे कि कौन सी औषधि किस काम की है और वह किस काम में लाई जा सकती है और किस तरह उस को तरक्की दी जा सकती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहां बोई जा सकती हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाहर से आती हैं और उनके मुकाबले में हमारी औषधियों में एक्टिव प्रिन्सिपल्स बहुत कम हैं। तो यह देखा जाय कि उनको किस तरह से तरक्की दी जाय यह बहुत खास बात है। मैं आपको बतलाऊं जैसे तमाम दुनिया में रोअल्फिया मशहूर हो गया है। पहले अमेरिका से आता था, लेकिन अब हम उसको यहां पैदा कर रहे हैं। मगर हमने इसको नहीं देखा कि हमारी क्वालिटी किस तरह बेहतर होगी। थोड़े दिन में हमारा रोअल्फिया खत्म हो जायगा और वहां से चीजें बन कर आने लगेंगी।

एक अर्सा हुआ तब एग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब को एक स्कीम दी थी। अर्गट यहां पैदा नहीं होता, बाहर से आता है। अर्गट फिर आसाम में, मदरास में पैदा होने लगा, बंगाल में भी पैदा होने लगा है, लेकिन हमारे प्राविन्स में नहीं होता। यह बड़े काम की चीज है। तो इसमें कल्टीवेशन आफ ड्रग्स की भी बात है जो आप के ही सुपुर्द है। कोआपरेटिव सोसाइटीज जो रानीखेत में दवाइयां इकट्ठा करती हैं वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वे तोड़ कर इकट्ठा करती हैं और उनको नहीं मालूम कि कब तोड़ना चाहिये और कब इकट्ठा करना चाहिये। डेंजर यह है कि वे इस तरह से खत्म हो जायंगी, और वे रहेंगी नहीं। इसको कैसे इकट्ठा करना चाहिये यह भी उनको जानना चाहिये। बाजी औषधि में सन राइज पर एक्टिव प्रिन्सिपल ज्यादा मिलता है और बाजी में सन सेट पर ज्यादा मिलता है और बाज औषधि में सन राइज पर कम एक्टिव प्रिन्सिपल

[डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी]

होता है और बाज में सन सेट पर कम ऐक्टिव प्रिन्सिपल होता है । इसलिये एक डिपार्टमेंट बनाया जाय जो यह देखे कि जो चीजें पैदा होती हैं उनको किस तरह से इकट्ठा किया जाय, तब तो फायदा हो सकता है । वर्ना थोड़े दिन में जो मौजूद हैं उनसे भी हमको हाथ धोना पड़ेगा । इसलिये मैं कहता हूं कि जो बड़ी-बड़ी स्कीम्स हैं उनमें दस वर्ष लगेंगे और यह हर साल की बात है और हर साल इससे फायदा उठाया जा सकता है ।

और भी बातें हैं जैसे स्वायल रिजर्वेशन । इससे भी कुछ न कुछ फायदा हो सकता है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इसकी तरफ ज्यादा खयाल होना चाहिये और इसके लिये सर्वे करना चाहिये और रिसर्च भी होनी चाहिये और रिसर्च तथा इंडस्ट्रीज का कोआर्डिनेशन होना चाहिये । वे देखें कि कौन सी चीज की कम जरूरत होती है और क्या कब मिल सकता है । तो मैंने जैसा बतलाया ऐसी और भी चीजें हैं और इन दवाइयों में सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिल सकती है और अगर रुपये की कमी हो तब भी हो सकता है ।

एक चीज और है । ईंधन का सवाल है । हमारी किताबों में उसका कोई जिक्र नहीं था । जिस तरह से हमारी ईंधन जलाई जाती है वह इस कदर खराब है कि जिसमें ज्यादा ईंधन जलता है और कोई ऐसी तरकीब ईजाद होनी चाहिये जिससे कम ईंधन जले । फिर गोबर जलाया जाता है । खाद के लिये उस की जरूरत होती है । तो कोई ऐसा साइंटिफिक चूल्हा बनाया जाय । तो मैं समझता हूं कि यह भी आपके ही ऊपर है कि आप इंडस्ट्रीज से मिल कर देखें कि ईंधन किस तरह से बच सकता है ।

एक बात मुझे यह अर्ज करनी थी कि यह जो सड़कों के किनारे पेड़ लग रहे हैं वह बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सड़कें बहुत चौड़ी होती जा रही हैं । सड़कों पर ट्रेफिक बढ़ती जाती है, लेकिन दरख्त बिलकुल उसी लाइन में लगे हुए हैं, जो कि पुरानी लाइन थी । तो जरूरत यह है कि जो नये दरख्त लगाये जायं वह सड़क से बढ़ कर लगाये जायं ताकि अगर सड़क चौड़ी की जाय तो उनको काटना न पड़े ।

मैं फिर आप को धन्यवाद देता हूं कि आप का विभाग निहायत मुफीद साबित हो रहा है और अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिले तो ज्यादा अच्छा हो ।

*श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई दो रायें नहीं हैं कि जब से माननीय मंत्री जी ने वन विभाग को सम्हाला है तब से काफी तरक्की हो रही है और उम्मीद है कि अगर यही उनकी भावना तरक्की की रही तो विभाग जरूर और तरक्की करता चला जायगा । लेकिन मुझे इसमें बहुत सी जगह कठिनाइयां भी नजर आयी हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी जरूर उस पर ध्यान देंगे । मैंने पहले भी एक दफा कुछ विचार प्रकट किये थे । जिन इलाकों में जंगल लगाने की जरूरत है वहां तो जरूर ही लगाया जाय और जंगल लगाना अच्छी बात भी है जैसा कि हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वर्षा होती है , कटाव कम होता है, भूमि की पानी रोकने की ताकत ज्यादा बढ़ती है । लेकिन जहां पर कि छोटे-छोटे इलाके जंगलों के हैं अगर वहां पर भी जंगल लगाने की स्कीम चली तो बहुत से काश्तकार जो वहां पर अपने मवेशी चराते थे और लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते थे उन्हें परेशानी होगी । अब जो जंगल के आदमी वहां भेज दिये गये हैं उन्होंने एक तरह से वहां बहुत परेशानी पैदा कर दी है । मैं समझता हूं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जो वहां के गांव के जो शरायत हैं उनके मुताबिक जिन गांवों में लोगों को अपने मवेशी चराने का हक है वह जरूर उनको मिलना चाहिये । और वे जो पत्ते और लकड़ी वगैरह तोड़ते थे उन्हें उसी तरह की इजाजत रहनी चाहिये । मैंने इस पुस्तिका में देखा है कि बहुत सी जगह वहां पर लोगों को जंगल चराने से मना कर दिया गया है । मुझे नहीं पता कि वह कौन सी जगहें हैं ? लेकिन मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया ।

समझता हूं कि जहां पर छोटे-छोटे जंगल हैं अगर वहां पर यह स्थिति पैदा हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि जहां पर एक हजार एकड़ से कम का रकबा हो वहां पर जंगल न रखा जाय। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि हम बहुत से जानवर ले आ कर उन जंगलों में छोड़ रहे हैं, शेर, चीता, भेड़िया वगैरह। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम जो मैदानी इलाके हैं, उनके जंगलों में कहीं उनको न छोड़ दें। छोड़ना है तो पहाड़ी जंगलों में छोड़ें। अगर उन्होंने गांव के पास ला कर उन जानवरों को छोड़ दिया, तो मैं समझता हूं कि दूसरी तरह से रुपया खर्च करना पड़ेगा और उन्हें मरवाने के लिये इंतजाम करना पड़ेगा। इस तरह एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो जायगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी जरूर इस पर ध्यान देंगे।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो जंगल ऐसे हैं, पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने यह कहा कि खेती पैदा करो, जंगल तोड़ लो। अब यह कहती है कि जंगल लगाओ खेती छोड़ दो। अगर इस तरह की बात हुई, तो यह एक बहुत खतरे की बात है। जिन लोगों ने सन् १९४६ में जंगल तोड़ लिये थे, और किसी तरह से वहां के लेखपाल ने उनकी खेती दर्ज नहीं की है। मैं समझता हूं कि वह काश्तकार हैं और उनको आठ-आठ, दस-दस साल खेती करते हो गये हैं, उन्होंने अपनी जमीनों पर काफी रुपया खर्च किया है, अब उनसे कहा जा रहा है कि इसको छोड़ दो, यहां पर जंगल लगाया जायगा। यह मेरी समझ में नहीं आया। पहले उनसे कहा गया कि अन्न उपजाओ योजना में अन्न पैदा करो और अब जंगल बढ़ाने की स्कीम में कहा जा रहा है जंगल पैदा करो। एक ही बात को दो तरीके से कहना मेरी समझ में नहीं आया। यह किस तरह से ठीक बैठेगा ? तो मेरा सुझाव है कि जो सन् १९४८ से या सन् १९५२ से जब से जमींदारी खत्म हुई है उससे पहले के जो टूटे हुए जंगल हैं वह खेती के लिये ही रहने चाहियें, न कि अब उनमें जंगल लगाने चाहिये।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जहां तक रेगिस्तान का सम्बन्ध है वाकई में फैलाव हो रहा है और मथुरा की तरफ काफी कोशिश की है। मैं समझता हूं कि वहां पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में काफी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है और हवा के जरिये रेत फैलती और बढ़ती चली जा रही है। तो उसको रोकने की तरफ ज्यादा ध्यान जाना चाहिये। इस तरह हमारे मुल्क की काफी तरक्की होगी।

चौथी बात यह कहनी है कि जो जंगल लगाये जायं उसमें फलों के भी पेड़ होने चाहिये। उससे यह फायदा होगा कि जहां पर हमको लकड़ियां मिलेंगी, रेगिस्तान से सुरक्षा होगी, वहां पर हमको अपने देश को फल देने की एक हमारी स्कीम होगी और अपने देश को फल दे सकेंगे।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर तीन वर्षों से जब इस वन की मद पर इस ऐवान में बहस होती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जंगलात केवल पहाड़ पर ही हैं और ज्यादातर इस मद पर पहाड़ के ही लोग बोला करते थे जिससे मुझे एक भय होता था कि शायद लोग यह समझते हैं कि वन पहाड़ पर ही हैं। लेकिन अब यह धारा बदलती सी मालूम पड़ रही है जिससे मुझे विश्वास हो गया कि अब लोगों का ख्याल मैदान पर भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूरी तौर पर सहमत हूं कि जो धन प्लानिंग कमीशन से वन लगाने के लिये दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं जंगलात की तरफ जब तक पूरे तौर पर तवज्जह नहीं होगी तब तक हमारे धंधे, उद्योग-धंधे, बड़े या छोटे, उनकी तरक्की नहीं हो सकती। मैं उनके साथ इससे भी सहमत हूं कि हमको सड़कें भी काफी बनवानी हैं। लेकिन सड़कों के वास्ते रुपया काफी होना चाहिये, रुपया कहां से मिले ? यह खूब

[श्री इस्तफा हुसैन]

आपके मुहकमे की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि रुपया कमाने का मुहकमा है। मैं देखता हूं कि गोरखपुर जिले के अन्दर सड़कों की हालत जो वनों के अन्दर हैं, बहुत खराब है। सड़कों में (Ravines) है और उन पर बैल गाड़ियां तक नहीं चल सकतीं। कई वर्षों से यह हालत है। हम लोग बराबर गोरखपुर वाले यह सुझाव देते रहते हैं कि गोरखपुर की सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैं जानता हूं कि सड़कों की मरम्मत के वास्ते रुपया ठेकेदार से लिया जाता है लेकिन मैं एक तरीका और मंत्री जी को बता देना चाहता हूं। वह यह है कि ऐन० ई० एस० ब्लाक्स के अन्दर काफी रुपया रहता है और इनके हाकिम फारेस्ट की सड़कों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं हालांकि उनके लिये आलटर्नेटिव रूट्स हैं। लेकिन उनको बहुत आसानी है क्योंकि फारेस्ट की सड़कों पर एक तो ट्रैफिक कम रहता है और दूसरे तफरीह भी मिलती है। इसलिये वह बजाय इसके कि पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर जायं और अपना काम करें वे फारेस्ट डिपार्टमेंट की सड़कों को इस्तेमाल में लाते हैं। इस लिये अगर ऐन० ई० एस० वाले इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी रुपया लिया जाय।

दूसरी बात यह है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर जहां बैलगाड़ी और मोटर के चलाने का इंतजाम है वहां पर एक इंतजाम फारेस्ट के ट्रांसपोर्ट का ट्रामवेज है। गोरखपुर के अन्दर एक हिस्सा ऐसा है। एकमा से लेकर चौराहा तक ट्रामवेज का इंतजाम है। हल्दवानी के अन्दर ट्रामवेज थी उसको डिसमेंटिल कर दिया गया। मेरा खयाल है कि हल्दवानी में जितना ट्रामवेज का सामान था उसको गोरखपुर में काम में लायें। और चौराहा से और दूसरी तरफ एक्सटेंड करें तो आपके फारेस्ट को काफी आमदनी हो सकती है।

मैं इस मुहकमे की एक और बात की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि छोटे मुलाजिमों की तनख्वाह जहां कि और मुहकमों में दो रुपया बढ़ाई गई है इस मुहकमे के छोटे मुलाजिमों की तनख्वाह में उस दो रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया है। बहुत कम तनख्वाह होती है फारेस्ट गार्ड्स की, फारेस्टर्स की, वाचेज की। उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने की जरूरत है। उनकी वर्दी को ले लीजिए। उनको वर्दी भी साल में एक बार नहीं मिलती है। जंगलों में कांटे होते हैं, वहां सांप बिच्छू आदि के बीच में उनको जाना पड़ता है, फारेस्ट गार्ड्स को, वाचेज को उन जंगलों में बरसात में, हर मौसम में चलना पड़ता है, उनके वास्ते काफी अच्छे किस्म के जूते और वर्दी भी अच्छी किस्म की देनी चाहिए। फारेस्ट मुहकमे के अन्दर जब रेंजरों के तबादले होते हैं उसका ऐसा इन्तजाम किया गया है कि फारेस्ट रेंजर्स को हमारे ईस्टर्न सर्किल में ऐसे तकसीम किया गया है कि कुछ फारेस्ट रेंजर्स को जो अच्छे किस्म के हैं उनको अच्छे रेंजेज दिये जाने चाहिये। लेकिन जो फेहरिस्त बनाई गई है उस पर भी अमल नहीं किया गया है। ईस्टर्न सर्किल में ६० जगहें हैं तो साठ रेंजर्स भी होंगे। उनमें से जिन्हें अच्छा समझा जायगा उनको नम्बर वन में रखा जायगा। लेकिन उस आर्डर के अन्दर एक नोट भी लिखा हुआ है कि उन तबादलों के ऊपर जब खयाल किया जायगा तो दस फीसदी उसमें से ऐसे भी होंगे कि जहां पर के लिए कि कंजर्वेटर साहब खयाल करेंगे कि अपने टी० ए० वगैरह को बचाने के खयाल से हम उसमें तरमीम कर सकते हैं। तो यह जो दस पर्सेंट वाला है उसमें बड़ी गुंजायश है। अब पिछले साल के तबादलों के ऊपर ध्यान दें तो शायद सभी वही लोग उस दस परसेंट में रखे गए हैं जो कि किसी तरह से कंजर्वेटर के चहेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि मेरिट से तबादला होना चाहिए। पारसाल जो तबादले हुए हैं उनमें ऐसा हुआ है कि एक-एक शख्स के वास्ते छः-छः मर्तबा तबादले हुए हैं। भला बताइये कि इस किस्म की इनसिक्योरिटी की पोजीशन रहे तो क्या दशा होगी? रेंजर्स समझते हैं कि हमको तो चाहे जैसे हो इधर-उधर से कोशिश कर के उस दस पर्सेंट में रहना है तो बजाय इसके कि वह एफिश्यंसी

जहां आवे वह इसी प्रकार की कोशिश करते हैं कि हमको किसी न किसी तरीके से उस दस पर्सेंट वाले घेरे में पहुंच जाना चाहिए।

चौथी बात जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह दिलाने की कोशिश करूंगा वह यह है कि जब कभी फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर यह ख्याल पैदा होता है कि नाजायज शिकार बहुत हुआ करते हैं तो यकीन करिए कि नाजायज शिकार फारेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से हुआ करते हैं। मैं बताऊं कि मैं खुद पोचर (poacher) रहा हूं और मैं जब कभी शिकार करता था तो फारेस्ट रेंजर्स से मिल कर के शिकार करता था। तो आपने जो एक मुहकमा कायम किया है कि एक स्क्वाड रहेगा और वह हर डिवीजन के अन्दर घूमा करेगा, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह जो फारेस्ट के अन्दर नाजायज शिकार होते हैं उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वह तो साल भर में कहीं एक दो बार ही आ सकेगा जब कभी भी वह आवेगा तो सदर मुकाम पर आवेगा। तो फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर आपको मालूम ही है हर जगह टेलीफोन है, तो हर तरफ मालूम हो जायगा कि स्क्वाड आया हुआ है, वह पकड़ेगा। इसलिए जब तक कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की मदद किसी को नाजायज शिकार खेलने के लिए है तब तक वह हरगिज बन्द नहीं हो सकता अगर आप इस तरफ ज्यादा तवज्जह दें बजाय इसके कि यह इतना रुपया इन स्क्वाडस् के ऊपर लगावें, अगर यह रुपया इस मुहकमे को सुधारने में लगावें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है आज कि इस सदन के काफी माननीय सदस्य जंगलात विभाग में भी कुछ दिलचस्पी लेने लग गये हैं और उसका ही यह नतीजा है कि आज चार घंटे का समय इस चीज के लिए रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब माननीय मंत्री जी से जंगल के गुणों की चर्चा सुन रहा था तो मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि यह किस डिपार्टमेंट के मन्त्री हैं और जिस डिपार्टमेंट की संरक्षता में यह चल रहा है वह डिपार्टमेंट तो सारे हमारे प्रदेश के मालिक, रुपया देने वाले, माननीय वित्त मंत्री जी से वास्ता रखता है। जब फारेस्ट डेवलपमेंट के लिए, २,३९ लाख रुपया केवल ५ साल के लिए रखा गया, इससे यह स्पष्ट है कि वह जंगलों के महत्व को अभी ज्यादा नहीं समझते। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना अवश्य करूंगा कि आपने इतना कम रुपया इतनी बड़ी स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बनाने के लिए रखा। अगर आप उसका ५ साल का हिसाब लगायेंगे तो करीब ४०–५० लाख रुपया साल में बैठता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जानते होंगे कि हम इतना रुपया तो राइट आफ कर देते हैं, गवर्नमेंट के किसी मद में। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि भले ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर २,३९ लाख रुपया रखा गया हो, जितने डेवलपमेंट के काम हमारे फारेस्ट डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि हमारा प्रदेश उन्नति करे तो आपको कहीं न कहीं से रुपया निकालना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया से, चाहे सप्लीमेंटरी के रूप में अन्य विभागों से।

एक बात इसमें हमारे कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में जिसकी चर्चा माननीय नारायणदत्त जी ने भी कुछ की, मैं समझता हूं कि अब इस बोर्ड का कोई काम नहीं रह गया है और वह इसलिए नहीं रह गया है कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बन जायगी तो उसके लिए २,३९ लाख रुपया मिल चुका है। अगर कोई स्कीम इस डेवलपमेंट बोर्ड में बनाना चाहें तो दूसरी बात है कि जो स्कीम हमारा कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बनावे सरकार के लिए कुछ और रुपया देने को तैयार हो जाय तो उस बोर्ड का कुछ फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि ऐसे एरियाज जिनका डेवलपमेंट आप कागज में रखते हैं उनमें अगर डेवलपमेंट कार्पोरेशंस बनाये जायं

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

उनके डेवलपमेंट की सारी चीज उनके यहां की इंडस्ट्रीज, रोड्स इत्यादि अगर बिजनेस लाइन पर रन कर दी जायं और उसके लिए करोड़ों रुपया दे दिया जाय तो इसका फायदा यह होगा कि वह इलाका तरक्की करेगा और हमारे प्रदेश के लिए जो धन खर्च कर रहे हैं उसकी भी बचत हो सकती है। तो इस लाइन पर अगर सोचा जाता हो तो उससे तो मैं सहमत हो जाऊंगा, पर फिजूल के लिए खर्चा करना इससे कोई फायदा नहीं। कहने को यह हो जाता है कि पर्वतीय प्रदेश के लिए लाखों और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन यह केवल हमारे यहां का प्रश्न नहीं है, सारे प्रदेश का है।

मैं एक राय पर इत्तफाक नहीं कर सका कि उन जगहों पर पेड़ न लगाये जायं, नयी-नयी जगह पर पेड़ लगाये जायं। एक तरफ तो आप जंगलों को बरबाद कर रहे हैं, उन्हीं पर जंगलों को लगाना आवश्यक है। अगर खेती के ऊपर पेड़ लगाने शुरू कर देंगे तो एतराज होंगे। सहारनपुर के भाई एतराज कर रहे थे कि क्यों वहां लगाते हैं? तो जिन जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं उन पर भी लगाना चाहिये। एक चीज की चर्चा सदन में भी हो चुकी है और विभागों के सम्बन्ध में, लेकिन आज यह विभाग भी है, जिसके सम्बन्ध में भी की जा सकती है। रेजिन का काम हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा काम समझा जाता है और देश में सबसे बड़ी टरपेंटाइन फैक्टरी हमारे देश में है। उसके लिए रा मेटिरियल जितना आता है वह सब पर्वतीय प्रदेशों से आता है। वह कम्पनी बरेली में है, पहले वह प्राइवेट थी, बाद को सरकार ने उसके ७५ पर्सेन्ट शेयर्स लेकर अपने कर लिए हैं और २५ परसेन्ट अब भी बाहर के लोगों के हैं। जितना हमारे पर्वतीय प्रदेशों के अन्दर लीसा होता है वह सारा मोनोपोली बेसिस पर इस टरपेंटाइन आयल कम्पनी को दे दिया गया है। उसकी जो रायल्टी चार्ज की जाती है वह दो लाख मन तक एक रुपये मन और उसके बाद ४ आने मन तक रायल्टी बंध जाती है। पर्वतीय प्रदेशों के अन्दर जहां पर आप चर्चा करते हैं कि गृह उद्योग-धंधे होने चाहिये वैसे उधर की तरफ नहीं होते हैं। हमने माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए तैयार किया कि गृह उद्योग में भी हम रोजिन और टरपेंटाइन बहुत अच्छा बना सकते हैं। वहां की जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी मदद करनी चाहिये। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे चारों जिलों के लिए ५ या १० हजार मन लीसा देने की बात कही है।

रानीखेत कोआपरेटिव सोसाइटी को भी इसी प्रकार ५ हजार मन लीसा साढ़े बारह रुपये मन के हिसाब से सालाना दिया जायगा। यह रेट इसलिए बताता हूं कि कोई ७ रुपये मन कहता है, कोई १२ रुपये मन। वह कोई सच्ची बात नहीं है। उसकी सफाई माननीय मंत्री जी के सामने कर देना चाहता हूं। हम उस सोसाइटी को गृह उद्योग से चलाना चाहते थे और माननीय मंत्री जी को उसके उद्घाटन के लिए ले गये और मुझे खुशी है कि जो वहां के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका मुकाबला उन प्रोडक्ट्स से जो अन्य कम्पनियों ने तैयार किये हैं, किया जाय तो वह उनसे किसी हालत में कम नहीं हैं अच्छाई में। एक छोटी सी फैक्टरी थी फिर भी १५--२० मजदूर वहां काम कर रहे हैं और उससे भी जो मुनाफा होगा वह ५०० जो सोसाइटी के शेयर होल्डर्स हैं उनको जायगा और साथ ही साथ उससे हमारे यहां के लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर कम से कम ५० मन रोज का लीसा हम काम में लावें तब १५,००० मन लीसा की साल में आवश्यकता होती है ताकि हम बारह महीने उसमें काम कर सकें। अगर उसको इकोनामिक बनाना है तो कम से कम १५,००० मन लीसा उसको सप्लाई करने की आवश्यकता है। जितना लीसा आज सप्लाई किया जाता है उसके हिसाब से तीन चार महीने के अन्दर वह पूरा हो जायगा और बाकी महीने वह खाली पड़ी रहेगी। तो चाहे एक जिले के अन्दर एक ही को आप दें, लेकिन जिसको दें उसको इतना अवश्य दें जिससे

वहां के काम करने वालों को साल भर एम्पलायमेंट मिलता रहे और बेकारी न फैले। साथ ही साथ उसी रेट पर मिलना चाहिये जिससे इस प्रदेश को फायदा पहुंचे और हमारे उद्योग भी आगे बढ़ सकें।

दूसरी बात है खैर के सम्बन्ध में। हमारे यहां खैर के पेड़ बहुत होते हैं और उसकी इंडस्ट्री में हमारे बहुत से मजदूर काम करते हैं जो कि पूर्वी जिलों से आते हैं। जो पहाड़ों में माइग्रेशन करते हैं वह भट्ठों के अन्दर उसको पका करके उससे काम लेते हैं। इस प्रकार हजारों मजदूर उसमें काम करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि अगर काटेज इंडस्ट्री के तरीके पर हमारे तराई के लोग जो काम करते हैं अगर उसे आप मदद कर देते तो बहुत अच्छा है। बरेली में आलरेडी एक फैक्टरी है, गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रही है। अगर दूसरी फैक्टरी खुल गयी तो हजारों मजदूर बेकार हो जायंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर यह चाहते हों कि उसको और ज्यादा बड़े स्केल पर कराया जाय तो उसे कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिया जाय और जो मजदूर आज तक वहां काम करते थे उनको बेकार न किया जाय और उन्हीं को काम में लगावें। इस प्रकार वह हमारी बेकारी की समस्या को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और करना चाहता था कि बाई-ग्रास का सवाल है। बजोरिया कम्पनी को सारी घास जितनी हमारे वन विभाग में है वह सहारनपुर वालों को मोनोपोली बेसिस पर दे दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, सड़क के पास और जितनी कंडियां होती हैं उनमें एक अन्दर कंडी होती है और एक बाहर कन्डी होती है। सड़क के किनारे किनारे जो बाबर (बाई-ग्रास) होती है वह तो कट जाती है और अन्दर की तरफ जो बाबर की घास होती है वह सारी की सारी वैसे ही पड़ी रहती है। जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे जितने पेड़ जंगलों के अन्दर होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और जंगलों का बड़ा भारी नुकसान हो जाता है इसलिये जितनी उनको आवश्यकता है अगर उन्हें सात लाख मन चाहिये तो वह उन्हें दे दिया जाय हमें कोई उज्र नहीं है लेकिन बाकी बची हुई इस घास को इस्तेमाल करना चाहिये, इसका पैसा भी मिल सकता है, इससे नई फैक्टरी भी खोली जा सकती हैं और जो जंगल हमारे बर्बाद हो रहे हैं उनकी भी रक्षा हो सकती है।

एक चीज और भी है। किसी की कोई चीज बह गई और उसने जंगल विभाग को अर्जी दे दी कि हमारा इतना नुकसान हो गया और हमें उसके एवज में जंगल का एक लाट दे दी जाय। जंगल विभाग के अफसरान लिख देते हैं और वह उसको दे दिया जाता है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसी को सरकार के किसी काम से लास हो गया, जंगल विभाग की वजह से किसी किस्म का नुकसान हो गया तो उस नुकसान का एस्टीमेट करके उसको नुकसान का पैसा दे दिया जाय बजाय इसके कि प्लाट दे दें जिससे कि बाद को वह नाजायज फायदा न उठावें। लेकिन मैं बहुत बातें अब न कह कर के गो कि कहना बहुत था एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जंगल बहुत लम्बे-चौड़े हैं। जहां यह आवश्यकता है कि जंगल अधिक लगायें जायं वहां साथ साथ में यह भी कहूंगा कि हमारे जंगल जिस तरह से बर्बाद किये जा रहे हैं उनके बर्बाद करने में थोड़ा रिस्ट्रेंट रखने की जरूरत है।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वन अनुदान का जिस पर इस समय विवाद चल रहा है समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह हर्ष की बात है कि आज सरकार का ध्यान वनों के निर्माण और विकास की ओर है। श्रीमन्, एक युग था जब वनों के निवारण के लिये प्रयत्न हुआ और आज युग बदला, उसने बताया कि वनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन मैं तो इस समय सरकार का ध्यान गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी और उसकी बेरोजगारी की ओर दिलाना चाहता

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

हूं। सन् १८८४ में जो बिगर सेटिलमेंट हुआ था उस अवसर पर १८४ गांव गढ़वाल के वन के लिये जब्त कर लिये गये थे। नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे लोग भूमि से विहीन हुए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी को देखते हुए हम लोगों के सामने यह बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि हम किस प्रकार उस बढ़ती जनता का प्रबन्ध करें ? हमारे बुजुर्ग भाबर और तराई में १० आदमियों का परिवार ले कर आये तो मलेरिया और दूसरी बीमारियों में वह ६ आदमियों को वहीं खत्म कर गये और ४ आदमियों के परिवार को वापस लेकर लौटे। फिर २०, २५ वर्ष बाद भूमि की कमी के कारण वह ८ आदमियों को फिर लेकर तराई में लौटा और फिर चार आदमियों को वापिस लेकर पहाड़ को लौटा। आज रिफ्यूजी और दूसरे लोगों को बहुत सी जमीनें भावर और तराई में दी जा रही हैं लेकिन अफसोस यह है कि पहाड़ियों को और खास कर गढ़वाल के लोगों को अभी तक कोई भी जमीन कहीं पर भावर या तराई में नहीं दी गई जिसमें गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी को रखा जा सके। यदि मैं कहूं कि यह गढ़वाल के साथ ज्यादती है तो शायद माननीय सदस्यों को नहीं जंचेगा और सरकार की भी सहमति नहीं होगी लेकिन मैं यह भी उचित नहीं समझता हूं कि मैं जिस जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं यदि मैं उसकी वास्तविक आवाज आपके सामने न रखूं तो उसके साथ अन्याय होगा। खास कर के वन विभाग के छोटे-छोटे कर्मचारियों के द्वारा जो गांव वनों से घिरे हुए हैं वहां के लोगों को तकलीफें होती हैं। आज भी जब कि बेगार प्रथा नहीं है, देश आजाद हो गया है। वनों से घिरे हुए गांवों में बसने वाले लोगों से सब तरह की बेगार ली जाती है और अगर वे बेगार नहीं देते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि उन लोगों पर बड़े लम्बे-लम्बे जुर्माने कर दिये जाते हैं और पहले से ही सरकार और वन विभाग की तरफ से ऐसा प्राविजन है कि उसमें कोई अपील भी कारगर नहीं होती है जिसके कारण वे गरीब लोग उस जुर्माने को नहीं दे पाते हैं और उन्हें अपने पशु खोना या जेल जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक गांव था जिसमें पहले दस मवासे रहते थे लेकिन अब उसमें बीस मवासिन हो गये हैं पर उनके खेती के हकों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि खास कर के पहाड़ों में काश्तकारी के लिये वहां के लोगों के हक बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरी चीज यह है कि जो जंगल से घिरे हुए गांव हैं उन जंगलों में मुनारे ऐसे हैं जो गांवों में आबाद जमीन से मिली हुई जमीन पर हैं और बन का कायदा ऐसा है कि १००, १५० फीट के बाहर कोई जमीन को आबाद नहीं कर सकता है। जब कि उन लोगों के पास जमीन पहले से ही कम है और ऐसी हालत में अगर वह आबाद करते हैं तो उन पर जुर्माना कर दिया जाता है। इसलिये ऐसे मुनारों को जो गांव से लगी हुई जमीन पर हों अगर जंगलों का कोई नुकसान न हो तो उनको हटाने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

तीसरा सुझाव यह है कि गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी को कहां ले जाया जाय, यह एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने है। अंग्रेजों के जमाने में तो गढ़वाल के लोग फौज और पुलिस के लिये रिजर्व होते थे। लेकिन आज सब को समान अधिकार मिलने के कारण फौज में उनकी भर्ती अब उस प्रकार से नहीं होती है। पहले वन विभाग में भी गढ़वाल के लोग बड़ी तादाद में छोटी-छोटी नौकरियों में होते थे लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। पहाड़ों में ठीक रास्ते न होने के कारण वनों की उपज, जैसे देवदार, शहद, लीसा, वनस्पति आदि ये सब चीजें वनों के अन्दर ही सड़-गल जाती हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि वन विभाग ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों में मोटर सड़कों का निर्माण करे। इससे वनों की भी उन्नति होगी और वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा कालागढ़ से लगा कर कोटद्वार तक चार मील चौड़ी पट्टी सुरक्षित रखी जाय और वहां पर गढ़वाल की बढ़ती हुई जनता को बसाया जाय और जिस प्रकार की सुविधायें गंगा खादर, मेरठ और नैनीताल

तराई में बसने वाले लोगों को दी गयी हैं उसी प्रकार की सुविधायें उन लोगों को देनी चाहिये ।

इसके अलावा खास कर गढ़वाल में फौजी बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है । कल तक तो हम गांधी जी और जवाहरलाल जी के नाम से उन सैनिकों को बहकाते आये हैं लेकिन अब धीरे-धीरे उन पर कम्युनिस्टों का प्रभाव होता जा रहा है । जनरल रोमेल ने इजिप्ट में कहा था कि गढ़वाल पलटन जैसी पलटन मुझे मिल जाय तो मैं संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूं । इसका उल्लेख कई बार पंडित जवाहरलाल ने अपने लेखों और भाषणों में किया है । तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जो ऐसे सैनिक आज हजारों की तादाद में गढ़वाल में बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको इस प्रकार बेरोजगारी के कारण कम्युनिस्टों के हाथ में चले जाने से कितना नुकसान होगा । अगर ऐसा हो गया तो इतिहासकार बड़े दुःख के साथ लिखेगा कि बदली हुई दुनिया के अनुसार इस हुकूमत ने अपने को नहीं बदल पाया । इसलिये मैं निहायत अदब से इस सदन के माननीय सदस्यों और मंत्री महोदयों से प्रार्थना करूंगा कि कालागढ़ से लेकर कोटद्वार तक चार मील चौड़ी पट्टी जिसमें कोई ऐसे पेड़ नहीं हैं डिफारेस्ट करने की कृपा करें ।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में हमारे बहुत से भाइयों ने कई तरह की शिकायतें की हैं, मुझे वह भी हौसला नहीं है । इसलिये कि मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूं जहां आज की संतान को जंगल देखने का अवसर ही नहीं मिल रहा है । यह दूसरी बात है कि २००/४०० या हजार मील जायं तब कहीं जाकर जंगल देख सकेंगे और जंगल के सुख का अनुभव कर सकेंगे । मैं समझता हूं कि सब से बड़ा अन्याय तो यह है कि जो अनुदान यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके लिये इतना कम रुपया रखा गया है कि उसकी उपयोगिता को देखते हुए यह नहीं के बराबर है ।

एक बात और जान पड़ती है कि मंत्री जी ने जैसा संकुचित विचार रखा है उसका फल यह हुआ है कि इतना कम रुपया मिला है । उन्होंने अगर सम्यक् दृष्टिकोण रखा होता और पूरे प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते तो काफी रुपया मिला होता जिससे कि सारा प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्य का सुख उपभोग कर सकता था । आज से १५–२० वर्ष पहले हमारे जिले में जो ७० मील लम्बा और ६५ मील चौड़ा है, काफी जंगल था और उसमें बचपन में मुझे खेलने का अवसर मिला है । उसमें तरह-तरह की चीजें और पशुओं के चारे के लिये पत्तियां और घास इत्यादि रहती थीं । आज जंगल के टूट जाने से वहां की जमीन जिसमें बहुत सी चीजें पैदा होती थीं और वह किसानों के लिये उपयोगी होती थीं आज वह उस शरीर की तरह हो गई है जिसका मांस गल कर खत्म हो जाय और ठठरी रह जाय, बर्मन की शीशी के फोटो की तरह से ।

टोंस नदी हमारे जिले में सीधे ६० मील की है और सर्पाकार ढंग से १२० मील लम्बी है । उसके दोनों किनारे सघन जंगलों से आच्छादित रहते थे । आज सारे जंगल कट गये हैं, वहां की जमीन खेती के लायक नहीं रह गई है । कोई दरख्त नहीं है वहां खंडहर-सा नजर आता है । नाप जोख की जाय तो करीब २५ हजार एकड़ जमीन खराब हो गई है । छोटी नदियों की हालत यह है कि जहां देखते हैं पानी नजर नहीं आता है । पहले पानी से नदियां भरी रहती थीं । आज जैसे मरा हुआ आदमी दांत निकाल देता है ठीक वही हालत उनकी हो गई है ।

[श्री शिवराम राय]

मेरा ख्याल यह है कि वन हमारे लिये जीवन प्रदान करने वाला अंग रहा है। जैसा मंत्री जी ने बतलाया कि इससे बहुत से लाभ हो सकते हैं और पंचवर्षीय योजना के लिये भी यह बहुत उपयोगी हो सकते थे। बहुत से उद्योग धंधे जो कच्चे माल पर ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यदि कच्चा माल आसानी से उस स्थान पर न मिल सके नहीं तो बाहर से मंगाने में बड़ा खर्चा करना पड़ता है। मिर्जापुर में कागज का कारखाना खड़ा करना है। किसी कारखाने के चलाने के लिये कम से कम १०० वर्ष का इन्तजाम करना चाहिये नहीं तो वह घाटे से चलेगा जैसी कि आवश्यकता है। इन सब चीजों के लिये ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा जंगलों में मधुमक्खी पालन, तरह तरह की जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ी और लाख वगैरा नाना प्रकार की चीजें पैदा होती हैं। इनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारे मित्र ब्रजबिहारी मिश्र आजमगढ़ के रहने वाले हैं और उनके घर के पास ही १०० मील एकड़ का जंगल था। अब जिले में आप चप्पे चप्पे घूम जाइये एक एकड़ भी जंगल नहीं रह गया है। मुझे दक्षिणी भारत, बम्बई, मदरास और बिहार वगैरा जाने का अवसर मिला है सब जगह के जंगलों को मैंने देखा है और इन जंगलों की प्राकृतिक शोभा को देख कर जो आनन्द होता है वह ऐसा होता है जिसे देख कर जैसे बड़ी भारी भूख मिट जाती है। मैं चाहता हूं कि इसमें काफी रुपया खर्च किया जाय तभी हमारा प्रदेश फले फूलेगा। अभी तो मथुरा की तरफ रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है, उसका प्रबन्ध किया गया है। यदि उसका काफी प्रबन्ध न किया गया तो हम देखेंगे कि जहां काफी गल्ला पैदा होता है वह सब जगह उजड़ जायंगी। एक समय था जब खेती बढ़ाने के लिये, ज्यादा अन्न पैदा करने के लिये सारे जंगल तोड़ दिये गये। उस समय इसकी आवश्यकता थी, वैसा किया गया लेकिन अब हमारी एक संगठित सरकार है और आपको सभी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज जंगलों की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि खेती की या और दूसरी चीजों की, इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इसकी उपयोगिता को समझ कर इस तरफ पूरा ध्यान देंगे।

श्री महादेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा सुझाव यह है जो इस विभाग के लिये अगले पांच साल के लिये २ करोड़ रुपया रखा गया है उससे इस विभाग का कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। जमींदारी उन्मूलन होने से सारे जमींदारों ने जंगलों को काट कर बर्बाद कर दिया लेकिन उनकी पूर्ति की तरफ अभी तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। जो जंगल हैं उनमें न तो सड़कें बनाई जाती हैं और न वहां पूरा स्टाफ रखा जाता है कि जो जंगल की पूरी देखभाल करे। इसलिये मेरा पहला सुझाव है कि जंगलों की देखरेख के लिये वहां फारेस्ट गार्ड, रेञ्जर, डिप्टी रेञ्जर आदि काफी तादाद में रखे जायं ताकि जंगलों की पूरी देखरेख हो और वह काफी लगाये जायं।

दूसरे, जंगलों के दरम्यान जो बैलगाड़ियों की सड़कें हैं वह बड़ी बुरी हालत में हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, न पी० डब्लू० डी०, न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और न फारेस्ट डिपार्टमेंट ही उनकी मरम्मत कराता है। अक्सर जंगलों के बीच बैलगाड़ी उलट जाती है और वह बेचारे ८, ८ दिन तक जंगलों में पड़े रहते हैं जहां न उनको पानी मिलता है और न रास्ता।

इसके अलावा एक तीसरा सुझाव मेरा यह है कि उन सड़कों पर पक्के पुल बनवा दिये जायं क्योंकि कच्चे पुल हर साल खराब हो जाते हैं। जंगल से लकड़ी काटी जाती है और वह पुल बनाये जाते हैं, तो इस तरह से लकड़ी भी खराब

होती है और पुल भी बेकार हो जाता है। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे पुलों को पक्का किया जाय, इससे जंगलों का बड़ा लाभ होगा।

इसके अलावा जंगल विभाग में नीचे दर्जे के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। उनकी दवादारू का कोई प्रबन्ध नहीं है, बीमार पड़ने पर उन्हें १०, १५ मील जाकर दवा करानी पड़ती है। उसका प्रबन्ध होना चाहिये। उनकी वर्दी के लिये मीटिंग में यह तय हुआ था कि उनको वर्दी दी जायगी, लेकिन अभी तक उनके पास एक ही वर्दी रहती है और उसी को वह साल भर पहनते हैं। इस वर्ष के बजट में भी इसके लिये कुछ नहीं किया गया है। मोटर रोड तो बड़े लोगों के लिये बन जाती है लेकिन बैलगाड़ियों के लिये हमारे माननीय मंत्री जी ने काफी रुपया नहीं मांगा। इसकी जरूरत है।

जंगली जानवरों के पालने के लिये प्रबन्ध किया गया है, लेकिन शहरी मवेशियों की तरफ, जो जंगलों को तबाह करते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग जब घूमने जाते हैं तो तमाम लोग शिकायत करते हैं। इसके लिये बहुत सी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं लेकिन उन मवेशियों को रोकने का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। इसका प्रबन्ध होना जरूरी है।

जो रुपया इसमें खर्च होने के लिये रखा गया है उससे मालूम होता है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की उन्नति का कोई भी ख्याल नहीं किया जाता है। जहां पर जंगल लगाना निहायत जरूरी है और पहले जंगल रह चुके हैं वह जमीन जो परती पड़ी हुई है उसमें अभी तक जंगल नहीं लगाया जा रहा है। महज इन सुझावों के साथ मैं अधिक न कह कर अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह अनुदान प्रस्तुत किया है सदन के सामने, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं। इस मद में तो रुपया और आना चाहिये, लेकिन यह एक रुपये की कटौती और कर रहे हैं। इसमें तो पहले ही रुपया कम है।

मान्यवर, वन इस पृथ्वी तल पर देश की ही नहीं बल्कि गांवों की भी बहुत बड़ी शोभा है। पुराने जमाने में मेरा ख्याल है कि आज जितने गांव हैं हर गांव में कुछ न कुछ जंगल होते थे। इससे गांवों की बहुत बड़ी शोभा होती थी। जहां कहीं बड़े बड़े जंगल होते थे उनको बन कहा जाता था। इनके पास ही छोटा बन होता था जिनको उपवन की संज्ञा दी गयी। इसी तरह से बाग और वाटिकाएं होती थीं जिनसे उन गांवों और देहातों की बहुत बड़ी शोभा बनी रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे इनकी उपेक्षा की गयी और पिछले दिनों ऐसी उपेक्षा की गयी और ऐसा आन्दोलन चलाया गया कि जिसके कारण कितने ही जंगल साफ किये गये केवल खेती की उन्नति के लिये। उसका परिणाम यह हुआ कि जहां से जंगल काटे गये वहां की जमीन तो कुछ खेती के लिये काम में आयी लेकिन वह जंगल जो पुरानी जमीन के जंगल हैं कुछ ऐसा लगता है कि वह ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जो कि ऊसर या खराब किस्म की जमीन रही है उसके अन्दर ज्यादातर मैदानी इलाके में ढाक के जंगल ज्यादा लगे थे जब वह कटने लगे तो इस तरह की जमीन और नदी के किनारे की जमीन कटने लगी और जितनी इस तरह की जमीन थी उस सब में कटान बढ़ने लगा। इसके साथ साथ जो जंगल कटे वहां पर जंगली जानवर रहते थे वह बाहर निकल कर मैदानी इलाकों में घूमने लगे और खेतों का बड़ा नुकसान करने लगे। खास कर नील गायों ने निकल कर बहुत नुकसान किया। जितनी इन जंगलों को तोड़ने से अन्न की पैदावार बढ़ी उससे ज्यादा इन

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

जंगली जानवरों ने जो इन जंगलों में शरण लिये हुए थे उनसे नुकसान हुआ। तो आज इस तरह से इनकी तरफ ध्यान दिया गया यह खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ और अधिक ध्यान दिया जाय और अधिक क्षेत्रों में जंगल लगाये जायं।

इस सदन में इस बात की चर्चा की गयी और कुछ नदियों के किनारे के कटाव के बारे में कहा गया कि पहले उनके किनारे पर जंगल लगे रहते थे और आज नहीं दिखाई पड़ते हैं। मुझे भी जानकारी है कि हमारे यहां नदियों के किनारे पहले जंगल थे वहां पर अब नदियां अपने किनारों को एकदम काटती चली जाती हैं और हजारों लाखों एकड़ जमीन हर साल कटती चली जाती है। इस सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ जमीन वहां पर पड़ी हुई है उसको न तोड़ा जाय। उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय कि आइन्दा लोग उसको न तोड़ें। उनको केवल जंगल ही रहने दिया जाय और जो कुछ वे तोड़ चुके हैं उनमें फिर से जंगल लगाया जाय। इस तरह से नदियों का कटाव रुकेगा और जंगल भी लग जायंगे और उसके आसपास की शोभा बढ़ेगी और बाढ़ से सुरक्षा भी हो जायगी। हमारे जिले में गोमती और सई नदी ऐसी हैं जो प्रान्त में सब से अधिक कटाव करती हैं। कटान करने वाली नदियों में ये प्रमुख हैं, लेकिन इनके किनारे पर कहीं पर भी जंगल लगाने की व्यवस्था नहीं की गयी है। पिछली बार मैंने सुना था कि कटान के कारण जंगल लगाने के लिये सरकार तैयार है और सरकार ने भी कुछ इस दिशा में काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा इस तरफ भी ध्यान दिया जाय कि जहां पर कटाव हो रहे हैं वहां पर अधिक जंगल लगाने की आवश्यकता है। जहां पर गोमती का उद्गम है वहां से इसे शुरू न करके वहां से शुरू करना चाहिए जहां से अधिक कटान है, अर्थात् जहां पर वे विलीन होती हैं। ऊपर से नीचे न आकर नीचे से ऊपर चलें। सई अपने किनारे बालू बहुत फेंकती है। जिन लोगों ने देखा है वे जानते हैं कि वह किस तरह से लोगों को बर्बाद करती है। उसके किनारे भी जंगल लगाने का काफी मौका है। हमारे जिले में बसुई नदी भी है। उसके किनारे बहुत सी जमीन अच्छी है। काफी जंगल लग सकते हैं, खेती भी हो सकती है। लेकिन वह बेकार पड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाऊंगा। उस जमीन को वे एक्वायर कर लें तो इस सिलसिले में बहुत-सा काम हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि वे रेलवे और सड़कों के किनारे पेड़ लगा रहे हैं। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कच्ची और पक्की सड़कें हैं। उनके किनारे पेड़ लगायें। सारे पेड़ उनके होंगे और उन सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को छाया मिल सकेगी।

मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वे जंगलों में हाथी और शेर पाल रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन उनको वे गहन वनों में ही रखें, छोटे-छोटे जंगलों में उनको न ले जायं। इसके अतिरिक्त हमारे यहां छोटे-छोटे जंगलों में रहने वाली एक जाति मुसहर को बड़ा लाभ होता था। ये ढाक वगैरह की पत्तियों से पत्तल आदि बना कर गुजारा करते थे। जब से जंगलों को तोड़ा गया है तब से उनका यह धंधा चला गया है। आज कितने ही सोने-चांदी, तांबे और टीन के पात्र क्यों न चल गये हों, लेकिन पत्तलों का बड़ा भारी महत्व अब भी है और उससे इन लोगों की गुजर बसर होती है। इसलिये उन आसपास के जंगलों पर इन्हीं लोगों का अधिकार हो तो अच्छा हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तावित अनुदान है उसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और जो पुस्तिका इस विभाग द्वारा दी गयी है उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ा। मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में वनों के विस्तार, संरक्षण और सुधार के विषय में पूरा-पूरा विभाग का विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किया।

श्री जगन्नाथ मल्ल---अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अब समय भी लगभग हो चुका है। अब हम उठते हैं, सवा दो बजे फिर बैठेंगे। विष्ट जी अपना भाषण बाद को जारी रक्खें।

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन पहले बैठा था तो मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में उन्हीं विषयों का जिक्र किया है जिनमें जंगलों के विस्तार और संरक्षण आदि की व्यवस्था हुआ करती है। उनका ध्यान अफारेस्टेशन की तरफ भी गया और उसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण के दौरान में की लेकिन उन्होंने कोई चर्चा फौरेस्ट एक्सपलायटेशन के बारे में नहीं की। होना यह चाहिए था कि वह इस विषय पर भी प्रकाश डालते और सदन को जानकारी करानी चाहिये थी कि जंगलों में पेड़ों के काटने, गिराने, चीरने, बहाने या ढोने की क्या व्यवस्था है जिसके द्वारा वनों में काम चलाया जाता है। इसका भी मंत्री जी जिक्र करते तो अच्छा होता। मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि जंगल विभाग ने जो भी काम आज कल हो रहे हैं उनमें, मंत्री जी मुझसे सहमत होंगे कि उनके एक्सप्लायटेशन के काम में कोई उन्नति पिछले तीन-चार सौ सालों में नहीं हुई है। वहां जैसी व्यवस्था दरख्तों को काटने, गिराने, चीरने, ढुलाने और बहाने आदि की थी वही व्यवस्था चली आती है, जैसी कि आज से ४०० साल पहले थी जब कि आज दुनिया में बड़े-बड़े आविष्कार हो गये हैं और बड़े परिवर्तन हो चुके हैं और तरह-तरह की मशीनरी ईजाद हो गई है जिनसे बहुत सुविधा से काम हो सकता है लेकिन हमें दुःख है कि अभी तक उनका उपयोग हमारे प्रदेश में नहीं हो सका है। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान एक प्रश्न के दौरान में आकर्षित किया था और बताया था कि हमारे यहां का वन विभाग बहुत पुराने तरीके से कुल्हाड़ी, आरे आदि लकड़ी काटने के प्रयोग में लाता आ रहा है और जो आधुनिक तरीके हैं क्रास कट सौज का गिरान वायर रोपवेज, लाग गेट्स, ट्रेम लाइन्स का ढोलान व बहान और साइंग मशीन्स आदि उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है और जिनके प्रयोग से हमारी बहुत सी लकड़ी जो वेस्ट (नष्ट) होती है वह बच सकती है बहुत सी टेकनिकल बातें हैं जिनका जिक्र मैं इस समय नहीं करूंगा लेकिन मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि आज भी हमारे दरख्तों को काटने, गिराने, ढोने और बहाने की जो पद्धति है वह बहुत पुरानी है जिसके कारण हमारी बहुमूल्य लकड़ी काफी तादाद में जाया हो जाती है और उसका बहुत सा भाग जंगल में ही रह जाता है और लकड़ी के जितने क्यूबिकल कन्टेंट्स (घनफीट लकड़ी) हमारे काम में आ सकते हैं वह नहीं आ पाते। तो मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस ओर भी उनका ध्यान जाना चाहिये और उनका प्रयत्न होना चाहिये कि वन विभाग का जितना भी अधिक आधुनिक ढंग से एक्सप्लायटेशन हो सके, वह किया जाय। उनका कहना यह था कि वन विभाग की हमारी आर्थिक

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि हम मैकेनाइज्ड डिवाइसेज को इस्तेमाल कर सकें। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो वे ठेकेदारों को लांग टर्म लीज देकर उनसे ज्यादा रुपया इंवेस्ट करायें और मैकेनाइज्ड डिवाइसेज को इस्तेमाल करें जिससे ये सब सहूलियतें प्राप्त हो सकें। इस विषय में अधिक न कह कर जो जरूरी बातें वन विभाग के संबंध में है उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान खींचूंगा।

पहली बात यह है कि वन विभाग जड़ी बूटियों को संग्रह करने का काम नहीं करता केवल उनको लगाने का काम करता है, नर्सरी वगैरह बनाता है और कोआपरेटिव्स के जरिये रानीखेत में जो संग्रह का काम है उससे वन विभाग का सहयोग न होने की वजह से और कोआर्डिनेशन न होने की वजह से औषधियों के संग्रह में हानि हो रही है। कोआपरेटिव सोसाइटीज को हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनको कोआपरेशन न मिलने से बहुत सी बहुमूल्य जड़ी बूटियां जो हैं वे उनको ठीक समय पर प्राप्त नहीं हो पातीं हैं। अभी मैंने सुना है कि पीपली ऐसी चीज है जो ढाई तीन सौ रुपये मन आती है उसका संग्रह कोआपरेटिव्स के जरिये रानीखेत में नहीं हो सका क्योंकि वन विभाग ने उनको ठेका देने में देरी कर दी थी। ऐसा आपस में नहीं होना चाहिये था। विचारधारा तो यह होनी चाहिये कि हमारे देश या प्रांत की भलाई में जो काम हों उनको सामने रख कर उन विभागों का आपस में समन्वय होना चाहिये तभी वह चीज कामयाबी के साथ चल सकती है।

जिला अल्मोड़ा में मैंने देखा कि ईस्ट डिवीजन का भी और वेस्ट डिवीजन का भी दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं अल्मोड़ा खास शहर में बनाये गये हैं। यह सिद्धांततः गलत बात है। जहां डिवीजनल हेडक्वार्टर हों वहीं उनके डिवीजन्स का भी हेडक्वार्टर बनना चाहिये तभी सारे जिले का अच्छी तरह से विकास हो सकता है फारेस्ट का विकास तभी हो सकता है जब फारेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े कर्मचारी उस डिवीजन में रहा करें तो मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि ईस्ट अल्मोड़े के डिवीजन का आफिस वहां से हट कर पिथौरागढ़ में खोलना चाहिये तभी पूर्वी जिले का विकास हो सकता है। मैं इस पर अब ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं और समय बहुत कम है।

जंगलात के हकों की जो लिस्ट बनी हुई है वह बहुत पुरानी हो गई है और आजकल जो समाज है उसे उनसे बहुत दिक्कत होती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पुरानी जंगलात की लिस्टों में जंगलों के हुक्क में कहीं कहीं ऐसी जगहें हैं कि १० मील की दूर पर किसी गांव को जंगल दिया गया है जबकि घर के नजदीक जंगल मौजूद है। तो उस व्यवस्था से उनको काफी कष्ट हो जाया करता है और अब आबादी भी बढ़ गयी है। पुरानी आबादी के हिसाब से जंगलों की लिस्ट बनाई गई थी परन्तु अब जो मौजूदा आबादी है उसके मुताबिक जंगलों के हकों की लिस्ट बनाई जाय। उनमें परिवर्तन होना चाहिये कि किस गांव के लिये कौन से जंगल से कैसी लकड़ी लेने में सुविधा होगी, इमारती लकड़ी और दूसरी जलाने व हथियारों की लकड़ी के लिये उसके मुताबिक यह हक-लिस्ट बनना चाहिये।

सिविल फारेस्ट में मैंने देखा है कि जितने राइट होल्डर्स हैं वा ८० साल बाउन्ड्री हैं उनमें कम्युनल फारेस्ट्स बन रहे हैं। इंस्पेक्टर पंचायत राज उन जंगलों को देखा करते हैं। वह एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं लेकिन सिलवीकल्चर नहीं समझते। इसलिये जहां ज्यादा से ज्यादा पंचायत राज जंगल बनाने के लिये प्रयत्न हो वहां फारेस्ट डिपार्टमेंट का टेकनिकल स्टाफ जरूर होना चाहिये। तभी वह जंगल पनप सकते हैं।

नयाबाद के लिये जो ग्रांट मिल रही है उनको रोका जाय और यह जरूर देखा जाय कि फारेस्ट कहां काफी हैं और कहां काफी नहीं हैं। तब जा कर इन बातों पर गौर किया जाय। अन्यथा नयाबाद ग्रांट कभी भी न मिलनी चाहिये।

मैंने मथुरा के जंगल का काम देखा। वह बहुत अच्छा हो रहा है जिसके लिये मैं मंत्री महोदय और विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर ऐसा ही काम वनों का पहाड़ी प्रदेशों में भी होता तो जरूर वह धन्यवाद के पात्र होते। लेकिन मेरा तजुरबा पर्वतीय प्रदेश का यह रहा है कि सारा पहाड़ नंगा है। स्वायल इरोजन बड़े जोर से हो रहा है। वहां पर वनों की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इसी तरह से वन संबंधी उद्योग की ओर अभी तक सरकार का कोई भी ध्यान वन उद्योग के विकास के लिये नहीं जा सका है। ऐसे ही कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड सरकार ने बनाया। उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस सदन का ध्यान आकर्षित किया कि इस में यह आवश्यक है कि वहां की जो जनता है या वहां के जो प्रतिनिधि हैं उसमें उनका हाथ जरूर होना चाहिये तभी वे लोग स्थानीय समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं। अन्यथा यह एक सरकारी चीज बन जायगी और वह निष्प्राण होकर रह जायगी। और वहां की तकलीफों का सही दिग्दर्शन नहीं हो पायेगा। ऐसे ही भूमि प्रबन्धक बोर्ड बना है। उसमें भी सरकार का ध्यान यह आकर्षित करना चाहता हूं कि जो उन्होंने सुझाव दिये हैं उनमें कई किस्म की कमियां हैं जिनका मैं यहां पर समय के अभाव से जिक्र तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित करूंगा कि जो हमारे प्रांत की आर्थिक व्यवस्था है उसमें जहां तक वनों का संबन्ध है बजट ४ करोड़ १४ लाख आमदनी का हो गया लेकिन खर्च उसके मुकाबले में १ करोड़ ६७ लाख ही कुल इस तालिका में दिखाया गया है, जो कि बहुत कम है। खर्चा इसमें बहुत ज्यादा होना चाहिये। सरकार को काफी धनराशि इस काम के लिये मिलनी चाहिये। मुझे दुख है कि जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी वनों को बहुत कम धनराशि अफारेस्टेशन के लिये दी गयी है। ऐसी अवस्था में इतनी थोड़ी धनराशि से जितना काम अफारेस्टेशन का हो रहा है वह जरूर तारीफ के योग्य है और उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय और विभाग को धन्यवाद देता हूं कि वह इतने परिश्रम से, इतना अच्छा काम कर रहे हैं।

स्टैंडिंग कमेटी में रहने के नाते मुझे जंगलों की नरसरीज को और जहां पर अफारेस्टेशन का काम हुआ है उसको देखने का मौका मिला। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं आशा करता हूं कि वन विभाग इसी प्रकार भविष्य में भी काम करता रहेगा।

कुमायूं फारेस्ट कमेटी के बारे में भी मुझे कहना है। सरकार का ध्यान बहुत दफा आकर्षित किया गया कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी में जो कुमायूं के विधायक हैं उनका होना बहुत जरूरी है ताकि वहां की कुमायूं की जो समस्याएं हैं उनको विधायक कुमायूं फारेस्ट कमेटी के सामने रख सकें। मगर दुख है कि अभी तक कुमायूं फारेस्ट कमेटी की कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी न हमें कभी जानने का या कहने का मौका मिला कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी में क्या होता है, क्या किया जाना चाहिये और क्या काम उसने किया है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ी प्रदेश यों तो मैदानी प्रदेशों का जंगलों के बारे में राजा है। क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों में जंगली लकड़ियां होती हैं उन्हीं से मैदानी इलाके का हर प्रकार का काम चलता है। हमारे देहातों में जमींदारी समाप्त होने के पहले हर गांव में छोटे २ जंगल, वन थे जिससे गांव के मवेशियों को चराने का काम लिया जाता था और फूस से छप्पर छाने का काम निकलता था। श्रीमान्, मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर खास करके लोग छप्पर के घर बनाते हैं। नीचे फूस की दीवाल, यानी टाट होती है और लकड़ियों के खंभों पर छप्पर रहता है। जमींदारी विनाश के पहले छोटे २ वन, और परतियां और जंगल थे जिससे मवेशियों के चराने का काम चलता था और फूस छप्पर बनाते थे। लेकिन जमींदारी समाप्त

[श्री रामसुभग वर्मा]

के बाद वनों को लोगों ने काट कर खेत बनाना शुरू कर दिया और यह साफ हो चला है। अब मंत्री जी वृक्षारोपण के अनेकों उपाय कर रहे हैं। लेकिन तो भी गांव में जितने छोटे २ वन है न मालूम किस प्रकार से उनकी देख रेख होती है कि वह अब भी कट रहे हैं।

अभी २ मंत्री जी ने बताया था कि २,५०० बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कुशीनगर को किस तरह से सजा रहे हैं। कुशीनगर के पास ही एक छोटा जंगल था और वह कुशीनगर के लिये बहुत ही उपयोगी और शोभा था क्योंकि जैसा मैंने बताया उससे मवेशियों के चराने का काम और फूस का काम वहां के लोगों का चलता था और कुछ हिस्से में लकड़ी मिलती थी। लकड़ियों को बेंच करके वहां के गरीब लोग अपना गुजारा करते थे। जो थोड़ी ही दूर पर सिजवा जंगल के नाम से है। और बरवा जंगल और २ मील की दूरी पर सबहा कोठी का जंगल ४ मील की दूरी पर था। बरवा जंगल इतना बड़ा जंगल था जिसमें खास करके साखू बहुत होता था। उस जंगल को जमींदारी समाप्त होने के थोड़े दिन पहले राजा साहब तम्कोही की रानी ने कुछ हिस्सा उसका जुतवाया। वहां के लोगों ने रोका था वह मामला आगे तक बढ़ा। जिलाधीश ने आकर के लोगों को समझाया कि टौंगिया तरीके से फिर जंगल लगवाया जायगा। लेकिन वहां आज फार्म हुआ है ठीक उसी तरीके से जब वह जंगल का हिस्सा कुछ बाकी था। उस जंगल में काशीनाथ पांडेय जी जो कि चीनी मिल मजदूरों के बड़े नेता हैं और आजकल कौंसिल के मेम्बर हैं उन्होंने पोलिटिकल सफरर होने के नाते मेरठ में गंगा खादर में जमीन ली है और घर पर २५,३० एकड़ जमीन है और २४ एकड़ जमीन अपने भाई के नाम से उस जंगल में ली। गांव वालों ने रोका, गांव सभा की तरफ से मुकदमा चला। सारी चीजें होने के बाद अन्त में जो पट्टा लिया गया था वह गैरकानूनी तरीके से था। अन्त में जब देखा किसी तरह से हम जीतेंगे नहीं तो लोगों को कुछ रुपया दे करके तय कर लिया और वह जंगल कट रहा है, उसमें काफी परेशानी हो रही है। दूसरा मैंने शिशवां जंगल का बतलाया। उसके संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, काफी यहां चर्चा हो चुकी है। मैंने तो मंत्री जी से जो कि हमारे साल मंत्री जी थे, उनसे कहा था, वह वहां गये थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। लेकिन वहां की ही उसी संस्था के एक साहब थे उन्होंने ४० करोड़ जमीन उसी जंगल में ली। गांव के लोगों ने आपत्ति की माननीय मंत्री जी चाहते भी थे और आश्वासन भी दिये थे लेकिन न जाने किस तरीके से वह जमीन अब तक झगड़े में पड़ी हुई है और उन्होंने वह जंगल काटने की कई मर्तबे कोशिश की। गांव के लोगों की कोशिश से वह अब तक रुका हुआ है। वह जो तीसरा मैंने बतलाया सपहा का जंगल उसको काटने की पूरी कोशिश की गई। उसको रोका गया। लेकिन इस साल न जाने कैसे कलेक्टर से मिलकर के एक साहब जो हैं, एक अंग्रेज की कोठी भी है वहीं उस साहब ने जाने कैसे इस साल उस जंगल को कटवा दिया। वह बहुत अच्छा जंगल था, उसमें शीशम के हजारों पेड़ थे। मैंने लिखा भी और जिले में भी लिखा लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, और वह जंगल कट गया। इसी तरह से हमारे यहां कई जंगल हैं और जंगलों के नाम से ही वहां गांव बसे हुए हैं जैसे जंगल पंचरुखी, जंगल बरवा, जंगल बांसगांव। इन जंगलों में खासकर के खैरा के पेड़ होते हैं और उन पेड़ों से वहां एक प्रकार का लासा लोग निकालते थे जिसको वह बाहर भी भेजते थे और उससे कुछ अपनी रोजी कमा लेते थे लेकिन धीरे-धीरे वह जंगल साफ होते जा रहे हैं और कुछ थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। गांव के लोग उनका कटना रोकते भी हैं तो भी उनकी रक्षा नहीं हो पाती और धीरे-धीरे वह जंगल सब कटते जा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इधर भी ले जाना चाहता हूं कि इन छोटे छोटे वनों, छोटे-छोटे जंगलों की रक्षा करने की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये जिनसे कि गांव वालों को बहुत फायदा हो सकता है।

*श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं सदन में उपस्थित अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वन जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं वह हमारे प्रदेश की एक महान् सम्पत्ति हैं। अगर यों कहें कि "लोक लाहू परलोक निबाहू" के साधन हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी। वास्तव में मैं समझता हूं कि ये लोक लाहू परलोक निबाहू के साधन भी हैं। लोक लाहू के संबंध में वनों से ही मानसूनी हवायें चलती हैं, बारिश होती है और बारिश से कृषि होती है जिससे कि समस्त जन का पालन होता है। परलोक निबाहू के संबंध में यह आज की ही बात नहीं है जब से यह सृष्टि आरम्भ हुई है तब से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि मानव जीवन का १/४ जंगलों में ही व्यतीत होता रहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि 'सन्त कहहिं अस नीति दशानन। चौथे पनहिं जात नृप कानन" मानव जीवन का १/४ भाग जंगलों में ही व्यतीत होता रहा है और जंगलों में क्या प्राप्त करने के लिये जाते रहे हैं? वहां उनको सुन्दर शांति मिलती थी और मोक्ष मिलता था और वहां रहकर लोग अपने मानव जीवन को सार्थक बनाते थे। आज हमारे यहां जंगलों की बहुत बड़ी कमी हो गई है। काफी जंगल इससे पहले काट-काट कर खेत बनाये गये। लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट सचेत हुई। जंगलों का पुर्ननिर्माण करने के लिये, उसे प्रोत्साहन देने के लिये उसने फिर कदम बढ़ाया है। इसलिये मैं इस सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। भगवान् राम ने १४ वर्ष जंगलों में ही बिताये थे, दंडक बन में और-और वनों में रह रहकर। भगवान् कृष्ण ने वृन्दावन, महावन तथा निधि वन में अपनी रास लीला की थी जिस रासलीला का दृश्य आज भी हम देखते हैं तो अकथनीय आनन्द होता है। मैं अपने इस प्रदेश में इस जंगल से जो आय होती है उसके संबंध में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। आय जो यहाँ पर प्राप्त होती है वह है १करोड़ ८१ लाख ७३ हजार ४ सौ बयालीस रुपये और जो व्यय होता है वह है ६४ लाख ४७ हजार ९ सौ पच्चासी रुपया। जो बचत होती है १ करोड़ १७ लाख २५ हजार २५७। यह ४६–४७ के आंकड़े हैं और गतवर्ष में जो आंकड़े हैं वे इस तरह से हैं। ३ करोड़ ७९ लाख रुपये आय हुई है, १ करोड़ ७६ लाख ३२ हजार व्यय हुआ है और २ करोड़ २ लाख ६८ हजार रुपये बचत हुई हैं।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान बाराबंकी जिले के सफदरगंज नामक स्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सफदरगंज में कल्याणी नदी के किनारे चारों ओर वनों से घिरे हुए हैं। चारों ओर वे वनों से घिरे हुए हैं। मैंने स्वयं देखा है कि तमाम औषधियां वहां लगी हुई हैं, जड़ी बूटियां लगी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज वनौषधियों के वृक्ष लगाये जाने, ईंधन और दूसरे प्रकार की उपयोगी लकड़ियों के वृक्ष लगाकर बहुत सुन्दर तरीके से हम इस उद्योग को वहां विकसित कर सकते हैं। जंगल कल्याणी नदी के चारों तरफ घेरे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की दो बड़ी नदियों की ओर भी ले जाना चाहता हूं, गोमती नदी लखनऊ से चलकर फैजाबाद जिले के किनारे किनारे बाराबंकी जिले में हो कर बहती है। जब बहिया या अतिवृष्टि होती है तब बरसात में गोमती नदी से उस जिले का अत्यधिक नुकसान होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोमती नदी में जहां बहाव अधिक होता है वहां पर बाढ़ को रोकने के लिये वृक्षों का लगाया जाना जरूरी है। वहां अवश्य वृक्ष लगाने की योजना रखी जाय। हमारे जिले में दूसरी नदी घाघरा है वह बाराबंकी जिले के उत्तर में होकर बहती है और जब-जब पानी ज्यादा बरसता है तो उसकी महान् बहिया से सैकड़ों गांव प्रतिवर्ष नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। उस नदी के किनारे-किनारे वृक्ष लगाये जाने अत्यावश्यक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कटाव से बचाने के लिये वहां वृक्षों का आरोपण अधिक से अधिक संख्या में किया जाय। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और अन्त में माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में जंगलों के विकास और प्रसार के लिये जो प्रयत्न हुए हैं उसके लिये मंत्री जी तथा सरकार बधाई के पात्र हैं। मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बताया कि खेती की भूमि

[श्री लालबहादुर सिंह]

और जंगलों की भूमि में जो संतुलित होना चाहिये उस लक्ष्य तक हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पहुंच न पायेंगे। यह संतुलन ऐसी चीज है जिस पर वैज्ञानिकों की राय आनी चाहिये और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर से विचार करना चाहिये और यह बराबर प्रयत्न करना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार से हमें ऐसी धनराशि मिले जिससे हम अपना वन विकास कर सकें। वन सम्पत्ति जो इस प्रदेश में है उसका उचित उपयोग हो इसके सम्बन्ध में भी छानबीन होनी चाहिये। जितनी भूमि पर जंगल है उससे क्या आमदनी होती है उतनी ही भूमि पर खेती होती है उससे क्या आमदनी होती है। कम से कम प्रयत्न तो यह होना चाहिये कि खेती से उतनी भूमि जो आमदनी होती है उतनी ही जंगल से आमदनी हो। इस वैज्ञानिक युग में अन्वेषणों से उतनी आमदनी कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। इसके सम्बन्ध में हम लोग कोई एक्सपर्ट तो नहीं हैं लेकिन विशेष खोज होनी चाहिये उससे आमदनी हो सकती है और मैं समझता हूं कि अगर इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय कि उसकी हर एक चीज का इस्तेमाल किया जाय और इस पर विशेष प्रयत्न किया जाय तो यह असम्भव नहीं है और सम्भव है शीघ्र ही ऐसी स्थिति हो सकती है जब कि वन हमारे लिये जितनी सम्पत्ति साबित हो रहे हैं उससे अधिक सम्पत्ति साबित हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरहद पर जो वन लगाये जा रहे हैं और रेगिस्तान को रोकने का जो प्रयत्न किया जा रहा है उसकी सराहना सब लोग करेंगे। इसमें किस हद तक कामयाबी होती है इस तरफ सबका ध्यान है।

पश्चिमी जिलों में एक जिला इटावा है जो यमुना के किनारे है। यदि यमुना और बेतवा के किनारे-किनारे वन लगाये गये होते तो आज वह नौबत नहीं होती जो हुई है। प्रयत्न तो यह होना चाहिये था कि उन खड्डों का फैलाव न हो। वहां भी वन लगाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये और अगर इससे उन खड्डों का फैलाव रुक सकता है या वे निर्मूल किये जा सकते हैं, मैं नहीं जानता कि यह हो सकता है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो उन खड्डों को निर्मूल करने का प्रयत्न अवश्य इस विभाग को करना चाहिये।

इसके बाद मैं अपने पूर्वी जिलों की तरफ सरकार का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में गोमती और सई के किनारे कटाव बहुत है। इनके किनारे सैकड़ों एकड़ भूमि एक-एक स्थान पर मिल सकती है जहां कटाव है और वह किसी योग्य नहीं रह गयी है और वह कटाव दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का इरादा वहां एफारेस्टेशन का है। लेकिन उस तरफ शीघ्र कदम उठाने की जरूरत है। वह कटाव इतनी जोर से बढ़ रहा है कि बराबर कृषियोग्य भूमि बर्बाद होती चली जा रही है और हर साल उसका फैलाव बढ़ता ही चला जा रहा है। गांव सभाओं को इस सम्बन्ध में विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति भी एफारेस्टेशन करना चाहता है, मैं नहीं चाहता कि वह उसकी प्राइवेट प्रापर्टी हो, लेकिन उसको विशेष पुरस्कार देना चाहिये। गांव के बहुत से लोग बेकार हैं। अगर वे पेड़ों को लगा सकते हैं तो उनके साथ भी कंट्रेक्ट करके पेड़ लगवाने चाहिये और मैं समझता हूं अगर इस दिशा में प्रयास हो तो विशेष सफलता मिल सकती है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, पर्वतीय प्रदेशों के सदस्यों से मालूम होता है, हम लोगों को तो विशेष अनुभव नहीं है, कि वहां यातायात का होना नितान्त आवश्यक है और जब तक वहां यातायात का उचित प्रबन्ध नहीं हो जाता तब तक जंगल की सब चीजें प्रयोग में लायी जा सकें ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता। इसके साथ ही साथ

यह भी आवश्यक है कि वहां जो बड़ी जड़ी बूटियां होती हैं उनका विशेष प्रयोग अवश्य किया जाय, उनको बर्बाद न होने दिया जाय। उन पर भी अन्वेषण किया जाय और अगर ठीक से उनका प्रयोग हुआ तो मैं समझता हूं इस प्रदेश में दवायें जो बाहर से मंगायी जाती हैं वह बहुत हद तक हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करना भी नितान्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जंगलों के जो विभागीय कर्मचारी हैं उनमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण हमारे जंगल जो कि बर्बाद नहीं होने चाहिये वे बर्बाद हो जाते हैं। इसकी शिकायत हमारे कानों में आये दिन पड़ा करती है। इस ओर सरकार को तथा उच्च कर्मचारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे पेड़ जिनसे कोई लाभ इस प्रदेश को नहीं होने पाता, कट जाते हैं। इस तरह से प्रदेश का नुकसान होता है, राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होता है। यह तो सभी मानेंगे कि कुछ न कुछ भ्रष्टाचार हर विभाग में है। लेकिन इस विभाग में भी जो बातें हम लोगों के कानों तक पहुंचती हैं उससे यह नहीं मालूम होता कि अन्यत्र से वहां कम है। इसलिये इस ओर भी मंत्री जी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बजट के आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि आमदनी ३,८४,३६,१५९ है अब ३,५९,७८,००० रुपये की आय का तखमीना है यानी आमदनी घटती चली जा रही है और खर्च बराबर बढ़ता चला जा रहा है और २५ लाख रुपये का खर्चा बढ़ गया है और २६ लाख रुपये की हमारी आमदनी घट गई है। बजट में आमदनी घटी है और खर्चा बढ़ा है। यह गड़बड़ी हम देख रहे हैं। लेकिन यहां पर बराबर वन बढ़ाये जा रहे हैं और वन महोत्सव होते हैं, दरख्वास्त लगाये जाते हैं और काम बढ़ाया जा रहा है। बड़े पेड़ कट रहे हैं और छोटे-छोटे नये-नये पेड़ लगाये जा रहे हैं और उनके रक्षण के लिये खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। यह कौन सी अक्लमंदी का काम है कि नये पेड़ लगाये जायं और बड़े पेड़ काटे जायं। यह भी पता है कि छोटे पेड़ कितने दिनों में जाकर तैयार होंगे। वन लगाना बहुत अच्छी बात है और हमारे पुराणों में लिखा है कि जो वृक्ष लगाता है वह स्वर्ग जाता है। मैं इस फिलासफी और साइंस के जरिये दरख्तों का होना और जंगलों का होना जरूरी समझता हूं जिससे वर्षा में कमी न आने पाये।

ऐसी सूरत में यहां पर कायदा यह है कि वन लगाये जायं लेकिन बड़े पेड़ काटे जायं और आमदनी घटाई जाय और अमला बढ़ता चला जाय। यह चीज बजट के देखने से नजर आती है। मैं सोचता हूं कि क्या काम हो रहा है। मैं मैदानी इलाके का रहने वाला हूं जहां गांवों में एक तो जंगल है ही नहीं और हैं भी तो छटपुट जंगल हैं। १००-५० बीघे के वह जंगल पहले जमींदारों के थे लेकिन अब वह गांव समाज में आ गये हैं या सरकार के हाथ में आ गये हैं। उनकी हालत यह है कि आसामियों का सेंटा फूंस लेना तक बन्द है और जो टुकड़े हैं उनके लेने के लिये छीना झपटी हो रही है। गांव सभाओं में यह रख दिया गया है कि १/१० हिस्सा बंजर के लिये जरूर छोड़ा जाय। लेकिन आये कहां से। गांव की जो जमीन वह गांव सभाओं को दी जाय, टुकड़े किये जायं और चकबन्दी की जाय। लेकिन जमीन आये कहां से? हमारी समझ में पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया जा रहा है कि बंजर तोड़ रहे हैं, खेत बनाये हैं और फार्म खोले हैं और सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि नौकरों से खेती कराने वाले और जंगल तुड़वाने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। उनको वही जंगल लौट कर खा जायंगे, उनको वही खेत लौटकर खा जायंगे। यह बात खर्चे से दूर नहीं हो सकती है। इसके लिये जरूरी चीज यह

[श्री टीकाराम]

है कि आमदनी और खर्चे को देख कर काम किया जाय जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिये। हमारी सरकार का कहना यह है कि वह इसलिये कर रहे हैं ताकि प्लानिंग बढ़े, काम बढ़े। ऊपर से अमरबेल की तरह बढ़ाते चले जायं और नीचे से जड़ खोखली रहे। लिफाफे की तरह ऊपर से खूबसूरत हो, चाहे भीतर उसके कुछ भी न हो। शायद सरकार ऐसा ही लिफाफा बनाना चाहती है। मेरा कहना यह है कि अन्दर से मजबूत बनाइये। आगे चलिये। अब गांव की बात लीजिये। वहां वन में शीशम वगैरह की लकड़ी होती है और कीकड वगैरह हर किस्म के दरख्त होते हैं। देहात के इन जंगलों में जानवर चर कर अपना गुजारा करते हैं और किसानों को सहूलियत होती है। और हर किसान को जरूरत है कि जंगल छोड़े जायं और सरकार यह करे कि गांव-गांव में जंगल छुड़वाये। लेकिन तुड़वाये और छुड़वाये यह दोनों काम एक साथ न करें। छुड़वायें तो तुड़वायें नहीं और तुड़वायें तो छुड़वायें नहीं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं किन्तु मुझे यह देख कर खेद हुआ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल दो करोड़ कुछ लाख रुपया इस विभाग के लिये रखा गया है। यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। माननीय मंत्री जी ने भी तसलीम किया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा ध्येय कृषि का उत्पादन बढ़ाना था, वह हमने किया। कृषि के विषय में हम एक तरह से आत्म निर्भर हो गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने यह निश्चय किया है कि हम प्रान्त का औद्योगिककरण करेंगे। परन्तु जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब तक हमको कच्चा माल नहीं मिलेगा तब तक हम बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां और मशीनें चाहे कितनी भी स्थापित कर दें वह चल नहीं पायेंगी और कच्चा माल वनों से ही मिलेगा। तो यदि हम फैक्ट्री बनाते हैं तो उनके लिये वनों की, कच्चे माल की आवश्यकता है।

मैं कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार का ध्यान वनों की ठीक व्यवस्था करने की तरफ और उन्हें व्यवस्थित रखने की तरफ कम है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, यह प्रसन्नता की बात है कि उन्हीं की देखरेख में यह विभाग भी है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वनों की दशा को सुधारने के लिये उनको विशेष ध्यान देना चाहिये। पहाड़ पर जो जंगल हैं उनको थोड़ा बहुत देखने का मुझे भी अवसर मिला है। मैंने प्रार्थना भी की थी, जैसा मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हमारे जो और अन्य सम्मानित सदस्य हैं उनको भी वह कृपा करके वनों को दिखलायें जिससे वे जान सकें कि वनों से क्या लाभ हो सकता है। मैं तो प्रदेश के उस भाग से आता हूं जहां जंगलों का नामोनिशान तक नहीं रह गया है। हमारे जिले में हजारों बीघा जंगल थे लेकिन आज परिस्थिति यह है कि जैसा माननीय शिवराम राय जी ने कहा, हमारे वहां बड़ी कठिनाई से १०० बीघे का जंगल हम लोग बचा पाये हैं लेकिन उस पर भी हम देखते हैं कि वहां के किसानों की कुदृष्टि पड़ रही है। हमारे यहां बागात तो हैं, परन्तु इधर जो एक नया नियम आपने बनाया है उसके अनुसार आपने जो प्रधान को वृक्ष काटने की आज्ञा प्रदान करने का अधिकार दिया है उसका कुफल यह हुआ है कि सारे के सारे दरख्त, सारे के सारे बाग कटते चले जा रहे हैं। अब यह दशा हो गई है कि जहां ५० बीघा बाग था वहां १ बीघा शेष रह गया है। यदि यही अवस्था रही तो मुझे शंका है कि वह समय शीघ्र ही आ जायगा जब सारे के सारे वृक्ष समाप्त हो जायंगे और इसका नतीजा यह होगा कि जैसा माननीय मंत्री जी ने भी बताया है कि जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो कृषि के उत्पादन में

भी कठिनाई पैदा हो जायगी। दूसरे लकड़ी के अभाव में कृषि की सब से बड़ी आवश्यकता खाद की जो चीज है गोबर, उसको लोग जला डालते हैं। खाद कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन इसका एकमात्र कारण यह है कि ईंधन के लिये कुछ है ही नहीं। यदि यही क्रम जारी रहा तो हिन्दुओं को मुर्दे जलाने के लिये लकड़ी भी नहीं मिलेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उन्हें बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में १८, २० नदियां बहती हैं जिसमें टोंस नदी जिले के बीचोबीच से बहती है। मैंने अपने बचपन में देखा था कि इन नदियों के दोनों किनरों पर वृक्ष थे जो आज समाप्त हो गये हैं। इन नदियों का कटाव जारी हो गया है और अच्छी से अच्छी भूमि कटती चली जा रही है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इन नदियों के किनारे वृक्ष लगाने की व्यवस्था की जाय और मेरे जिले के अलावा और बहुत से ऐसे जिले हैं जहां कि नदियों के किनारे वृक्ष लगाये जा सकते हैं, वृक्षारोपण किया जा सकता है, इन के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। माननीय माल मंत्री महोदय हमारे जिले में गये थे उन्होंने कहा था कि जो लोग जिस भूमि पर पेड़ लगायेंगे उस भूमि का लगान माफ कर दिया जायगा। मैं चाहता हूं कि इसका काफी प्रचार किया जाय। मैं वन विभाग के उपमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह पूर्वी जिलों की तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें और वहां पर भी वृक्ष लगवाने की व्यवस्था करें और खासकर फलदार वृक्ष वहां पर जरूर लगाये जायं। किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकें। जो जगह जंगल लगाने से बाकी रह गयी है उन पर भी जंगल लगाने की व्यवस्था की जाय। प्रधानों को जो अधिकार वृक्षों के काटने की आज्ञा प्रदान करने का दिया गया है वित्त मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको तत्काल उनसे वापस लिया जाय। हाकिम परगना अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वह अख्तयार दिया जाय ताकि वृक्षों को कोई सरलता से काट न सके।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस समय प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का काफी उत्थान किया है और काफी इसकी तरक्की की है इसलिये वह बधाई के पात्र हैं। इस समय जो हमारे वन हैं वह आज कल अर्द्धविकसित हैं। उनका जितना विकास होना चाहिये वह नहीं है। इसके लिये बहुत बड़े धन की आवश्यकता थी। इसी कम विकास के कारण हिमाचल पर्वत पर जो अनेक प्रकार की औषधियां हैं उनका अभी तक अनुसंधान भी नहीं हुआ है। प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में बहुत सी औषधियां दी हुई हैं परन्तु उनके अनुसंधान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिये यह जो पर्वत है यह औषिधियों की निधि हैं। इसके अलावा हमारी इमारतों की लकड़ी भी वहीं से आती है खास कर साल वांहीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा कत्था पैदा होता है और इसी तरीके से और चीजें भी आती हैं। इसलिये इस बन के विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कच्चा माल तैयार करने के लिये यह बन ही साधन हैं। इसके लिए विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिये जो इस पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ ३९ लाख रुपया रखा गया है मैं समझता हूं बहुत कम रुपया है। जैसा कि उपमंत्री महोदय ने पहले बताया था कि उनकी दृष्टि में यह रुपया बहुत कम है।

मैं थोड़े में एक दो सुझाव देना चाहता हूं। विकास के लिये सड़कों का होना बहुत आवश्यक है। इस हिमाचल पर्वत पर, जैसा कि मैदानी इलाके में सड़क हैं उसी तरह से एक सड़क बहुत लम्बी गयी है जिसको कंडी की सड़क बोलते हैं। हरद्वार से कोटद्वार, कालागढ़, रामनगर होती हुई बहुत दूर तक जाती हैं। यह सड़क बरसात को छोड़ कर

[श्री रतनलाल जैन]

शेष महीनों में बराबर चलती है । इसकी मरम्मत हर साल होती है । बीच में यह सब जगह पत्थर की है । इसलिये वहां पर पत्थर तो सब जगह मौजूद ही हैं । उसके ऊपर अगर पक्के पुल बना दिये जायं तो यह सड़क ऐसी हो सकती है जो १२ महीनों चल सकती है । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि सड़कों के लिये इस बजट में ९॥ लाख रुपया रखा गया है, मैं यह समझता हूं कि इस सड़क को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाय और जहां-जहां पर पुल की आवश्यकता है वहां पर पुल को बना दिया जाय । यह जाड़े में तो खुली ही रहती है बरसात में अक्सर टूट जाती है । पहाड़ों में यह पुल थोड़ी सी कीमत पर बन सकते हैं । क्योंकि वहां पर सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस कंडी की सड़क को, जो बहुत लम्बी है, इसके ऊपर जहां-जहां पुल की आवश्यकता हो वह पक्के पुल बना दिये जायं ताकि बरसात में भी इस सड़क पर चला जा सके ।

दूसरी चीज इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क को आम पब्लिक के लिये खोल दिया जाय अभी तक यह सड़क जंगल विभाग के ही काम आती है । जंगल विभाग के अफसरों की आज्ञा से ही और कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है और इस पर चल सकता है इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह मुनासिब होगा कि इस सड़क को खोल दिया जाय ।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करूंगा कि जब मैं १ करोड़ ८८ लाख रुपया बजट में खर्च के लिये देखता हूं तो मालूम होता है कि यह ८८ लाख रुपया तो इन्तजाम में खर्च हो जाता है, संचालन में खर्च हो जाता है । फारेस्ट अफसरों को भत्ता वगैरा देने में खर्च होता है । करीब १ करोड़ रुपया है जो उत्पादन के काम में आता है । मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसमें जितना भी अधिक आप उत्पादन के काम में दे सकें, दे दें । इसके अतिरिक्त औषधियों के लिये जो अनुसंधान लखनऊ में हो रहा है, उसको भी बढ़ाया जाय ताकि पेड़ों के अलावा औषधियों को भी वहां उत्पन्न किया जा सके ।

(इस समय ३ बज कर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

यह मेरा दूसरा सुझाव है । इस सुझाव के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों की ओर ध्यान दें ।

श्री हरगोविन्द पन्त (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्योंकि वन विभाग से दिलचस्पी है इसलिये आज मैं भी कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं अनुदान का समर्थन तो करता ही हूं परन्तु उसके साथ ही साथ दो एक सुझाव भी दे देना आवश्यक समझता हूं । सबसे पहला जो मेरा सुझाव है वह यह है कि इस अनुदान में जो जंगल की सड़कों के लिये रुपया रक्खा है उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । इस समय लोगों में वन विभाग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है । जनता की सेवा करने की ओर उसका ध्यान है और जनता की मनोवृत्ति में भी बहुत भारी बदलाव आ गया है । जनता वन की महत्ता को समझने लगी है और वह वन विभाग के साथ सहयोग करने को तैयार है । इसलिये मैं समझता हूं कि जहां वन विभाग के जनता के लिये उपयोगी हो सकें उसमें सरकार से सहायता मिलनी चाहिये क्योंकि जनता की सहानुभूति और सहयोग जनता की सेवा करने से ही प्राप्त हो सकते हैं । इसलिये मैं वन विभाग से भी यह कहना चाहता हूं कि उसके प्रशासन में जहां तक हो सके उसका जनता के साथ सहानुभूति का ही बर्ताव रहे तो जनता सदैव उसके साथ सहयोग करने को तैयार रहेगी ।

वन विभाग की विशेषकर पहाड़ी भागों में में जो सड़कें बनी हैं उनके द्वारा जनता का बड़ा भारी उपकार हुआ है। सबसे बड़ी भारी बात यह है कि वहां पर जो निर्माण का खर्चा है वह पी० डब्ल्यू० डी० के तखमीने से बहुत ही कम है। इसलिये वन विभाग की इस मद में मार्ग निर्माण के लिये अनुदान बढ़ा कर सहायता होनी चाहिये ताकि जनता का अधिक उपकार हो सके। दूसरी बात मुझे यह कहना है कि पहाड़ों में ऐसे भी कुछ गांव हैं जिनके वन विभाग में हक हकूक पुराने जमाने में दर्ज नहीं हुए। लोगों को खेती-बारी के औजारों के लिये तक लड़की नहीं मिलती है। और कई गांवों के मकान व गोसाले बनाने के लिये जंगलों से लकड़ी का हक दर्ज नहीं है। मैं यह मानता हूं कि वनों पर बहुत अधिक बोझा है और अगर लोगों को पूरी आवश्यकताओं के लिये लकड़ी न भी दी जा सकती हो तो वन विभाग को कम से कम जितनी सहायता उन लोगों को कनशेशन यानी रियायत के तौर पर हो सके उतनी सहायता और सुविधा उन लोगों को देनी ही चाहिये। अगर ऐसा हुआ तो जनता का सहयोग बहुत आसानी से प्राप्त हो सकेगा।

तीसरी बात मुझे वन विभाग के माननीय मंत्री जी से यह कहनी है और वह सहयोग समितियों के बारे में कहनी है। यह मैं मानता हूं कि सहयोग समितियों को सहायता देना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार ने जो नीति अपनायी है कि सहयोग समितियों के साथ रियायत की जाय वह उचित ही है और इस नीति के अनुसार वह सहयोग समितियों को सहायता दे रहे हैं लेकिन इसमें बहुत देखभाल और छानबीन की आवश्यकता है। मैं दृष्टान्त के तौर पर एक सहयोग समिति का हवाला दे देना चाहता हूं। उसका थोड़ा बहुत जिक्र भी इस सदन में हुआ है इसलिये कुछ कहने की आवश्यकता है। रानीखेत में एक सहयोग समिति है। उसको हाल में ५ हजार मन लीसा, उद्योग धंधे के काम को बढ़ाने के लिये दिया गया है। जो ५,००० मन लीसा उसको दिया गया है वह सामान्य रियायत के रूप में ७ रुपया १२ आने मन के हिसाब से समिति को दिया गया, सदन में यह कहा गया है कि १२ रुपया ८ आने मन के हिसाब से सहयोग समितियों के स्थान तक वह पहुंचता है, हम मान भी लें कि इसी भाव से उक्त समिति को पड़ा है। यह भी कहा गया था कि सहयोग समिति जो उस को काम में लावेंगी उस को केवल २ रुपया मन के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। मैं समझता हूं कि शायद वन विभाग इस चीज को सदन को बताने की कृपा करेगा क्योंकि यह जानने योग्य बात है कि कच्चा लीसा इस समय में किस भाव से बिकता है। मुझे मालूम है कि वह २३ रुपया मन आसानी से बिकता है। इतना ही नहीं सहयोग समिति रानीखेत को पंजाब से एक आफर भी आया था कि हम ३० रुपया मन तक कच्चा लीसा खरीद लेंगे। अब यदि २३ रुपया मन के हिसाब से भी लीसे के दाम लगाए जायं तो ५,००० मन लीसे की कीमत १ लाख १५ हजार रुपया हो जाती है। इतनी कीमत का माल जब किसी सहयोग समिति को उद्योग धंधे के लिए रियातन दिया जाता है तो वह अंशभागियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। अतः उससे कितना लाभ हो रहा है इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और देखना चाहिए वास्तव में लाभ कौन उठा रहा है। सदन में ही उक्त सहकारी समिति के मंत्री जी ने कहा था कि २ रुपया मन के हिसाब से कोआपरेटिव सोसाइटी को मुनाफा होने वाला है---अगर २ रुपये मन के हिसाब से हम मुनाफा लगावें तो वह १०,००० रुपया ही आता है, जब एक लाख १५ हजार रुपये की लागत का माल दिया जाय और उससे केवल १०,००० रुपया उस का मुनाफा हो तो यह कोई उचित बात नहीं है। अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाय तो यह लाभ उस दृष्टि से भी कोई लाभ न होगा। इसलिए सरकार को जांच करना चाहिए कि वास्तव में लीसे से क्या-क्या चीजें बनाई जा रही हैं और वे समाज के काम में भी आ रही हैं या नहीं। जहां तक मुझे मालूम होता है वहां पर अब तक कोई सामान तैयार नहीं हो पाया है भविष्य में वह भले ही बने। सरकार को देखना चाहिये कि किस प्रकार का सामान उससे बन सकता है और किस भाव से कहां वह बिकता है। जहां तक मुझे मालूम

[श्री हरगोविन्द पन्त]

हुआ है एक छोटी सी मशीन किसी बाहर के आदमी के द्वारा वहां लगाई गई है और वास्तव में वही इस काम को चलाने वाले हैं और उन्हीं का यह माल है और उन्हीं को मुनाफा प्राप्त होगा और उन्होंने कई बार बन विभाग से लीसा प्राप्त करने की कोशिश की भी थी लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए, अब दूसरे तरीके से सारा मुनाफा उनके हाथ में आ गया है । जहां तक सहयोग समितियों को प्रोत्साहन और सहायता देने की आवश्यकता वहां यह भी देखने की आवश्यकता है कि लीसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं और उसके अंशभागियों को लाभ हो रहा है या नहीं । रानीखेत कोआपरेटिव सोसाइटी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम से किसी को निजी होटल के लिए भी रुपया दिया गया जो एक तरह से मुनासिब बात नहीं है और न उसके द्वारा वास्तव में कोआपरेटिव सोसाइटी को लाभ ही है । इस सम्बन्ध में मैं अब नहीं कहना चाहता और मैं फिर वन विभाग को बधाई देता हूं कि उसका काम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है और जनता को उससे सन्तोष है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वह और अधिक सहानुभूति से जनता के साथ व्यवहार करे और जनता का अधिक सहयोग प्राप्त करे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य के जीवन में वन का बड़ा ऊंचा स्थान है और इसका प्रमाण एक बात से मिलता है कि जो लोग वन से दूर रहते हैं शहरों में बड़ी-बड़ी कोठियां बनाते हैं तो वन के नदी नालों व पर्वतों का चित्र बनाकर अपने कमरों में टांगते हैं । इससे सिद्ध होता है कि वन कितनी आकर्षक चीज है । लेकिन दुख है कि वन में उतनी रकम हमारी सरकार ने नहीं दी है जो कि इस पंचवर्षीय योजना से सिद्ध होता है । एक परसेंट मैंने देखा कि पूरी पंच वर्षीय योजना की रकम का वन को दिया गया है । वन को इस दृष्टि से न देखा जाय कि उसमें कच्चा माल कितना है, बल्कि इस दृष्टि से कि उससे बड़ी आय पैदा की जा सकती है । इसको मैन्युफैक्चर करके बनाया जाय तो हमारे राष्ट्र का कितना आर्थिक विकास हो सकता है और कितनी उससे उपज और आमदनी बढ़ सकती है । इस दृष्टि से देखने पर इस बात पर खास शिकायत है कि वन विभाग को बहुत कम रुपया दिया गया और इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया । जब सरकार का इस पर उतना ध्यान नहीं है तो जनता भी उधर से उदासीन हो जाती है ।

जब एक प्रश्न यह है कि जंगल इधर बहुत कट गया है । दस साल के अन्दर अपने जिले की बात बता सकता हूं कि मेरा ख्याल है अगर गलत नहीं तो मिर्जापुर का चौथाई जंगल साफ हो गया है । जमींदारी उन्मूलन ज्यों-ज्यों नजदीक आती गयी त्यों-त्यों जंगल कटता चला गया और जंगल बिल्कुल साफ हो गया और जहां भालू और शेर रहते थे वहां बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है और इसका कारण यह है कि वन विभाग और राजस्व विभाग का सामन्जस्य नहीं रहा । वह अपने रास्ते चलते रहे और वन विभाग अपने रास्ते चलता रहा । अगर दोनों का सामंजस्य हुआ होता तो मैं समझता हूं कि जो एक जगह कानूनी गलती हो गई जिसकी वजह से नाजायज फायदा उठा कर लोगों ने जंगल काट दिया वह न हो पाता ।

अध्यक्ष महोदय, इधर जो सड़कें जंगल में बनी उनसे बड़ी मदद मिली लेकिन अभी इसकी और जरूरत है और ज्यों-ज्यों सड़कें बनती जायंगी त्यों-त्यों जंगल का विकास हम कर सकेंगे ।

एक बात मुझे जंगल विभाग के सम्बन्ध में और कहनी है कि हमारे जिले में किसान के निजी काश्त में जो तेंदू की पत्ती की उपज होती है उनके हकों पर वन विभाग पूरी तरह से आक्रमण कर रहा है, अनधिकार चेष्टा कर रहा है । हमारे जिलों दूधी में कोआपरेटिव फेडरेशन है उसने इस पत्ती का व्यवसाय करना चाहा लेकिन कंजरवेटर साहब जंगल विभाग ने उसे मना कर दिया है । एक गुजराती कम्पनी को इस पत्ती के व्यवसाय का ठेका दे

दे दिया है। हमने बहुत कोशिश की कि एक ठेकेदार न हो, बल्कि छोटे-छोटे टुकड़े बना कर ठेके दिये जायं ताकि गवर्नमेंट को रेंवेन्यू ज्यादा मिले और ज्यादा लोगों को फायदा भी हो सके लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नीचे से ऊपर तक ऐसा गढ़ बना कि मैं उसको भेदन नहीं कर सका। एक ही ठेकेदार को सारा ठेका दे दिया गया और वह ठेकेदार बजार तेंदू की पत्ती में अपनी मानोपोली (एकाधिकार) रखता है। दूसरे प्राइवेट बिजनेसमेन (रोजगारियों) को बेचने नहीं देता और दूसरा व्यवसायी अगर करना चाहता है तो अपने बल से, अपने प्रभाव से उस पत्ती को अपनी पत्ती करार देकर उस व्यवसायी को जेल में भिजवा देता है या पुलिस को बुलवा कर फौरन चलान करवा देता है। गत वर्ष लगभग २० आदमियों को ६–६ महीने की सजा करा दी गई। वहां के कोआपरेटिव फेडरेशन को इसलिये कि इस पत्ती से और लोगों को भी ज्यादा पैसा न मिल सके, कंजरवेटर साहब के यहां एक हुक्म चला गया जो कि मैं पढ़ कर सुना देता हूं। उसमें यह है"

"For the auctions I had fixed the rate of purchase of *tendu* leaves by Forest contractors at -/1/- per 1,000 leaves. So, the leaves from cultivated field should be sold to Forest contractors at this rate. The rate is quite reasonable.

Recognition of other contractors for purchase of *tendu* leaves will lead to complication, theft of *tendu* leaves from the forest areas, competition among purchases etc. and so I am not prepared to do it. The Co-operative societies should, therefore, sell *tendu* leaves of cultivated land only to Forest contractors at -/1/- per 1,000 leaves.

इससे यह मालूम होता है कि उनका कहना है कि इससे लाग डांट पैदा होगी। मैं चाहता हूं कि लगा डांट बढ़े और बजार का भाव बढ़े। उसको रोका जाता है कंजरवेटर का पक्षपात करने के लिये, मैं इसे उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि यह जो किया गया है यह गलत किया गया है और किसी को भी प्राइवेट होल्डिंग की पत्ती का व्यवसाय करने की पूरी आजादी होनी चाहिए और किसी की मिल्कियत पर जंगल विभाग को हमला नहीं करना चाहिए, जब तक उनको इस प्रकार का अधिकार नहीं होता। अगर उनको अधिकार लेना है तो कोई कानून के आधार पर इस चीज पर हमला करें।

एक बात मुझे और कहनी है। वह यह है कि बुन्देलखंड की तरफ यह शिकायत की जाती है कि जंगल विभाग का कम ध्यान गया है। अभी हमारे सहयोगी जगपति सिंह जी को बुखार आ गया, वह चले गये और मुझ से वह कह गये हैं कि अगर आपको मौका मिले तो बुन्देलखंड के बारे में, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर की तरफ जंगल भाग का विकास नहीं हो रहा है, उधर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए।

एक बात और, जंगल बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देता हूं कि सरकार जनता को, किसानों को मौका दे कि वह पेड़ लगाएं और उसका फल जो हो उसको खा सकते हैं। इस तरह से कर दिया जाय तो जंगल का बहुत जल्द विकास हो जायगा और वृक्षारोपण बहुत तेजी से पूरा हो जायगा।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)——अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में इस अनुदान को प्रस्तुत करते हुए माननीय उपमंत्री महोदय ने वन की बड़ी विशेषताएं बतायीं और वन के सम्बन्ध में ऋषियों-मुनियों और शेर वगैरह की जो कुछ बातें आपने कही हैं, उनकी कल्पना से यह मालूम होता है कि शायद आप बन ही बन सारे प्रदेश में चाहते हैं और इसकी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं। यह देश सुन्दर हो, खूबसूरत हो, यह तो सही है जैसा कि विशेषज्ञों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

कहना भी है कि तीन प्रति सैकड़ा भूमि जंगल में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ग्यारह प्रति सैकड़ा भूमि जंगल के नीचे है उसमें से ९ प्रति सैकड़ा कुमायूं में, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा और टेहरी के अन्दर है। तो हम जरूर यह सोचते हैं कि जंगल हों, जंगलों के लिए नहीं। जंगलों की उपयोगिता मनुष्यों के लिए है। अगर वह जंगल जंगलों की शोभा बढ़ाने के लिए हों तो उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि जंगलों की आवश्यकता मनुष्यों के लिए है। यह सही है कि जंगलों का विकास कुछ पहले नहीं हो रहा था और अब हम जंगल विकास की ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसा इस सदन में कुछ सदस्यों ने कहा भी है कि जंगलों का विकास हो लेकिन यह भी देख लिया जाय कि जिस एरिया में बहुत से जंगल हैं उस एरिया में जो वहां के रहने वाले हैं उन लोगों को परम्परा से दिक्कतें चली आ रही हैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान हो। यह बात नहीं है कि जंगल बढ़ते जायं और बढ़ते जा रहे हैं, और माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सी बातें उनके सम्बन्ध में कही हैं, लेकिन एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विभाग के कर्मचारियों का रुख वैसे डेमोक्रेटिक अभी नहीं हो पाया है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने दिखाने की चेष्टा की है। क्योंकि इस युग में अभी भी हम देखते हैं कि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लोग दुखी और पीड़ित होते हैं। उसका कारण यह है कि जो पुराने इम्पीरियल लेजिस्लेशन बने हुए हैं विभाग के कर्मचारी उसका अक्षरशः पालन करना चाहते हैं। मैं इस बात की ओर ध्यान अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो ग्रेजिंग रेट्स हैं जैसा कि पुराना नियम है कि पांच मील के अन्दर गाय, भैंस या बकरी चुग सकती हैं। अगर उसके बाहर जायंगी तो रेट्स बढ़ जायंगे। मैं टेहरी का उदाहरण लेता हूं। टेहरी में यह है कि अभी टेहरी ग्रेजिंग रेट्स बढ़ाये गये, कहीं एक जी० ओ० निकला था। लेकिन वह जी० ओ० कभी मेटिरियलाइज नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि वह आब्सोलीट था, जब से स्टेट मर्ज हुई और १९५४ तक वह डयूज बढ़ाये नहीं गये थे। लेकिन सरकार ने सोचा कि वहां से कुछ इनकम बढ़ायी जाय। सरकार का यह दृष्टिकोण हो या न हो लेकिन जो इस विभाग के अधिकारी हैं सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक उनका ध्येय है कि किस प्रकार से रुपया इकट्ठा किया जाय उन लोगों से नहीं जो जंगल के द्वारा ज्यादा लाभ उठाते हैं। बल्कि उन लोगों से जो गरीब लोग हैं और जंगल के बीच रहते हैं, उनके ग्रेजिंग रेट्स किस तरह से बढ़ाये जायं, किस तरह से उन्हें तंग किया जाय।

एक उदाहरण आपके द्वारा देना चाहता हूं। गंगोत्री, यमनोत्री बहुत यात्री प्रति वर्ष जाते हैं या बद्रीनाथ, केदारनाथ यह जगहें ऐसी हैं जहां पर दूर २ तक बस्ती नहीं है। तो लोग जगह-जगह छोटी-छोटी झोपड़ियां बना देते हैं और यात्रियों के लिये चाय, दूध वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं। ग्राम-सभायें जो बनी हैं वह तो अपना टैक्स लगाती हैं लेकिन उसके अलावा फारेस्ट डिपार्टमेंट भी टैक्स लगाता है, वह कहता है कि आप हमारे जंगल में रहते हैं और इसलिये कि वहां पर वह दूकान खोलते हैं लकड़ी वगैरह जलाते हैं इस आधार पर वह टैक्स लगाया जाता है। तो वहां के लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिये। यह जरूर है उत्तर प्रदेश में जंगल ३३ पर सैकड़ा कर दिया जाय, जैसा कि नौटियाल जी ने कहा मुझे पसन्द आया और जैन साहब ने कहा कि हरद्वार से लेकर कोटद्वार तक या कालागढ़ से कोटद्वारा तक। क्योंकि गढ़वाल के अन्दर हम समझते हैं कि ६ हजार से ८ हजार या ५ हजार से ऊपर अगर आप जंगल लगाना चाहते हैं तो पहाड़ों के ऊपर जंगल लगाया जाय लेकिन जहां लोगों के पास खेती की जगह नहीं है और भुखमरी की हालत आज भी है वहां पर अवश्य तराई का एरिया डीफोरेस्टेड कर दिया जाय और लोगों को सैटिल कर दिया जाय। फारेस्ट डिपार्टमेंट इस मामले में चाहता

है जंगल बढ़े, उस एरिया में बढ़ाये जैसे बुन्देलखंड की मांग की गई है। यह सही है कि बुन्देलखंड में जंगल बढ़े। और वह जंगल जो जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के पहले जंगल थे उनको रिवाइज कर दिया जाय, वहां जंगल बढ़ाया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि गढ़वाल जिले में एक पट्टी कालीपार है वहां पर ३ चौकियां हैं फारेस्ट डिपार्टमेंट की जहां कि जो लोग जंगल से कोई चीज लाते हैं उनके ऊपर टैक्स इकट्ठा किया जाता है। अगर ऐवरेज पर मन्थ इन्कम देखा जाय तो ८ रुपया पर मन्थ उन चौकियों से इन्कम है। लेकिन वहां हमने देखा है इतना होने पर भी साल भर के अन्दर ३६ हजार रुपया जरूर वसूल कर दिया जाता है और प्रति वर्ष डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को तंग किया जा रहा है, इस पर मंत्री जी ध्यान देंगे ऐसी मुझे आशा है। पुराना किस्सा है। लोग गरीब हैं और खाने को अनाज भी नहीं है तो किस तरह से उनसे इतना रुपया वसूल किया जाता है यह देखने की बात है, जब कि स्टेट जिले में मर्ज हुई थी और एंटरिम मिनिस्ट्री बनी थी उस जमाने की बात है।

अब एक सुझाव और देना चाहता हूं। फारेस्ट डिपार्टमेंट में जो जंगल बेचे जाते हैं उसमें बिड सिस्टम होता है, औक्शन होता है। इसमें कुछ करप्शन करने की गुंजायश हो सकती है। वास्तव में होना यह चाहिये कि टेन्डर सिस्टम हो और उसके द्वारा जंगल की लकड़ी बेची जाय और बिड सिस्टम न हो।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए दो तीन बातों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और मैं विशेष समय भी नहीं लूंगा। जंगल के मुहकमे के बारे में बहुत सी बातें कही गईं। किन्तु मैं जंगल के मुहकमे के कर्मचारियों के विषय में दो तीन बात निवेदन करना चाहता हूं। यह एक ऐसा महकमा है जिसकी प्रगति , और जिसका अभ्युदय बहुत कुछ निर्भर करता है कर्मचारियों पर और उन कर्मचारियों के जीवन में जितनी कठिनाइयां होती हैं जंगल में काम करने में उसकी ओर ध्यान देना होगा। उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हो सकता क्योंकि जंगल में रहना पड़ता है। उनकी जिन्दगी खतरे में रहती है। करीब ६ फारेस्ट गार्ड अपनी जान से हाथ धो चुके कुछ ही दिनों में । इन फारेस्टर्स और डिप्टी रेंजर्स के वेतन में कुछ ऐसा साम्य सा हो गया है कि मैं नहीं समझता कि कोई फारेस्टर क्यों डिप्टी रेंजर के पद पर तरक्की करना चाहेगा जब कि ६० रुपये से १२० रुपये फारेस्टर का भी वेतन क्रम है और डिप्टी रेंजर का भी वेतन क्रम है। तो यदि वह डिप्टी रेंजर नहीं होगा तो आखीर आगे कैसे बढ़ेगा। उसके ऊपर रेंजर की पोस्ट होती है। उस रेंजर के वेतन के सम्बन्ध में भी श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद ही कोई ऐसा बदकिस्मत मुहकमा गवर्नमेंट का हो जिसके साथ कि इस प्रकार से न्याय न हुआ हो जैसा कि इनके साथ है। पे कमीशन ने निश्चित कर दिया था इस मुहकमे के वेतन के सम्बन्ध में। यदि किसी के ऊपर पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वेतन क्रम आयद नहीं होता तो वह डिप्टी रेंजर ही है। वही १२० रु० का ग्रेड उनको मिलता है जब कि पे कमीशन ने यह निश्चित कर दिया है कि तहसीलदार के बराबर का ग्रेड इनका कम से कम होना चाहिए। तो मैं इस अवसर का लाभ उठा कर माननीय वित्त मंत्री महोदय से और इस मुहकमे के उच्च कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके वेतन को निश्चित रूप से तय कर दें और इसके साथ ही साथ बहुत से रेंजर्स ऐसे हैं जो कि १५-१५, १४-१४ साल से काम कर रहे हैं मगर अभी तक मुस्तकिल नहीं हुए हैं। वह तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं और बीच में देहरादून से पास करके जो आये वह लोग मुस्तकिल हो जाते हैं। पर ये पुराने मुस्तकिल नहीं होते। तो इससे उनको प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। बस यही चन्द बातें मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---माननीय नारायणदत्त तिवारी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---आज तो टाइम काफी था। आज तो माननीय मंत्री जी अगर कुछ.....

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि इसे चार बजे तक तो खत्म करना ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आज जो वन विभाग पर मेरी कटौती के ऊपर विवाद का स्तर रहा है वह मैं समझता हूं कि बहुत दृष्टियों से काफी स्पष्ट और ऊंचा रहा है। आज विशेष कर माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कर्मचारीवर्ग पर बड़ी कृपा की। उन्होंने उन्हीं बातों का समर्थन किया कि जिनको कि मैं पहले कह चुका था और आज कम से कम एक बात पर तो हमारी उनकी सहमति मिली। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी की भी इस सम्बन्ध में सहमति को देखते हुए सरकार उनके लिये यू० पी० पे कमेटी की सिफारिश को लागू करेगी और इसके साथ ही साथ जो दो रुपया छोटे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ाने का निश्चय किया है उस निश्चय को भी उनके लिए लागू करेगी और उनके वेतन में भी दो रुपये की वृद्धि करने की कृपा करेगी। मैं माननीय मैठाणी जी का आभारी हूं कि उन्होंने भूमिहीनों के सम्बन्ध में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कुछ भूमिहीनों की बदकिस्मती रही है कि उनके दृष्टिकोण को वन विभाग कभी पूरे माने में समझ नहीं सका है क्योंकि भूमिहीनों की मांग यह नहीं रही है कि बनों का विच्छेद किया जाय या उनका उन्मूलन कर दिया जाय। कई बार वन विभाग को अपनी मर्जी के विरुद्ध झुकना पड़ा है और जमीन देनी पड़ी है। जब-जब बड़े-बड़े प्रभावाशाली व्यक्तियों का प्रश्न आता है, अधिकारियों का प्रश्न आता है तो वहां वन विभाग झुक जाता है। लेकिन जहां भूमिहीनों का प्रश्न आता है तो वहां वन विभाग झुकने को तैयार नहीं होता। जहां पोस्ट वार रीहैबिलिटेशन के लिए गुलरपुर में हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है वहां भूमिहीनों को बसाने के लिये वन विभाग एक एकड़ भी देने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार अफजलगढ़ में ३० हजार एकड़ का फार्म बनाने के लिए जमीन मिल गई। ३० हजार एकड़ यू० पी० गवर्नमेंट ने अपने नाम लिया है। जो रूसी मशीन आ रही है उससे एक ३० हजार एकड़ का सब से बड़ा फार्म बनाया जा रहा है, उसके लिए जमीन उसने ली है। तो यह सुझाव मैं दूंगा कि यह जो इतने हजार एकड़ जमीन फार्म के लिए या स्टेट फार्म के लिए न दी जाय या वह दी भी जाय, रूसी मशीन आ भी जाय तो उस जमीन का और उस फार्म का इस्तेमाल भूमिहीनों को बसाने के लिए और उनके कालोनाइजेशन के लिए किया जाय ताकि हमारे प्रदेश के भूमिहीन और उन जंगलों के आसपास रहने वाले भूमिहीन कुछ जगह पा सकें। यह भूमिहीनों का प्रश्न प्रति वर्ष विषम होता चला जा रहा है क्योंकि एक बड़ा प्रश्न यह है कि उत्पादन का स्तर भी कोई उतना ऊंचा नहीं है जितना कि होना चाहिए और जमीन बराबर बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी भूमि की मांग बढ़ती चली जा रही है तो माननीय मंत्री जी को और वन विभाग को ऐसे सभी स्थानों पर जहां भूमि की मांग है इस दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

अब हक की लकड़ी के सम्बन्ध में मैंने उस मांग का जिक्र किया था कि वन विभाग की ओर से स्टोर पर जो कीमत उसकी हो वह उनसे ले ली जाय। मैं बिजनेस चलने की बात नहीं कहता जैसे भूमि देते हैं किसी हल, पनियानी या मकान बनाने के लिये तो उसके बनाने पर जो लागत होती है वह ले लेते हैं उसी प्रकार आप जो मूल्य है वह ले सकते हैं। मैं भी समझता हूं कि उनकी मांग सही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक गलती की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि बेकारी दूर करने के हेतु पिछले वर्ष कुछ पेड़ लगाये गये थे १२५० एकड़ जमीन पर अनइम्प्लायमेंट रिलीफ के लिये। यह स्कीम पिछले वर्ष बनाई गई थी और यह कहा गया था कि वह स्कीम जारी रहेगी। इस वर्ष के बजट में अनइम्प्लायमेंट रिलीफ में पेड़ लगाने की योजना को जो थी उसका जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि उसकी योजना का क्या हुआ।

इसके साथ ही साथ जो जिप्सम, या शहद और ऐसी जो माइनर फारेस्ट प्रोड्यूसेज हैं जैसे छूला या चीड़ की जो छाल जिसके अन्दर एक विशेष प्रकार का लीसा मिला रहता है, छूला जिसे कहते हैं उनको मार्केटिंग का ठीक प्रबन्ध नहीं है और इसके कारण लोगों को आमदनी ठीक नहीं होने पाती और एक प्रकार से शोषण उनका होता है जो उनको बेंचते हैं। मार्केटिंग के सम्बन्ध में विशेष इन्तिजाम हो और इसका प्रबन्ध जंगलात विभाग ही कर सकता है।

अन्त में मैं कटौती पर पुनः जोर देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वे इसे स्वीकार कर लें। एक ही रुपये का मामला है इससे कोई हानि तो होती नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार से प्रोटेस्ट होगा और केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग विभाग सभी समझ लेंगे कि वन विभाग ने एक आदर्श उपस्थित किया है सत्याग्रह के रूप में और उन्होंने एक रुपये की कटौती को स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी——अध्यक्ष महोदय, मैं इस समस्त सदन के माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने सहानुभूति पूर्वक इस अनुदान पर विचार किया और अपने अमूल्य सुझाव दिये। माननीय तिवारी जी ने कई एक प्रश्न पूछे। मैं चाहता तो यही था कि आपने और जितने भी माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे एक एक करके उन सबका उत्तर देता लेकिन समयाभाव के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं चाहूंगा कि वे सभी माननीय सदस्य जिन्होंने वादविवाद में भाग लिया है वे मुझसे बाद में बातें कर लें मैंने सब बातें नोट कर ली हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——आपका समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष——आपने ४ घंटा तय किया है। १२ बजकर ७ या ८ मिनट से यह अनुदान शुरू हुआ है। वैसे और भी समय थोड़ा बढ़ जायगा। आपके लिये २० मिनट हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी——चूंकि उनकी टीका टिप्पणियों की तथा सुझावों की लम्बी लिस्ट मैंने बना ली थी, उन सबका उत्तर देना तो सम्भव नहीं है मगर फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज श्री तिवारी जी ने उठाई वह यह है कि खर्च बढ़ता जा रहा है और आमदनी घटती जा रही है। आपने भी उठाई, और अतिरिक्त मित्रों ने भी उठाई। मेरे एक मित्र ने सन् १९४६ के आंकड़ों को लेकर और आज के आंकड़ों को लेकर फर्क बताया कि कितनी आमदनी सन् १९४६ से आज तक रही है फारेस्ट डिपार्टमेंट की। उसमें यह सही है कि सन् १९५१ के मुकाबले में जो थोड़ी बहुत आमदनी घटी है उसका कारण यह है कि उस वक्त शरणार्थी और हमारे दूसरे लोग बाहर से आये। उन्होंने नीलाम में काफी बढ़ा कर बोली बोली और उस वक्त का भाव भी महंगा था। इसलिये हमारे जंगल बड़ी कीमत पर बिके। इसके बाद नैपाल का जंगल कटा, वह लकड़ी यहां आयी और बाजार में लकड़ी का भाव गिरता चला गया और कुछ कट-थ्रोट कम्पिटीशन की वजह से वे जंगलात ठेकेदार बर्बाद भी हो गये और अब हालात अपने ठिकाने पर आ गये हैं। इसलिये एक ऐबनार्मल तरीके पर उस वक्त आमदनी

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

बढ़ गयी थी। वरना आप देखेंगे कि आमदनी सन् ४६ के मुकाबिले में स्टेडी तरीके पर बराबर बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जायगी। मैं एक बात और बतादूं आपको कि बीच में कुछ पेड़ अवैज्ञानिक ढंग से भी कट गये। लेकिन इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि चाहे मुनाफा घट जाय मगर हम किसी तरीके पर ऐसी लकड़ी न काटें जिसका असर भविष्य में खराब पड़े। मेरे मित्र साथ-साथ यह भी कहते थे कि उधर काटो इधर लगाओ। तो यह तो प्रकृति का नियम है। जो मेच्योर हो जायगा उसको तो काटेंगे ही और उसका असली उपयोग तो यही है कि जब वह काटने के लायक हो तो काटी जाय।

दूसरी बात, हकों की बाबत जो कठिनाइयां बतलायी गयीं उसके सम्बन्ध में सर्वप्रथम मैंने कह दिया कि अमूमन यह बात होती है कि सरकारी आदेशों का हर जगह गांव में या तो अर्थ समझने में गलती होती है या वहां स्थित छोटे कर्मचारी नहीं समझ पाते, जिससे कभी-कभी दिक्कतें होती हैं। डेमोक्रेटिक व्यू होने की बात जहां तक है वह तो जो लोग उसकी शिक्षा पा चुके हैं वे ही बाज दफा अनडेमोक्रेटिक ढंग की बात करने लगते हैं तो फिर छोटे कर्मचारियों का अधिकारियों को समझने में तो कुछ समय लगेगा ही। और मैं चाहूंगा कि बहुत बार उन बातों का विचार किया जाता है जिससे लोगों को कष्ट न हो। आपने जो बातें उठायीं अगर उसकी दूसरी तस्वीर भी देखे बिना हकों के रिकर्ड हुये भी सुविधा काश्तकारों को दी गई है तो आपको स्वयं संतोष हो जायगा कि इस कार्य को बहुत सोच-समझ कर किया गया।

श्री मैठाणी जी ने कहा कि एक साल में ३६ हजार रुपये ले रहे हैं। लेकिन यह भी तो देखिये कि यह टेहरी स्टेट के जमाने से चला आ रहा है। आपने दूसरी बात कह दी कि चराई ज्यादा मांगते हैं। हम तो उसी नीति पर आरूढ़ हैं जो पहले थी। उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे बल्कि राहत देंगे।

दूसरी बात जो आप चाहते हैं कि हर इलाके में, यहां भी और वहां भी प्रत्येक जिले व स्थान पर पेड़ लगाये जायं . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस माननीय सदस्य ने कहा हो उनको संबोधित करके आप कहें तो ज्यादा अच्छा हो वरना "आप" से तो कुछ ठीक समझ में नहीं आता कि आप किसको कह रहे हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बहुत अच्छा। आजमगढ़ जिले के शिवराम जी और ब्रजविहारी मिश्र जी ने कहा कि उनके इलाके में लगाये जायं। हम भी चाहते हैं कि लगाये जायं, मगर गोमती की लम्बाई आप जानते हैं, पीलीभीत में बनबसा से निकलती है और कहां जाकर गंगा में मिलती है। तो इतनी लम्बाई पर ६ हजार एकड़ के हिसाब से किस प्रकार लगाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि लगायें मगर धनाभाव के कारण मजबूर हो जाते हैं। धन के अभाव पर हमने भी अफसोस जाहिर किया लेकिन जहां तक सत्याग्रह की बात है वह अगर नारायणदत्त जी पहले करें प्लानिंग कमीशन के सामने और वहां से कुछ और रुपया प्राप्त करें तो हम भी उनका अनुकरण कर लेंगे लेकिन पहले सत्याग्रह वह कर लें। इसके लिये ज्यादा जरूरत रुपये की है। वैसे यों तो अपने नार्मल बजट से काफी अधिक रुपया इस गवर्नमेंट ने पहले भी दिया था और अब भी देती चली जा रही है। यह तो मैंने प्लान की बात कही थी जैसा कि आपने कहा कि प्लान में ज्यादा रुपया आना चाहिये था और आल इंडिया बेसिस पर। मेरा इन्फेसिज यह था कि फारेस्ट इंडस्ट्री भी डब्लू० डी से पहले हो, यह थ्योरी की बात थी नहीं तो जितना हमें मिला है उससे हम संतोष करते हैं। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा है कि "तेते पांव पसारिये जेती लांबी सौर" याने जितना पैसा हमारे पास है उसका हम जितना सुन्दर से सुन्दर उपयोग कर सकते हैं, उसको करना चाहिये।

जहां तक मेरे मित्रों ने कहा मैंने पहले अपने भाषण में केवल उत्पादन की बात कही और एक्सप्लायटेशन की बात नहीं कही। गत वर्ष एक्सप्लायटेशन पर मैं काफी कह चुका हूं। इसमें संदेह नहीं कि कुछ हमारा परसेंटेज टिम्बर का वेस्ट जाता है है और इसके लिये एक उपाय हो सकता है कि या तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम वैज्ञानिक ढंग से उसका कटान करें यानी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि उसका कन्वर्जन करें और उसके लिये हमारे पास रोडवेज और मोटर रोड्स हों और नये नये तरीके हों जिससे एक रत्ती भी खराब न जाय और इसका सेंट पर सेंट यूज करें।

अगर लांग टर्म लीज पर हमें देना है तो इससे हमारी आमदनी और भी घट जायगी। इसके माने यह है कि हमें उनको सारे ऐडवांटेज देने पड़ेंगे। जो चीज २०,००० रु० में बिकती है वह ५,००० रु०में ही बिकेगी। इनकम भी कम हो जायगी। दूसरे हमें और भी चीजें अपने प्रदेश में करनी हैं। अकेले फारेस्ट को लेकर ही हमें नहीं चलना है। इस चीज को हम समझते हैं कि हमें क्यूरोसोटिंग प्लांट लगाने हैं। लकड़ी की कीमत टिम्बर ट्रीट करके बढ़ जाती है और उसकी लाइफ १००–२०० वर्ष बढ़ जाती है। मान लीजिये कि अगर हम यह कर दें कि बिना ट्रीटेड लकड़ी को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी लाइफ तो जरूर बढ़ जायगी। लेकिन लोग यह कहने लगेंगे कि सरकार ने इस तरह का कम्पलशन कर दिया। इससे आमदनी पर भी फर्क पड़ सकता है और हमें इस चीज को बड़ी स्टैडिली देखना है कि हमारी रेवेन्यू गिर न जाये जिससे आपको या किसी को गलतफहमी हो जाय। कोशिश यह की जा रही है।

जहां तक आपने कहा कि उनके गिराने का तरीका यह है कि दूसरे पेड़ को मार देते हैं, जहां तक आपने कहा कि कुल्हाड़े से काटते हैं, अब यह नहीं रहा आपके जमाने में चलता होगा। अब तो सिर्फ हैमर मारकर जगह कर दी जाती है जिससे पता चल जाता है कि लकड़ी वैसी तो नहीं काटी गई बाकी पूरे पेड़ को इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक एक करके सब प्वाइन्ट्स को कवर करना चाहता हूं। आपने जो डिवीजनल हैड क्वार्टर के लिये कहा तो जब हम तीसरा खोलेंगे तो उस समय उस पर विचार किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——'आप' से आपका क्या मतलब है, नाम ले दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी——मैं श्री नरेंद्रसिंह बिष्ट से कह रहा हूं कि हमारे यहां के जो डिवीजनल हेड क्वार्टर्स अल्मोड़े में रख दिये गये हैं, उनको तो हटाने का सवाल नहीं है लेकिन अगर तीसरा खोलेंगे तो उस समय इस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक परिपूर्णानन्द जी ने बात कही तो हमारे वित्त मंत्री जी सब स्टाफ के लोगों को जानते हैं और समझते हैं और यथार्थ में दो रुपये वाला जो आपने प्रश्न उठाया था जरूर मिलना चाहिये और मंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया है और लिखा पढ़ी हो रही है। फारेस्ट डिपार्टमेंट में इन लोगों के साथ ज्यादती समझी जाती है और दिये जाने का विचार किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि वह दिया जायगा जब कि वित्त मंत्री जी की यह पूर्ण रूप से धारणा है कि देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जंगल के आदमी के दुखों का पता हम और आप शहर के रहने वालों को नहीं चल सकता है। जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई, तो यथार्थ में बात यह है आप जरा खयाल कीजिये एक आदमी का जो जंगल में रहता है और जहां शेर दहाड़ते रहते हैं। एक बार माननीय गुप्ता जी वहां हमारे साथ गये थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि श्मशान तो कहने को होता है लेकिन ऐसा मालूम पड़ता था कि वहां कभी कोई आदमी गुजरा ही नहीं, एकदम सुनसान था। लेकिन वह आदमी जो फारेस्ट गार्ड कहलाता है सारे जीवन भर वहीं रहता है। कई बार उनको भालू भी खा जाते हैं। जैसा इस्तफा हुसैन साहब ने कहा——गैर कानूनी शिकार खेलने वालों द्वारा कई बार उनको गोली भी मार दी गई। तो हमारी तरफ से यह किया जा रहा है कि हम वहां एक

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

आर्म्ड स्क्वैड रखने जा रहे हैं और हर जगह कुछ आर्म्ड कांस्टेबुलरी के आदमी रहेंगे, इससे उनकी बचत होगी। अभी तक तो आदमी मर जाते थे उनकी पत्नी या दूसरे रिश्तेदारों को कुछ पेंशन के तौर पर देने के लिये हमारे यहां कोई फंड नहीं था, लेकिन अभी अभी मालूम हुआ है कि इसके लिये भी एक फंड है, जिसका पता हमारे फारेस्ट के अफसरों तक को शायद नहीं था। लेकिन अब ऐसा विचार किया जाता है कि उनको भी, पुलिस आदि की तरह कुछ मदद कर सकेंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भी इनके केसेज ह्यूमन तरीके से विचार करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं इस बात पर हमारी एक कमेटी में विचार व्यक्त किये थे उनको स्वरूप मिलना चाहिये।

जहां तक कोआपरेटिव को मदद करने का सवाल है उसमें हम पीछे नहीं हैं। लेकिन अगर उनके अन्दर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है या खराबी है तो हम उसको भी ठीक करेंगे। लेकिन हमें दुख होगा कि अगर हम जो मदद करते हैं उसका बेजा फायदा उठाया जाय या उससे कोई खराबी की बात पैदा हो। इसमें कोई शक नहीं जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि एक फैक्ट्री को चलाने के लिये, बारहों महीने चलाने के लिये, १५ हजार मन रेजिन की आवश्यकता होती है और इससे कम में फैक्ट्री साल भर काम नहीं कर सकती। इसको मैं समझता हूं और इसके देने पर विचार किया जायगा। लेकिन जहां तक रानीखेत रेजिन कोआपरेटिव फैक्ट्री के विषय में भ्रमात्मक बातें कही गई हैं मैंने स्वयं रानीखेत जाकर देखा। वहां के एस० डी० एम० जो उसके प्रेसीडेंट थे वह तो मुझे मिले नहीं, लेकिन और जो दूसरे आफिशल और नान आफिशल बोर्ड आफ डायरेक्टर्स थे उसके मेंबर से मुझसे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि एक आदमी जो उनकी रेजिन फैक्ट्री में काम करता है वह अपने पास से रुपया दे लेता है और उस रुपये से फारेस्ट डिपार्टमेंट से या जहां से मिलता है रेजिन वह लेकर जमा कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से सोसाइटी को अपनी पूंजी नहीं लगानी पड़ती, बल्कि उससे रुपया मिल जाता है और जैसे ही माल मैन्युफैक्चर होता है वह माल तुरन्त ही उसको २३) मन के भाव पर दिया जाता है। इसमें शर्त यह है कि अगर मारकेट भाव २३ रुपये मन है, तो जिसके साथ कंट्रैक्ट है अगर भाव गिर गया तो उसको २३ में ही देना पड़ेगा और अगर भाव बढ़ गया तो जितना दाम ज्यादा होगा उसमें उनका शेयरिंग हो जायगा। हाउस में इस विषय पर जब विभिन्न प्रकार की बातें कहीं गई तो जो मुझे बोर्ड आफ डाइरेक्टर से जानकारी प्राप्त हुई उसे सुनाना उचित समझा, जहां तक माल का प्रश्न है उस माल को हमने बनते हुये देखा है। हमको तो उसमें कोई खराबी दिखाई नहीं दी। यह बात भी नहीं थी कि उस रोज वह माल नमूने के लिये रखा गया हो। वह माल वास्तव में अच्छा था। तो जहां तक मेरा ख्याल है मैंने उनको यह कह दिया जो वहां पर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स मौजूद थे कि आप लोगों को सतर्क रहना चाहिये और कम से कम कोआपरेटिव के जरिए से जो गवर्नमेंट किसी तरह से मदद करती है, कन्सेशन के रूप में देती है उसको अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिये। मेरे ख्याल में सरकार इन दोनों बातों पर ख्याल रख रही है। जितनी और बातें हैं माननीय सदस्यों ने कहीं हैं उनको हमने अलग से नोट कर लिया है और उनको भी सम्पादन करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सब साथियों को इसके लिये धन्यवाद देता हूं। इतना और कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के एक मित्र जगपतिसिंह जी ने बुन्देलखंड के बारे में कहा। वहां पर ध्यान दिया जा रहा है और आगे भी दिया जायगा। नौटियाल जी ने कहा कि पहाड़ों पर जमीन नहीं है। तो झांसी में जमीन बची हुई है वह वहां पर जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन, के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन (लेखा शीर्षक १०—वन) के अन्तर्गत १,८८,१२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९५६–५७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क), के अन्तर्गत ३१,७०,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें (लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें) के अन्तर्गत, २,०५,३७,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—पेंशनों की सराशि (लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत, १९,३५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस समय हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री धर्मसिंह—जहां तक ग्रांट नम्बर ८ का संबंध है उसमें जो रुपया मांगा गया है उसमें बहुत सी बातें हैं। जो उत्तर प्रदेश में टैक्स आदि हम लोग लेते हैं उन पर जो खर्च होता है उनके लिये है। जहां तक पहली बात है इन्टरटेमेंट ऐन्डटैक्स वेटिंग के लिये जो खर्च होता है वह है। इसके अलावा मोटर स्प्रिट कंट्रोल ऐक्ट पर जो खर्च होता है वह रुपया मांगा गया है और इसी तरह से दूसरे आइटम है जैसे एलेक्ट्रिसिटी चारजेज है उन ऐक्ट पर जो खर्च होता है उससे यह खर्च संबंध रखता है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक बिजली का संबंध है उसमें बहुत से मनुष्य होते हैं जो यह कहा करते हैं कि इस कम्पनी द्वारा रेट अधिक चार्ज किया जाता है। यह कम्पनी को अख्तियार होता है। यदि कोई व्यक्ति इधर-उधर चाहता है कि कोई अमुक कम्पनी किसी व्यक्ति से अधिक रेट चार्ज कर रही है तो उसके लिये एक रेटिंग कमेटी बैठायी जा सकती है। उसके लिये इसमें रुपये की व्यवस्था की गयी है। आगे चलकर सेल्स टैक्स का संबंध है उसके विषय में माननीय सदस्य बहुत सी बातें कहेंगे और उनका उत्तर भी दिया जायगा, किन्तु सेल्स टैक्स के बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। सेल्स टैक्स के मामले में हम हमेशा उदार होने की कोशिश करते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश का मुकाबला दूसरे सूबों से करते हैं . . .

(कोरम न होने पर घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हुआ।)

[श्री धर्मसिंह]

हमने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के मामले में दूसरे सूबों के मुकाबले बहुत राहत दे रखी है। उदाहरण के लिये जबकि बम्बई में ५० चीजों पर, २ पर मद्रास ने, ३५ पर वैस्ट बंगाल ने, २० पर बिहार ने राहत दे रखी है, हमने ७० चीजों पर राहत दे रखी है। तो हमारी सरकार छोटी-छोटी चीजों को सेल्स टैक्स से माफ करके उनके उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। १२ चीजों को सन् १९५४ में पहली अप्रैल से एग्जैम्पशन मिला है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम काटेज उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं और सदन के सामने इस प्रकार का एक बिल भी है कि नैशनल इम्पारटेंस की चीजों को या जिनकी पैदावार अधिक नहीं हो रही है या उनको अधिक फायदा नहीं हो रहा है उनको हम राहत देना चाहते हैं। बहुत से साथी कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स में हम अधिक पैसा वसूल करते हैं। २२.८ के करीब बम्बई में सेल्स टैक्स लिया जाता है और मद्रास में १९.१, वैस्ट बंगाल में १२, बिहार में १० और उत्तर प्रदेश में केवल ६.३ है, जिसकी जनसंख्या साढ़े ६ करोड़ के लगभग है। कुछ समय पूर्व एक कमेटी बिठाई गई थी जिसने तमाम दिक्कतों को देखा और उसकी रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी।

जहां तक ग्रांट नं० ३६ और ४९ का संबंध है, ये पेंशनों के बारे में हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की या इस मुल्क की सेवायें की हैं, उनके लिये है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इन अनुदानों को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या ८, ३६ और ४९ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अनुदान संख्या ८ में एन्टरटेनमेंट और बैटिंग टैक्स, इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी और सेल्स टैक्स आदि के इस्टेब्लिशमेंट के लिये रुपया मांगा गया है। एन्टरटेनमेंट और बैटिंग टैक्स में हम देखते हैं कि ६ लाख रुपया पिछले २ सालों में कम हो गया है। इसी प्रकार बिजली ड्यूटी से भी करीब ४ लाख रुपये की कमी हो गई है। सेल्स टैक्स की रिसीट्स में भी २३ लाख रुपये की पिछले २ सालों में कमी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे टैक्स वसूल करने वाले प्रशासन में कहीं ढील अवश्य आ गई है। एक ओर तो सरकार अपनी नीति के अनुसार समय-समय पर इन टैक्सों को बढ़ाती है लेकिन दूसरी ओर उसके प्रशासन की व्यवस्था ढीली होने से लोगों की टैक्स इवेजन की वृत्ति बढ़ती जाती है। किसी भी टैक्स प्रणाली को समुचित रूप से चलाने के लिये आवश्यक है कि टैक्स इवेजन को रोकना चाहिये। सेल्स टैक्स के बारे में अभी माननीय सभासचिव ने कुछ आंकड़े भी दिये थे परन्तु उन्होंने हमें यह नहीं बतलाया कि बजट भाषण में जो साढ़े ९ करोड़ रुपये का घाटा पूरा करने की बात कही, सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सों से, वे कौन से नये टैक्स लगने वाले हैं। मैं तो समझता था कि बजट भाषण में हमें बतलाया जायगा कि सेल्स टैक्स किन चीजों पर और किस हिसाब से बढ़ने वाला है, क्योंकि यह मानी हुई नीति है कि जो टैक्स लगाये जाते हैं उनका फाइनेंस बिल भी आ जाता है। अभी श्रीमन्, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से भी माननीय देशमुख जी ने जो टैक्स घटाया या बढ़ाया उसकी रूपरेखा स्पष्ट कर दी और उसी दिन फाइनेंस बिल भी पेश कर दिया लोक सभा के सामने। परन्तु हमारे यहां यह होता है कि घोषणा तो कर दी जाती है कि सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं परन्तु यह नहीं बताया जाता कि किस चीज पर और किस हिसाब से। नतीजा यह होता है कि दूकानदार अपना स्पैक्यूलेशन करके कनज्यूमर से अधिक पैसा लेने लगता है कि इस पर टैक्स बढ़ रहा है। मैं कैसे कह दूं कि यह सरकार को पता नहीं है। लेकिन यह सामान्य वित्त की नीति है और मैं आशा करता था कि इसका पालन अवश्य होगा। मैं जानना चाहूंगा कि सेल्स टैक्स किन चीजों पर और कितना-कितना बढ़ेगा। यह परदा डालने की नीति समाप्त होनी चाहिये। स्पष्ट रूप से अपना नकाब खोलकर सरकार को अपने वित्त के चेहरे को साफ-साफ जनता के सामने रखना चाहिये ताकि जनता भी अपनी कमर कसकर तैयार रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा सचिव जी ने सैल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट की बात भी कही। सदन की कृपा से उस कमेटी का एक सदस्य होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त था। मैं उसकी सिफारिशों पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वे गोपनीय हैं और मेरा कर्त्तव्य है कि उनकी गोपनीयता को निभाऊं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो टैक्स के बारे में घोषणा की है उसके करने से पहले कमेटी की राय का इन्तजार कर लेती, यह ज्यादा अच्छा होता। मुझे दुख है कि कमेटी की राय का इन्तजार किये बिना ही सरकार ने सेल्स टैक्स बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब जहां तक सेल्स टैक्स के प्रशासन का संबंध है यह तमाम बातें भी उस कमेटी के विचाराधीन हैं। ये ऐसी बातें है जो टर्म्स आफ रिफरेंस के जरिये सभी लोग जानते हैं कि इवेजन होता है। अब इवेजन कैसे होता है यह तो कहना कठिन है, लेकिन यह बात अवश्य कहीं जा सकती है, चाहे वह टर्म्स आफ रिफरेंस में हो या न हो, कि वह चीज अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सेल्स टैक्स में राय देने के लिये सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी जिलों के स्तर पर और प्रांत के स्तर पर सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार किये बगैर ही बना देनी चाहिये, जिससे रोजमर्रा जो सेल्स टैक्स के प्रशासनकी शिकायतें हैं उनमें विभाग अपनी राय दे सके।

इसके साथ ही साथ मैं पेंशन वाले मामले पर भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार ने एक कंपेशनेट फंड कायम किया है। उसमें बहुत कम धनराशि जमा की जाती है। यह फंड ऐसे कर्मचारियों के परिवारों की सहायता के लिये होता है, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। मैं चाहूंगा कि जितनी भी श्रेणी के कर्मचारी हैं चाहे वे उच्च श्रेणी के हो, निम्न श्रेणी के हों, सेक्रेटेरियट के हों अथवा और कोई हों, जैसा कि अभी माननीय वन मंत्री जी ने बताया कि फारेस्ट गार्ड स मार दिया गया, उन लोगों को इस फंड में से रुपया दिया जाना चाहिये। सभी श्रेणी के कर्मचारियों के परिवारों को यह सहायता मिलनी चाहिये।

पेंशनों के संबंध में हमें एक नये निश्चय का पता चला है। हमको यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया और हमारी सरकार में एक समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार हमको लगभग साढ़े चार करोड़ रुपया पेंशन के रूप में उन लोगों को जो आज इंगलैन्ड में निवास करते हैं, हमें भारत सरकार को देना होगा और भारत सरकार इंगलैन्ड की सरकार को देगी। और इंगलैन्ड की सरकार इन पुराने सरकारी कर्मचारियों को स्टर्लिंग के रूप में पेंशन देगी। उस समझौते के अनुसार इस वर्ष बजट में १९ लाख रुपये की एक नयी मद रखी गयी है। यह नयी मद पहले ३२ लाख रुपये की हुआ करती थी, लेकिन इस समझौते के अनुसार वह घट कर १९ लाख हो गयी है। इसी वर्ष के बजट में ही नहीं जो वित्तीय वर्ष चालू है ५५-५६ का उसके रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में भी यह रकम रखी गयी है, लेकिन इस पर वोट नहीं लिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि जब ५५-५६ के रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में इस १९ लाख की मद को रक्खा गया था और एक समझौते के आधार पर यह मद बनायी जा रही थी तो इसको सदन के सामने क्यों नहीं रक्खा गया। सप्लीमेंटरी बजट में इसको क्यों नहीं रक्खा गया। मेरी जानकारी गलत हो सकती है लेकिन मेरी सूचना यह है कि इस १९ लाख की रकम को सप्लीमेंटरी में वोट के लिये नहीं रक्खा गया और आज पहली बार ही इस बजट के सिलसिले में हमें इसकी जानकारी हो रही है।

मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे यह स्पष्ट कर दें कि सेल्स टैक्स वे किन मदों पर बढ़ा रहे हैं और यह भी स्पष्ट कर दें और कितना-कितना टैक्स लगाने जा रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता दुविधा में न रहे। उसको इस प्रकार दुविधा में रखना गलत बात है। इसको शायद मंत्री महोदय भी न चाहेंगे और मैं चाहता हूं कि आप भी उनको चेतावनी दे दें कि भविष्य में सदन में इस प्रकार के वेग और अनिश्चित प्रोपोजल्स न रखे जायं जिनसे अन्दाजा ही जनता को न हो कि कौन सा टैक्स कितना लगने वाला है। अच्छा हो कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पहले ही से सरकार विचार कर लिया करे और निश्चय कर ले कि कौन सा टैक्स लगाना है और कितना लगाना है और उस के बाद वह स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखे और साथ ही फाइनेन्स बिल भी अगर आना है तो वह भी आना चाहिये ।

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष उपस्थित किए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं । मैं केवल सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में एक सुझाव पेश करना चाहता हूं । लेकिन उससे पहले ही एक शब्द में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो भाषण में यह कहा कि सेल्स टैक्स जो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वसूल हुआ वह कम है और इसके अर्थ यह हैं कि उसमें महकमे की कोई ढील अवश्य है, मैं उन की इस बात से सहमत नहीं हूं । पहली बात तो यह है कि गत वर्ष की आय अनुमानित आय से अधिक रही और अगर वह पिछले वर्ष से कम है तो उस का कारण यह है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कई चीजों में उन्होंने छूट दी है । इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि सेल्स टैक्स वसूल करने वाला विभाग या कोई भी कर वसूल करने वाले विभाग का कार्य कैसा है इसकी कसौटी यह नहीं है कि उसने अनुमान से अधिक या कम कर वसूल किया, परन्तु क्योंकि उस प्रशासन के प्रति जनता को सन्तोष है, मेरा विश्वास है कि सेल्स टैक्स के शासन से जनता को सन्तोष है और जनता में अभी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई है कि सेल्स टैक्स में कोई धांधली हो रही है । अभी माननीय मंत्री जी ने गृह उद्योगों का जिक्र किया । मैं उनको सुझाव दूंगा कि एक तरफ तो हमारी यह नीति है.....

श्री अध्यक्ष---आप अभी रुक जायं, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और सदन की कार्यवाही रुक गई ।)

[**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**---कार्यवाही तो बन्द है लेकिन मैं एक बात पूछ लूं कि अगर कोरम के लिए कोई सदस्य प्वाइंट आउट न करे तब भी आप कार्यवाही रोक सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मुझे भी ख्याल आ जाय तो मैं रोक सकता हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर इसी तरह से सदन बगैर कोरम के थोड़ी देर तक और चलता रहे और उसके बाद प्वाइंट आउट दिया जाय तो तब तक तो और भी अधिक सदस्य गायब हो सकते हैं और उस हालत में कोरम होना और भी कठिन हो जायगा, अभी प्रारम्भ में ही मैंने प्वायंट आउट कर दिया तो लोग आ भी सकते हैं ।]

(कोरम होने पर)

श्री जगदीश सरन---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हम यह निश्चय कर चुके हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम नए गृह उद्योगों को अपने यहां जन्म देंगे तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन गृह उद्योगों को जो हजारों वर्ष से हमारे यहां विद्यमान हैं उन की हम तरक्की करें । मेरा संकेत है गुड़ और खंडसारी के व्यवसाय की ओर । मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि यह वह गृह उद्योग है कि जिससे हमारे देश और प्रदेश के लाखों आदमियों की जीविका चलती है । हमारे प्रदेश में ७५ करोड़ रुपए का गुड़ और खंडसारी बनाया जाता है । हमारे प्रदेश में जितना गन्ना उगता है उसका ७० परसेंट गुड़ और खंडसारी में प्रयोग में

लाया जाता है। इस गरीब गुड़ और उद्योग-धंधों के संरक्षण के लिये जो कुछ हमारी सरकार ने किया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब सेल्स टेक्स के विषय में वे तै करने जा रहे हैं तो उनको इस उद्योग को कर से मुक्त करना आवश्यक होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पछिली दफा जब गुड़ और खंडसारी उद्योग की ओर से पिछले मुख्य मंत्री जी की सेवा में एक डेपुटेशन आया था तो उस पर विचार करने के बाद डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद एक बात स्वीकार की गई थी और वह यह थी कि जो प्रचलित प्रणाली है सेल्स वसूल करने की उसको बदल दिया जाय। उसका कारण यह था कि इस समय जो प्रणाली है उसके अन्तर्गत आज-कल स्थिति है कि जितनी शक्कर, खांडसारी पैदा होती है उसमें से ७० प्रतिशत यू० पी० के बाहर चली जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार वह कर मुक्त है। उस पर कर नहीं लग सकता। अतः डेपुटेशन ने यह प्रार्थना की थी कि ऐसा ढंग निकाला जाय जिससे सरकार को उतना कर मिलता रहे जितना अब तक मिलता रहा है, लेकिन उसकी प्रणाली बदल जाय। पिछले मुख्य मंत्री जी ने उसे स्वीकार किया था। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से कह सकता हूं कि उस डेपुटेशन को यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर कार्यवाही शीघ्र हो जायगी, लेकिन दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि वह परिवर्तन आज तक नहीं हो पाया और पिछली दफा मैंने एक प्रश्न के द्वारा यह पूछा था तो हमें यह बतलाया गया कि यह विषय सरकार के विचाराधीन है। तो मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि जब सेल्स टैक्स के विषय में हम गौर करने जा रहे हैं तो इस प्रधान गृह उद्योग में जिसमें लाखों आदमी हमारे प्रान्त के लगे हुए हैं उसको इस कर से मुक्त करें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि इस उद्योग में पिछले तीन चार साल में जितने आदमी लगे हुए थे उनमें कमी हुई है। पारसाल की बात कहता हूं कि जहां पर १०० आदमी काम करते थे वहां ४० आदमियों ने इस कार्य को छोड़ दिया। इस गृह उद्योग को अगर सरकार सहायता नहीं करेगी तो इसको भारी धक्का लगेगा। अतएव मेरी प्रार्थना है कि वित्त मंत्री इसकी विशेष सहायता करेंगे।

श्री टीकाराम (बदायूं)—अध्यक्ष महोदय, बजट के देखने से मालूम हुआ कि मद नम्बर ८ में आमदनी बराबर घटती जा रही है और ५ करोड़ के बजाय ४ करोड़ रह गई। अब रह गया सेल्स टैक्स का मसला। मैं बनियों के पड़ोस में रहता हूं। सेल्स टैक्स की बाबत हर एक बही रखता है। जब से सेल्स टैक्स लागू हुआ तब से असली खाता सामने आता ही नहीं। वे दो बहीखाते रखते हैं। एक असली दूसरा बनावटी। उन बहीखातों में बनावटी बही खाते पेश करते हैं और बनावटी खातों से सेल्स टैक्स लगता है जिससे कि आमदनी घटती चली जा रही है। तब से सेल्स टैक्स में कमी आ रही है। एक तरफ बिक्री घटती जा रही है जब कि जनसंख्या बढ़ रही है इस्तेमाल की चीजें बढ़ रही हैं लेकिन सेल्स टैक्स बराबर घट रहा है। इसकी वजह यह है कि सेल्स टैक्स के असली खाते हमारे सामने नहीं आते और यह देखा जाता है कि नकली खाते हर एक व्यापारी रखता है। फिर ४५ हजार तक सेल्स टैक्स माफ़ होता है। तो दो दो तीन तीन नाम से खाते रक्खे जाते हैं जिससे वे टैक्स से बच जाय। यह कारनामे वे कर रहे हैं। इसकी निगरानी होनी चाहिये कि सेल्स टैक्स में दोहारे खाते न हो सकें। सेल्स टैक्स आफिसर्स का भी यह हाल है कि कुछ ले देकर बनिये जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। यह सब मैं इसलिये जानता हूं कि बनियों का पड़ोसी हूं और उसी मोहल्ले में रहता हूं।

*श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके लये माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । संसार की यह शैली है—

"सम्पत्ति में कांय कांय, विपत्ति में भांय भांय ।
कांय कांय भांय भांय देखि सारी दुनिया ।"

तो मैं एक भाव माननीय वित्त मंत्री के सामने रखना चाहता हूं कि बुढ़ौती पेंशनों के सम्बन्ध में जो नम्बर ३६ का अनुदान है उसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विभाग में बहुत देरी से निर्णय हो पाता है । पेंशनों के सम्बन्ध में और पेंशनों से सम्बन्धित को कागजात हैं उनमें पांच पांच वर्ष तक की देरी लग जाती है । उदाहरण के तौर पर मैं यह रखना चाहता हूं कि हमारे यहां, हमारे जिले में पं० लालताप्रसाद जो झांसी टेकनिकल कालेज में प्रिंसिपल थे, उसके पश्चात् कानपुर में मेकैनिकल इंजीनियरिंग टैक्सटाइल में, वह पेंशन की जगह पर नियुक्त रहे । अब पांच वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से—

"का वर्षा जब कृषि सुखाने । समय चूकि पुनि का पछिताने ।
तृषित बारि बिन जो तन त्यागा । मुए करी का सुधा तड़ागा ।।"

अगर वृद्धावस्था में उनको धन न प्राप्त हो पायेगा, तो बाद में देने से क्या लाभ होगा ? खेती सूख जाय तो फिर पानी बरसे भी तो किस काम का । मैं आशा करता हूं कि इस विषय पर अवश्य ध्यान दे कर माननीय वित्त मंत्री जी अपने कार्य शैली में परिवर्तन करेंगे ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए दो तीन बातों को सदन के सम्मुख रखा । मैं आपकी अनुमति से उनकी सफाई कर देना चाहता हूं ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, कोरम नहीं मालूम होता है ।

(घंटी बजायी गयी)

[श्री अध्यक्ष—(वित्त मंत्री से) मैं समझता हूं कि जरा इसका इंतजाम करवा दीजिये । अगर अब की से कोरम कम हुआ तो वोट सोमवार को लेंगे । अगर माननीय सदस्यों को अब भाषणों में दिलचस्पी नहीं रही है तो आखिर में यह करना ही होगा ।]

(कोरम पूरा होने पर)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, यह अनुदान जो पेश है इस पर कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय नारायण दत्त जी ने जो दो तीन बातें कहीं मैं उनकी जरा सफाई कर देना चाहता हूं ।

उन्होंने सेल्स टैक्स का जिक्र किया और उन्होंने यह फरमाया कि उस कमेटी का फैसला जब तक न हो सेल्स टैक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में, माननीय वित्त मंत्री अपने बजट के भाषण में कुछ न कहते । श्रीमन्, जब वह स्वयं कहते हैं कि सेल्स टैक्स कमेटी में क्या हुआ इसको मैं नहीं कहना चाहता हूं । तो फिर ऐसी परिस्थिति में उन्हें यह बात भी नहीं कहनी चाहिए थी । यदि कोई सदस्य यह कह दे कि कमेटी टैक्स बढ़ाने के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है तो उस बात को हां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

या न में किसी में उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो उस कमेटी का जिक्र करना शायद यहां पर उचित न होगा। यह तो एक ऐसा अनुदान है जिसमें जो कुछ वर्तमान परिस्थिति है उसका केवल जिक्र किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कमेटी का जिक्र पहले आपकी ओर से हुआ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—हमारी ओर से सेल्स टैक्स कमेटी का केवल यह जिक्र किया गया था कि एक कमेटी बनी थी। उसमें किस किस्म की सिफारिशें की गयी हैं, क्या की हैं, इसके सम्बन्ध में अगर हम और आप मौन ही रहें तो उचित होगा।

उत्तर प्रदेश के निर्माण से और विकास की योजनाओं से जिसको जरा भी रुचि है उसको यह देखना होगा कि कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरह से कुछ आमदनी बढ़ायी जाय। सेल्स टैक्स आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। सेल्स टैक्स के जरिये से यदि सबसे कम लाभ उठाया है तो उत्तर प्रदेश ने और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है इससे हमारी आमदनी बहुत कम है। जहां ८० करोड़ का बजट होता है बम्बई सरकार का, वहां ८० करोड़ में कितनी काफी रकम यानी १८ करोड़ ३९ लाख रुपया उनको सेल्स टैक्स से मिलता है। यानी २२·८ प्रतिशत, जहां पर मद्रास का बजट ४७ करोड़ है उसमें ९.२० लाख वसूल करते हैं सेल्स टैक्स, यानी १९·१ परसेंट। छोटे से प्रदेश वेस्ट बंगाल में ४५ करोड़ का बजट है, वहां भी ५ करोड़ ६० लाख रुपया सेल्स टैक्स से वसूल करते हैं, यानी १२ प्रतिशत। ऐसे ही बिहार में ३७ करोड़ का बजट है। वहां ३ करोड़ ७८ लाख वसूल करते हैं। हमने ८४ करोड़ में यदि ५ करोड़ ४० लाख वसूला तो केवल ६·३ प्रतिशत वसूल करने के बाद आखिर हमारे प्रदेश को यह कहने का अधिकार है कि हमको किसी न किसी मद में ज्यादा आमदनी होनी चाहिये जब कि केन्द्रीय सरकार से हमको प्लानिंग के लिये इतना कम रुपया मिला।

दूसरी एक बात नारायण दत्त जी ने और कही—व्यवसाय की अधिक जानकारी उनको होगी, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि सेल्स टैक्स जो खरीददार है वह देता है। उस सेल्स टैक्स से चीजों के भाव पर, बिक्री पर व्यापार और व्यवसाय के संतुलन पर किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता और यह मैं इसलिये कहता हूं कि थोड़ी बहुत आखिर सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, व्यापार की जानकारी उनके बराबर न सही, उनसे कम तो शायद मुझे नहीं होगी। लेकिन हमको यह ध्यान रखने की बात होगी कि यदि हम सेल्स टैक्स की मद में किसी प्रकार परिवर्तन करें तो परिवर्तन करते हुए हम अपनी आमदनी के साथ कितना खर्च बढ़ा देते हैं। माननीय नारायणदत्त जी देखेंगे कि बजट में सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में खर्चा बढ़ा ही नहीं। और वह कुछ ऐसी रकम जो युजूअल कोर्स में अफसरों की तन्ख्वाह के बढ़ने में देते हैं वह तो बढ़ेगी ही। दो अपीलेट जजेज नियुक्त इसलिये कर दिये गये ताकि अपीलों का फैसला होता रहे और इसके अलावा किसी प्रकार खर्चे में वृद्धि नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि इस अनुदान का हर एक को समर्थन करना चाहिये।

दूसरे इन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में यह कहना कि आमदनी किसी प्रकार घटी है, यह गलत बात होगी। पिछले बजट में ७१ लाख का अनुमान लगाया गया, लेकिन ७६ लाख की आमदनी हुई। अब चूंकि ७६ लाख की आमदनी हुई तो इस साल ७२ लाख का अनुमान लगाया। जानबूझकर एक कनजरवेटिव एस्टीमेट रखा गया है। तो यह कहना कि ४ लाख की कमी हुयी तो यह कहना बेकार है।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के बारे में भी यह कहना गलत होगा कि किसी प्रकार से आमदनी घटी है। अक्सर बजट की स्पीच में कहा गया था कि उद्योग व्यवसाय में ड्यूटी की वजह से कन्जम्पशन कम हुआ और इसलिये आमदनी घटती गयी। तो यह मालूम होना चाहिये कि हमारी आमदनी ८६ लाख के बजाय फिर बाद को ९७ लाख हो गयी और इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि बिजली का कन्जरम्पशन घटा नहीं। आपने स्वयं देखा होगा कि ४७ लाख किलोवाट का १९५२ में खर्चा था, १९५३ में बढ़ करके ५१ लाख किलोवाट हो गया। तो निरन्तर इसमें प्रगति होती गयी। किसी प्रकार अवनित होने का कोई कारण नहीं था। ४ हजार रुपया इलेक्ट्रीसटी ड्यूटी के बारे में खर्चा बढ़ा है और वह इस वास्ते बढ़ा है कि यूजुअल कोर्स में अफसरों को इनक्रीमेंट देना पड़ता है, ३५ हजार से ३९ हजार हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मद है जिसमें किसी प्रकार का विरोध हो सकता है।

सेल्स टैक्स के बारे में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसी न किसी प्रकार इस प्रदेश की प्रगति के लिये, इसकी उन्नति के लिये यह टैक्स नितांत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में एक बात कह दूं, एक घटना को निवेदन कर दूं कि जितने देशों ने अपनी प्रगति के लिये किसी प्रकार की योजना बनाई उन सब देशों में पैदा होने वाले सामान पर परचेज टैक्स बढ़ा दिया। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं चाहता हूं हमारे मित्रगण सुन लें और इस प्रान्त के लोगों को संदेश दे। मैं लंदन में एक फाउन्टेनपैन खरीदने के लिये एक दूकान पर गया तो दूकानदार ने मुझसे पूछा कि क्या आप बहुत दिन तक इस देश में रहने वाले हैं। मैंने कहा कि १०, १२ दिन में जाना चाहता हूं। सोचा कि एक कलम खरीदूं। तो उसने कहा कि मुझे तो अफसोस है कि आप यहां क्यों खरीद रहे हैं। इसलिए कि आप इसे अगर अपने देश में खरीदेंगे तो जो कलम आपको यहां ७५ रुपये में मिलेगी वह वहां आपको शायद अधिक से अधिक ५५ रुपये में मिल जायगी। मैंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों, आपके यहां की तो वह बनी हुई है? तो उसने कहा कि हम इस देश वाले यह चाहते हैं कि हमारे देश में कोई यह कलम खरीदे या न खरीदे, उसकी बिक्री यहां हो या न हो, पर हम यह चाहते हैं कि हमारा माल अधिक से अधिक बाहर जाय और हमने परचेज टैक्स को अपनी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया बना लिया है ताकि हमारे देश की आमदनी बढ़ती चली जाय। इसलिये इस प्रदेश की प्रगति के लिए, इसकी प्लानिंग के लिये, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के लिये, उसकी सफलता के लिये नितांत आवश्यक है कि कहीं न कहीं टैक्स बढ़ाना होगा, उसका क्या रूप होगा, कैसे बढ़ेगा इसका तो अन्त में निर्णय होता ही रहेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मेरी शंकाओं का समाधान करने की असफल चेष्टा की। मैंने क्या कहा और उन्होंने क्या समझा, मुझे यही शिकायत है। मैंने तो यह कहा था कि सेल्स टैक्स आप कितना बढ़ा रहे हैं, किस मद में बढ़ा रहे हैं, किस चीज पर, किस वस्तु पर बढ़ा रहे हैं, यह जिस दिन आपने निर्णय किया उस दिन आपको घोषित कर देना चाहिए था। वह बात तो अलग है कि सेल्स टैक्स आप बढ़ायें या न बढ़ायें। उस पर तो वह कमेटी विचार कर रही है। लेकिन उस कमेटी ने कोई निर्णय किया नहीं और आपने अपने मन से यह घोषित कर दिया कि आप सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर घोषित किया था तो स्पष्ट रूप से आपको लाना चाहिये था। माननीय परिपूर्णानन्द जी वित्त प्रणाली में काफी अनुभवी हैं, वह एक सिद्धांत भी कोई इसके लिये मुझे बता दें जो टैक्सेज सरकार घोषित करती है लाने के लिये उन्हें स्पष्टतया घोषित करती है या नहीं और जिसे घोषित करती है उसके लिये फाइनेंस बिल लाती है या नहीं, वह इस बात का जवाब दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया में देशमुख जी ने कुछ ड्यूटी बढ़ायी, तो क्या वह सब उन्होंने साफ-साफ बतायीं या नहीं ? तो माननीय मंत्री जी बतायें कि कितना रुपया मिलने वाला है उनको इससे । साढ़े नौ करोड़ का इस बजट में घाटा है । बतला सकते हैं माननीय मंत्री जी कि इसमें से इतना रुपया हमको इससे मिलने वाला है ? वह बतला दें तो हम मानें कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वह जानते हैं बजट बनाना । या माननीय परिपूर्णानन्द जी बतायें, वह माननीय मंत्री जी कि मदद करने को खड़े हुए हैं । अगर यह नहीं बतला सकते, इसकी जानकारी उनको नहीं है तो उनको ऐसा प्रस्ताव नहीं लाना चाहिये । फिर आप कहते हैं कि हम बहुत कुछ दूसरे टैक्स बढ़ायेंगे, उसके अलावा कुछ टैक्स बढ़ायेंगे । क्या यह सदन इस बात की जानकारी करने की चेष्टा न करे कि कौन टैक्स आप बढ़ाने वाले हैं, आपने अपने भीतर की जेब में कौन सा टैक्स छिपाये हुये हैं, आप इस साढ़े नौ करोड़ के घाटे को किस प्रकार पूरा होने की उम्मीद करते हैं ? या आप यह कहते हैं कि शायद कोई टैक्स न लगे तो अगर नहीं लगे और यह घाटा पूरा हो जाय तो इसके माने यह हैं कि आपने बजट सही नहीं बनाया । तो माननीय परिपूर्णानन्द जी तो एक तरह से मुझसे सहमत थे मगर उन्होंने बजाय अपनी सहमति प्रगट करने के यह कह दिया कि सेल्स टैक्स बिना बढ़ाये हो कैसे सकता है, काम कैसे चल सकता है ? उन्होंने बम्बई का परसेंटेज बताया लेकिन वहां सेल्स टैक्स ज्यादा है तो लैन्ड रेवेन्यू कम है । वह तो हमने बतलाया था कि देश के सारे राज्यों में दो एक छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर, लैन्ड रेवेन्यू पर कैपिटा यहां सबसे ज्यादा है । आपकी कुल ८५ करोड़ की रिसीटें हैं, प्राप्तियां हैं, उसमें से २२ करोड़ रुपया आपको केवल लैन्ड रेवेन्यू से मिलता है, एक चौथाई से ज्यादा तो । २५ परसेंट प्राप्तियां आपकी जो हैं वह मालगुजारी से होती हैं । पर कैपिटा साढ़े चार रुपया लैन्ड रेवेन्यू पड़ता है जब कि बम्बई में कुल डेढ़ रु० पड़ता है । उनके यहां मालगुजारी कम है और सेल्स टैक्स ज्यादा है । आपके यहां मालगुजारी ज्यादा है तो यह इस तरह से नहीं देखा जाता । जितनी टैक्स की रकमें हैं उन सबको जोड़कर तब देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति कितना टैक्स भार है । फिर आपने यह भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । यह बम्बई की तरह एक उद्योग प्रधान प्रदेश नहीं है । बम्बई में तो बम्बई शहर का महत्व है । उसी की वजह से तो वहां आज सारी लड़ाई है । क्यों लोग चाहते हैं कि बम्बई शहर महाराष्ट्र में रहे ? वह इसीलिये चाहते हैं कि महाराष्ट्र की इकोनामी को ठीक चलाना है तो बम्बई को महाराष्ट्र में रहना चाहिये । इसीलिये बम्बई के लिये लड़ाई है । वैसे तो बम्बई शहर होने की वजह से बम्बई का पैटर्न, उसकी व्यवस्था, बिलकुल दूसरी है इसलिये बम्बई और उत्तर प्रदेश की टैक्स प्रणाली का और सेल्स टैक्स के इन्सिडेन्स की तुलना नहीं कर सकते । मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब देने खड़े हों तो कम से कम स्पष्ट करें कि कौन सा टैक्स और कितना और क्यों बढ़ाने वाले हैं ।

अंत में जो बात कही थी कि इस साल के बजट वर्ष में १९,१८,१०० रुपये की रकम बिना लेजिस्लेचर के वोट लिये हुये नया मद बना दिया गया है और जिसके लिये फाइनेंस बजट मैनुअल के अनुसार लेजिस्लेचर का वोट लिया जाना चाहिये था और उसके बिना वह नहीं लाया जा सकता था । इसका भी वे स्पष्टीकरण कर दें ।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बंगाल और बम्बई का लैन्ड रेवेन्यू और यू० पी० का लैन्ड रेवेन्यू जो है उसका मुकाबिला करना बिल्कुल गलत बात है । वजह उसकी सबको मालूम है कि यू० पी० में हम जमींदारी मंसूख कर चुके हैं और जमींदारों को जो कुछ पहले मिलता था वह अब गवर्नमेंट को मिलता है । बंगाल में जमींदारी मंसूख नहीं हुयी । वहां जो कुछ काश्तकार से लिया जाता है वह अब भी दो हिस्सों में तकसीम होता है । एक हिस्सा जमींदार ले लेता है और एक हिस्सा सरकार को मिलता है । बम्बई में कुछ तो रैयतवारी सिस्टम है और कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जमींदारी सिस्टम है और वहां भी जमींदारी मंसूख नहीं हुयी। तो यहां के और वहां के फिगर्स में जो अन्तर मालूम होता है उसकी वजह यह है कि काश्तकार जो देता है वह सीधे सरकार की जेब में आता है, वहां दो जेबों में जाता है। यही फर्क है। काश्तकारों को तो उतना ही देना पड़ता है। मैंने अर्ज यह किया था कि यहां की लैन्ड रेवेन्यू जो है वह यहां की कृषि की पैदावार का वन् अनुपात टूवेन्टियथ परसेंट है। कहीं का निकालें और उससे मुकाबिला कर लें।

मेरे एक भाई ने पेंशन की बाबत फरमाया था। पहले मैं इसे हाउस में पूरी तरह से बयान कर चुका हूं। थोड़ी बात उसके सम्बन्ध में कहता हूं। हमने एक मुस्तकिल दफ्तर और आफिसर इस काम पर मुकर्रर कर दिये हैं। जो केसेज पेंशंस के हैं, बिलखुसूस जो पुराने पड़े हुये हैं जैसे एक पांच साल के केस का उन्होंने जिक्र किया मुमकिन है वह उसमें बाकी हो, लेकिन नतीजा उसका पूरा पूरा हुआ। सन् ५३ से हमने कोशिश की और वहां एक दफ्तर बिठला कर काम कराया है। चुनांचे जो केसेज पहले मिले थे वह ३,८१७ थे। वे सब के सब तय हो गये उनमें से सिर्फ ५१३ कैसेज बाकी हैं। एक साल से ज्यादा और तीन साल से कम के जो केसेज हैं उनकी तादाद २,४१८ है उनमें से भी ७१२ तय हो गये बाकी बाकी हैं। पेंशन पानेवालों को जल्दी पेंशन मिल जाय उस काम को एक सरकारी दफ्तर के जरिये से खास तौर से किया जा रहा है और जो उनकी शिकायत है वह बहुत कम है और कम होती जा रही है और मुमकिन है कि आइन्दा बिलकुल नहीं रहेगी। और उसके अलावा जो अहकामात हम जारी कर चुके हैं वह हाउस में सुना चुका हूं, उन्हें दोहराता नहीं हूं। तीसरी बात यह जरूर है कि मैंने यह कसूर किया कि यहां अपनी बजट स्पीच में मैंने यह कहा कि टैक्स बढ़ाया जायगा और साढ़े नौ करोड़ की जो कमी है उसको सेल्स टैक्स और टैक्सों को लगाकर पूरा किया जाय और मैंने यह बतलाया नहीं कि किस पर टैक्स लगेगा। जवाब वह खुद दे रहे हैं उस बात को जिसको वह मुझसे कह रहे हैं। खुद आपकी बात में मेरा जवाब मौजूद है। मैं उसको हरगिज नहीं बतलाना चाहता और मैं अर्ज करता हूं कि हाउस की बिना इत्तिला तो टैक्स लगाये नहीं जायेंगे। यहां तो हम कानून लाकर सामने रखेंगे ही और उस कानून के जरिये से सब बातें मेम्बर साहबान को मालूम हो जायेंगी सब पर पूरा मुबाहिसा होगा। उस मुबाहिसे के बाद वह मंजूर होकर फिर लगेगा। अगर कोई तरकीब ऐसी हो जो मेरे दोस्त फरमा रहे हैं कि स्पेकुलेशन न हो तो आज मुझे यकीन हो गया इस बात का कि इसका मुझे इन्तजाम जरूर करना है। इस वक्त तो मैंने यह कह दिया कि एक फर्क है और मैंने बतला दिया कि एक रास्ता उस तरफ जाता है, उधर हमें जाना है। अब अगर मैं कह दूं कि इस मेज पर टैक्स लगेगा तो मेज वाले उस पर स्पेकुलेशन करेंगे। मेरे दोस्त एक तरफ तो कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिये और दूसरी तरफ मुझे कह रहे हैं कि तुम बतला दो कि किस चीज पर टैक्स लगेगा। अगर मेरे इस वक्त बतला देने से वह फौरन नाफिज हो जाय तो मैं बतला दूं। मैं तो स्कीम बना रहा हूं लाऊंगा हाउस के सामने। उसके जरिये से वह बढ़ेगा। हां, अब मैं इसका इन्तजाम रखूंगा कि स्पेकुलेशन न होने पाये। और कुछ नहीं मुझे अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क) के अन्तर्गत, ३१,७०,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें (लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों) के अन्तर्गत, २,०५,३७,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—पेंशनों की संराशि (लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत, १९,३५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर सोमवार, १९ मार्च, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१७ मार्च, १९५६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा